सोमवार,
३० मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, ३० मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे मजिस्ट्रेट

*१०६६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) यात्रिक रेलवे मजिस्ट्रेटों का कार्य ;

(ख) क्या इन मजिस्ट्रेटों के स्थानों को स्थायी बनाने का निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या इन मजिस्ट्रेटों के काम का उनके प्रधान कार्यालय पर निरीक्षण करने के लिये जब कि वे सफ़र कर रहे होते हैं कोई अधिकारी हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) यात्रिक रेलवे मजिस्ट्रेटों का कार्य बिना टिकट के मुसाफ़िरों का, पायदानों पर सफ़र करने वालों का, रेलों में या स्टेशनों पर अनधिकृत रूप से सामान बेचने या भीख मांगने तथा इसी प्रकार के अन्य अपराधों का जो भारतीय रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, तत्कालिक मुक़दमा करते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इन मजिस्ट्रेटों के कार्य का न्यायिक भाग सम्बन्धित ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेटों द्वारा किया जाता है । किन्तु उनका यात्रा-कार्यक्रम रेलवे अधिकारियों के परामर्श से बनाया जाता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसी शिकायतें आई हैं कि जो ट्रेवेलिंग मैजिस्ट्रेट्स ड्यूटी पर होते हैं वह अपना दौरा तो गाड़ियों पर शो करते हैं लेकिन दूसरी जगह चले जाते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है । अगर आनरेबल मेम्बर के पास ऐसी कोई इत्तला हो और वह मुझे दें तो मैं मुनासिब कार्यवाई करूंगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि जो पैसेन्जर्स टिकट ले कर नहीं चलते हैं और रास्ते में पकड़े जाते हैं तो वह पैनल्टी के साथ अपना किराया देने के लिये तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी मैजिस्ट्रेट अपने केसेज़ को बढ़ाने के लिये उन को पकड़ लेते हैं, इस का क्या कारण है और इसके लिये क्या कोई कार्यवाई की जा रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस की भी मेरे पास कोई इत्तला नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार इस बात पर ग़ौर करेगी और इसके ऊपर तहक़ीकात करेगी कि जो लोग टिकट ले कर नहीं चलते और पकड़े जाते हैं उन में से कितने पूरा दाम देने के लिये तैयार होते हैं इसके फ़ैक्ट्स एण्ड फ़िगर्स मालूम करने की कृपा करेंगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : जो लोग बग़ैर टिकट सफ़र करते हैं उन लोगों से पूरे टिकट की क़ीमत वसूल की जाती है साथ ही उन के ऊपर काफ़ी सख्त जुर्माना भी किया जाता है ; और अगर आनरेबल मेम्बर को उस के आदाद व शुमार की ज़रूरत हो तो मैं दे सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं जी, उस की ज़रूरत नहीं है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि आवारागर्द हैं और इस तरह से घूमते हुये बहुत दफ़े गिरफ्तार भी हो चुके हैं ।

श्री शाहनवाज़ खां : हिन्दुस्तान में कितने आवारागर्द हैं इस की तादाद कैसे बतलाई जा सकती हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : हिन्दुस्तान के अन्दर नहीं ऐसे आवारागर्द जो कि रेलवे में चलते हैं उन का सवाल है ?

श्री शाहनवाज़ खां : रेलवे में कोई आवारागर्द नहीं है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि चलती हुई गाड़ियों में अनधिकृत रूप से सामान बेचने और भीख मांगना बन्द करने का काम भी इन मजिस्ट्रेटों के कार्य का भाग है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह इन मजिस्ट्रेटों के कार्य का एक भाग है तथा इन मजिस्ट्रेटों ने अनधिकृत रूप से चीज़ें बेचने वालों को तथा बच्चों के भीख मांगने को रोकने के लिये कठिन प्रयास किये हैं ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि बिना टिकट सफ़र के परिणामस्वरूप रेलों को कितनी हानि सहनी पड़ती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम चर्चा करने जा रहे हैं ?

श्रीमती ए० काले : गत वर्ष, औसतन

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री जी के पास बिना टिकट यात्रा करने के कारण रेलवे को हुई हानि के आंकड़े हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : मेरे पास इस बात के तो आंकड़े नहीं हैं कि बिना टिकट के सफ़र से रेलवे को क्या हानि हुई किन्तु ये आंकड़े हैं कि इस साधन से हमें कितनी हानि हुई ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि न्यायिक तथा प्रशासनात्मक रूप से ये यात्रिक मजिस्ट्रेट किसके अंतर्गत हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : ज़िला मजिस्ट्रेटों के ।

श्री सी० आर० चौधरी : यह किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : ये सब ज़िला मजिस्ट्रेटों के अन्तर्गत हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अभी माननीय मंत्री महोदय ने मेरे दोस्त सहगल साहब के सवाल के उत्तर में एक बयान देने की कोशिश की थी, आप कृपा कर के आज्ञा दे दें कि वह उसे फिर से बतला दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं जी, काफ़ी है ।

श्री सैय्यद अहमद : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सच है कि टिकट कलेक्टर लोग बगैर टिकट लोगों को पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम को कन्सेशन दे कर छोड़ देंगे ? मान लीजिये कि चार्ज बीस रुपये हैं तो कहते हैं कि चार रुपये ले कर छोड़ देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब कार्यवाही करने के सुझाव हैं । एक माननीय सदस्य को भला बेटिकट सफ़र में क्या रुचि हो सकती है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि क्या वह उस बयान को टेबुल पर रखने की कोशिश करेंगे ?

कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : माननीय सदस्य स्वयं कहते हैं कि वह बिना टिकट सफ़र कर रहे थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सूचना दे रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे ।

श्री सैय्यद अहमद : मैं ने उनके साथ बिना टिकट सफ़र किया था ।

बिना टिकट सफर

*१०६७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ठीक है कि बिना टिकट सफ़र करने वालों को पकड़ने पर उस स्टेशन तक, जहां कि यात्रिक मजिस्ट्रेट का कार्यालय होता है, बिना टिकट के ले जाया जाता है तथा छोड़ जाने पर बिना टिकट यात्रा करने दिया जाता है ?

(ख) इसका क्या कारण है कि बिना टिकट सामान बेचने वालों पर यात्रिक मजिस्ट्रेट अथवा जांच करने वाले कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और प्लेटफ़ार्मों तथा चलती हुई गाड़ियों में मुफ्त यात्रा करने दिया जाता है ?

(ग) इन चीज़ों को रोकने के लिये सरकार क्या क़दम उठा रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : बिना टिकट सफ़र करने वाले यात्रियों को पकड़े जाने पर उस स्टेशन तक, जहां कि रेलवे मजिस्ट्रेट अपना कार्यालय रखता है, बिना टिकट ले जाया जाता है, किन्तु छोड़े जाने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा नहीं करने दी जाती ।

(ख) यह बात सही नहीं है कि बिना टिकट चीज़ें बेचने वालों तथा अन्य लोगों पर इन मजिस्ट्रेटों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता । उन्हें बिना टिकट पकड़ने पर बे-टिकट मुसाफ़िरों की भांति व्यवहृत किया जाता है ।

(ग) स्टेशनों के समस्त कर्मचारियों, गार्डों तथा टिकट चैक करने वाले कर्मचारियों को ये निदेश हैं कि भिखारियों तथा अन्य अनधिकृत लोगों को गाड़ियों में चढ़ने से रोकें तथा स्टेशन के क्षेत्र से बाहर हटवा दें ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह बात सच है कि जहां कहीं भी धार्मिक मेले होते हैं, धार्मिक स्थान होते हैं, ऐसे मौक़ों पर बेहिसाब लोग रेलों में घुस जाते हैं और टिकट की जांच करने वाले लोगों को अपनी कार्रवाई बन्द कर देनी होती है ? और यह सच है तो इस को बन्द करने के लिये क्या कोई उपाय नहीं किया गया ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जो शिक़ायतें आप ने की हैं वैसी शिक़ायतें हो सकती हैं कि जब बहुत

भीड़ होती है यह बहुत बड़े बड़े मेले होते हैं, जैसे कि कुम्भ मेला, जब कि लाखों की तादाद में मुसाफ़िर चढ़ते हैं, अगर वह ज़बरदस्ती घुस जायें तो स्टेशन स्टाफ़ के लिये मुमकिन नहीं कि वह अपना काम कर सकें। लेकिन जितनी कार्रवाई हम कर सकते हैं वह करते हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं ने यह बात पूछी थी कि चूंकि यह पहले से मालूम है कि यहां भीड़ हो जायेगी क्योंकि वहां बराबर ऐसा होता रहा है, और जाने वाले मुसाफ़िरों को तक़लीफ़ होती है उन की सुविधा के लिये रेलवे विभाग जो कन्सेशन दे रहा है उस को क्या रोकने की कोशिश की जायेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अगर माननीय सदस्य कोई खास जगह बतलायेंगे तो हालांकि हम पहले से इन्तज़ाम करते हैं, लेकिन और भी इन्तज़ाम करेंगे।

श्री दाभी: क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि जांच करने वाले कर्मचारी निदेशों को समुचित रूप से लागू करते हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जहां तक हमें मालूम है, निदेशों का पालन किया जा रहा है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि इन बे टिकट यात्रियों से किराये तथा जुर्माने के रूप में प्रति वर्ष कितना रुपया वसूल होता है और मजिस्ट्रेटों पर तथा लोगों को जेल भेजने पर वहां उन्हें रखने पर क्या खर्चा आता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह योजना मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा और आसाम के कुछ भाग में चलती है। मेरे पास उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। सन् १९५० में अर्थात् ३० जुलाई, १९५० से ३० जून, १९५१ तक कुल आय २१,७४,४४३ रुपये थी। तथा कुल व्यय ८,१६,०९३ रुपये था। सन् १९५१-५२ में आय २१,२८,२८३ रुपये और व्यय ८,१८,९२६ रुपये था।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि उन टिकट जांचने वालों की, जो कि अपने भाग का रुपया प्रति मास इकट्ठा नहीं करते, दण्ड के लिये चार्ज शीट भरी जा रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी नहीं, यह बात सही नहीं है।

डा० जयसूर्य : सरकार ऐसे स्टेशनों पर बे टिकट मुसाफ़िरों के विरुद्ध क्या सावधानी बरत सकती है जहां कि इसलिये टिकट उपलब्ध नहीं हैं कि दिये ही नहीं जाते ?

श्री शाहनवाज़ खां : जहां तक हमें मालूम है ऐसा कोई स्टेशन नहीं है जहां टिकट न दिये जाते हों।

श्री सरमा : मध्य रेलवे में।

श्री शाहनवाज़ खां : यदि माननीय सदस्य हमें ऐसे स्टेशनों की सूची दें.....

श्री जयपाल सिंह : अभी अभी हमें बतलाया गया कि यह प्रयोग केवल बम्बई, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आसाम में किये जा रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि अन्य प्रान्त कम ईमानदार और कम अपराधी हैं ?

श्री सरमा: क्या सरकार को विदित है कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा टिकट जारी करने में देर कर देने की प्रथा अब भी जारी है ? जब तक कि गाड़ी नहीं आ जाती, वे खिड़की नहीं खोलते और टिकट जारी नहीं करते। जब गाड़ी आती है तो लोग डिब्बों में भर जाते हैं तथा टिकट-कलक्टरों और चैकरों को रुपया देते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां: मैं यह नहीं कहता कि हमारी रेलों में सब कुछ बिलकुल ठीक

है । कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि टिकट जारी करने वाले प्राधिकारी जनता को असुविधा पहुंचा रहे हों किन्तु सामान्यतः ऐसा नहीं है । यदि इस प्रकार के कोई मामले हैं तो माननीय सदस्य कृपया उन्हें रेलवे मंत्रालय के सम्मुख लायें जो कि उचित कार्यवाही करेंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

अंतर्राष्ट्रीय किसान युवक विनिमय कार्यक्रम

*१०६८. डा० राम सुभग सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय किसान युवक विनिमय कार्यक्रम की मंत्रणा समिति ने भारत सरकार से सन् १९५३ में भारतीय किसान युवकों को अमरीका भेजने को कहा है ?

(ख) यदि हां, तो कितने युवक सन् १९५३ में अमरीका भेजे जायेंगे ?

(ग) उनका चुनाव किस प्रकार होगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) पन्द्रह ४-एच क्लब्स के खर्चे पर और पांच स्वयं अपने खर्चे पर ।

(ग) प्रारम्भिक चुनाव राज्य चुनाव समितियों द्वारा किया जायगा और अन्तिम चुनाव केन्द्रीय चुनाव समिति करेगी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन विद्यार्थियों का सारा खर्चा ४-एच क्लब्स द्वारा किया जायगा अथवा भारत सरकार भी इसका कुछ अंश वहन करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : केवल पांच युवकों को छोड़ कर, जिनको कि अपना अमरीका जाने और आने का परिवहन व्यय करना होगा, समस्त खर्चा क्लब द्वारा वहन किया जायगा ।

डा० राम सुभग सिंह : इन उम्मेदवारों के चुनाव की अर्हतायें क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : उनकी उम्र २० और २८ के बीच में होनी चाहिये । कृषि में उन्हें कुछ प्रशिक्षण होना चाहिये । वे ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहियें जिनके कि सरकारी नौकरी कर लेने की सम्भावना हो । जहां तक सम्भव हो, वे ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जो कि खेतों में जा कर काम करें और खेती में सुधार करें ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या अमरीका में उनकी यात्रा के सम्बन्ध में भारत सरकार का कोई हाथ होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसमें भारत सरकार को कुछ नहीं करना होगा । अमरीका में कई परिवार हैं जो कि उनकी देखभाल करेंगे और ये परिवार अमरीकी दूतावास द्वारा चुने गये हैं ?

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन किसान युवकों को वहां कृषि के किसी विशिष्ट कार्य में प्रशिक्षित किया जायगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । किन्तु प्रशिक्षण का कोई निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है । यह उस परिवार पर जो कि उनकी देखभाल करेगा तथा विद्यार्थी विशेष की मर्जी पर छोड़ दिया जायगा ।

श्री एम० एस० गरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि चुनाव समितियां चुनाव कर चुकी हैं, और यदि हां, तो किन किन राज्यों से विद्यार्थियों को चुना गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख: युवकों के अथवा राज्यों के नाम मेरे पास मौजूद नहीं हैं ।

श्री दाभी : क्या वे राज्यवार चुने जाते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी नहीं ।

श्री जसानी : क्या १९५३ का चुनाव किया जा चुका है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सब १९५३ के ही लिये है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यह केवल १९५३ के लिये ही है अथवा आगामी वर्ष में भी जारी रहेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख यह केवल १९५३ के ही लिये है । यह ४-एच क्लब पर निर्भर है कि इसे आगे बढ़ाये या नहीं।

श्री बालकृष्णन्: क्या मैं जान सकता हूं कि चुनाव का आधार क्या होगा और क्या ये युवक वास्तविकता में खेतों पर काम करने वालों में से चुने जायेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : इरादा यही है ।

श्री केलप्पन: क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे किसान युवक सन् १९५३ में किसी अन्य देश में भी जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : और कहीं से कोई आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है । यदि किसी अन्य देश से कोई आमंत्रण आया, तो चुनाव किया जायगा ।

श्री गोपाल राव: क्या मैं जान सकता हूं कि ये भारतीय युवक अमरीका में अनुभव प्राप्त करके उसे किस प्रकार भारतीय दशाओं में हस्तान्तरित करेंगे ?

श्री किदवई : वे वास्तविक किसानों में से चुने गये हैं और उनसे अपने अनुभव को स्वयं अपने खेतों में प्रयुक्त करने की आशा है ।

श्री बूवराघसामी : इन युवकों के चुनाव में सरकार केवल शैक्षिक योग्यतायें ही देखती है अथवा पूर्व अनुभव का भी विचार रक्खा जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यद्यपि शैक्षिक योग्यता को भी ध्यान में रक्खा जायगा तथापि खेतों पर के वास्तविक अनुभव को सर्वोपरिता दी जायेगी ।

श्री केलप्पन: इस कार्यक्रम में अमरीका से कितने युवक आ रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : सम्भवत: पांच से नौ तक ।

श्री पुन्नूस: इस बात की दृष्टि में कि अमरीका तथा हमारे यहां की खेती की प्रणाली में इतना आधारभूत अन्तर है, क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे यहां के युवकों को वहां भेज कर क्या लाभ होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक तर्क है ?

डा० पी० एस० देशमुख : बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो दोनों जगह एक सी हैं ।

उर्वरकों की मांग

*१०६९. **श्री एम० आर० कृष्ण :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के राज्यों को कुल कितने मूल्य के उर्वरकों की आवश्यकता है ?

(ख) क्या उर्वरकों की समस्त मांग देश के उत्पादन से पूरी हो जाती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) राज्यों के पास १९५२ के अन्त में कुल लगभग १,८०,००० टन अमोनियम सल्फेट के अतिरिक्त, राज्य सरकारों तथा चाय व कहवा उद्योगों की, जिनको कि माल सीधा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से भेजा

जाता है, इस उर्वरक की मांग कुल ३·७ लाख टन है जिसका मूल्य लगभग ११ करोड़ रुपये है । इसमें सुपर फ़ोस्फेट की आवश्यकता को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसका कि मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सकता क्यों कि इसकी मांग मूल्यानुसार बहुत बढ़ती घटती रही है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सत्य है कि चूंकि जापान से आयात किया जाने वाला उर्वरक सिन्दरी फ़ैकटरी में उत्पादित उर्वरक से अधिक सस्ता है इसलिये उर्वरकों का बहुत बड़ा स्टाक बिना बिका पड़ा हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कितनी ही बार पूछा जा चुका है ।

डा० पी० एस० देशमुख : आयात किये गये उर्वरक हमें सस्ते पड़ते हैं, किन्तु इसका कारण यह है कि उस देश की सरकार इसे भारी आर्थिक सहायता देती है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि सिंदरी फ़रटीलाइज़र फ़ैक्टरी में फ़रटीलाइज़र का एक बहुत बड़ा स्टाक जमा हो गया है ? अगर यह सच है तो उसको बेचने या वितरित करने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वहां बहुत बड़ा स्टाक इकट्ठा हो गया था लेकिन उसको हटाने के लिये बहुत ज़ोरों से कार्रवाई हो रही है ।

श्री टी० एन० सिंह : देशी फ़ैक्टरियों में ३·६ लाख टन उत्पादित उर्वरक को अतिरिक्त बाहर से आयात किये जाने वाले, विशेषकर टेकनीकल सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, उर्वरकों की मात्रा क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अब तक हमने २६,००० टन आयात किया है । सम्भव है कि यह एक लाख टन तक पहुंच जाये ।

श्री टी० एन० सिंह : देश की कुल मांग कितनी है ? ३·७ लाख टन : क्या यह सत्य है ?

डा० पी० एस० देशमुख : औसत मांग यही है । यह बदलती रहती है क्यों कि यह वर्षा तथा अन्य बातों पर निर्भर है । गत वर्ष यह बहुत कम हो गई थी । हमें आशा है कि इस वर्ष अधिक उपभोग होगा ।

श्री गोपाल राव : जब कि हमारी सिन्दरी उर्वरक फ़ैक्टरी में बहुत सा स्टाक जमा हो गया है फिर सरकार क्यों बाहर से उर्वरक आयात कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : माननीय सदस्य को अवश्य ही यह मालूम होगा कि टेकनीकल सहायता कार्यक्रम द्वारा दिये गये उर्वरकों से हमें क्या लाभ हो रहे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि वहां जो स्टाक जमा हो गया है उसको हटाने के लिये बड़े ज़ोरों से कार्रवाई हो रही है । क्या मैं पूछ सकता हूं कि उसमें कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सिंदरी फ़ैक्टरी में कुछ न कुछ स्टाक तो हमेशा रहेगा क्योंकि वहां रोज़ाना एक हज़ार टन फ़र्टिलाइज़र तैयार होता है । लेकिन ज्यादातर जो स्टाक था वह मुक़र्रर सूबों को चला गया है । अगर इस साल हमारी ज़रूरत से फ़ज़ूल स्टाक भी जमा हो जाता है तो आयंदा साल उसकी ज़रूरत महसूस होगी ।

श्री गिडवानी : टेकनीकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत जो उर्वरक हमें प्राप्त होते हैं उनके लिये क्या हमें भुगतान करना पड़ता है अथवा वे मुफ़्त दिये जाते हैं ?

श्री किदवई : हमें भुगतान नहीं करना पड़ता। जो मूल्य हमें मिलता है वह विकास कार्यक्रमों के लिये प्रयुक्त किया जाता है।

समुद्र पार संचरण सेवा

*१०७०. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि समुद्रपार संचरण सेवा के लिये कलकत्ता तथा मद्रास में ट्रांसमिशन स्टेशन स्थापित करने की तैयारी किस प्रक्रम पर है ?

(ख) प्रत्येक स्टेशन की निर्माण लागत कितनी कितनी प्राक्कलित की गई है ?

(ग) समुद्रपार संचरण सेवा में विस्तार करने के लिये और क्या क़दम उठाये जायेंगे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) कलकत्ता स्टेशन के लिये ज़मीन ली गई है तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इमारतों के प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं। सामान का आर्डर भी भेज दिया गया है। स्थायी इमारतें बन जाने और वहां सामान प्रतिस्थापित हो जाने तक एक अस्थायी स्टेशन १२ मार्च, १९५३ से स्थापित किया गया है जो कि कलकत्ते और लन्दन के मध्य सीधी वायरलेस टेलीग्राफ़ सेवा कार्यार्पित कर रहा है।

मद्रास स्टेशन के लिये उपयुक्त स्थान देखे जा चुके हैं और उन्हें लेने के लिये कार्यवाई की जा रही है।

(ख) प्रत्येक स्टेशन की ज़मीन और इमारत का प्राक्कलित मूल्य १८ लाख रुपये है।

(ग) समुद्र पार संचरण सेवा की पंचवर्षीय विकास योजना में इसके अतिरिक्त दिल्ली स्थित समुद्रपार संचरण सेवा स्टेशन के विस्तार तथा उसके वर्तमान ट्रान्समिटर एवम् रिसीविंग स्टेशन के आधुनिकीकरण का उपबन्ध किया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लन्दन से सीधे सम्बन्ध का क्या अर्थ है ? क्या बम्बई के प्रधान कार्यालय में कोई अभिलेख नहीं होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इनमें से प्रत्येक स्टेशन के लिये पृथक् पृथक् व्यवस्था करने का विचार है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि बम्बई, दिल्ली और मद्रास के अतिरिक्त इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई और दूसरा कार्यक्रम भी इस सिलसिले में मिनिस्ट्री के पास है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह जो पांच साल का प्रोग्राम है ओवरसीज़ कम्युनिकेशन्स सर्विस के बढ़ाने का, इसमें एक तो कलकत्ते में है जिसके बारे में कार्यवाही की जा रही है, दूसरे दिल्ली में जो हमारा पुराना स्टेशन है उसको और बढ़ाया जा रहा है, तीसरे बम्बई में जो बहुत से स्टेशंनस हैं उनकी मशीनें बहुत पुरानी हो गई हैं इसलिये वहां पर नई मशीनें लगायी जा रही हैं और चौथे मद्रास में नया स्टेशन खोलने की तज़वीज़ है।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री जी ने कहा कि सन्देश लन्दन को सीधे भेजे जायेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य देश भी लन्दन के ज़रिये सम्बन्धित होंगे अथवा दूसरा सीधा प्रबन्ध किया जायगा ?

श्री के० डी० मालवीय : अन्य देशों से भी सम्बन्ध स्थापित किया गया है और किया जायगा। कलकत्ते को लन्दन से सम्बन्धित किया जायगा। ठीक ठीक ब्यौरे के लिए मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ओवरसीज़ कम्युनिकेशन्स सर्विस के लिये कौन सी नई योजनायें आप ईज़ाद करना चाहते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : कलकत्ते, बम्बई और मद्रास की मैं ने बताई तो ।

श्री एस० एल० द्विवेदी : मैं पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस पांच साल की योजना में एक करोड़ रुपया खर्च करने की स्कीम है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम छोटे छोटे प्रश्नों पर बहुत अधिक समय ले रहे हैं । अगला प्रश्न ।

जापानी प्रणाली से चावल की खेती

*१०७१. **श्री बी० एन० राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जापानी प्रणाली से किन किन क्षेत्रों में धान की खेती होती है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र (विशेषकर नैनीताल), जहां कि सहकारी खेती तथा राज्य खेती बड़े पैमाने पर चल रही है, नई प्रणाली के प्रयोग के लिये उपयुक्त होगी; और

(ग) इस प्रणाली को लागू करके क्या सरकार का सहकारी खेती तथा बड़ी सरकारी फार्मों को प्रोत्साहित करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) इस प्रयोग के लिये उन क्षेत्रों को चुना जायेगा जहां कि पौद लगा कर धान उगाया जाता है । और जहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है ।

(ख) जी नहीं । यह प्रणाली उन स्थानों पर प्रयोग की जायगी जहां कि पानी की उपलब्धता सुनिश्चित है ।

(ग) यह प्रणाली उन सब सरकारी फ़ार्मों पर प्रयोग की जायगी जहां कि धान उगाया जाता है । गांवों में लोगों के सामूहिक उत्साह का खेती के कार्यों जैसे पौद लगाने निराने इत्यादि में प्रयुक्त करने का इरादा है ।

श्री बी० एन० राय : क्या मैं जान सकता हूं कि यह प्रणाली इससे पूर्व भारत में कहीं प्रयोग में लाई गई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, बम्बई राज्य में बहुत विस्तृत रूप से । अभी हाल ही में मैं ने इस प्रणाली से उगाये गये एक खेत को देखा था ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को विदित है कि यह प्रणाली त्रावनकोर-कोचीन के लिये कोई नई नहीं है, अपितु किसानों के पास पर्याप्त रुपया नहीं है और सरकार उन्हें खाद देती नहीं है तथा खाद का मूल्य अधिक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम किसी अन्य प्रश्न पर पहुंच रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह प्रश्न आंशिक रूप से सच है । इस प्रणाली की कई बातों से हम भिज्ञ हैं । किन्तु सम्पूर्ण रूप में यह यहां कहीं काम करती नहीं देखी गई । हम इस योजना का भारत भर में बड़े

पैमाने पर प्रयोग करना चाहते हैं। चूंकि इसके कुछ पहलू नवीन हैं। अतएव हमने इसे जापानी प्रणाली कहा है। यदि कुछ लोग यह पसन्द नहीं करते, तो हमें इस बात की कोई ज़िद नहीं है।

श्री वैलायुधन : यह विशिष्ट प्रणाली किस बात में केराला तथा तामिलनाड में विद्यमान प्रणाली से भिन्न है ?

डा० पी० एस० देशमुख: इसको एक प्रश्न के उत्तर में वर्णित नहीं कर सकता। अब तक तो माननीय सदस्य ने इसे उन पत्रिकाओं से ही जान लिया होगा जो हमने प्रकाशित की हैं।

श्री सारंगधर दास: क्या मैं जान सकता हूं कि प्रयोगात्मक फ़ार्मों के अलावा सरकार का विचार प्रदर्शन फ़ार्मों का भी अर्थात् स्वयं किसानों की ज़मीनों कर प्रदर्शन है ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां, बहुत बड़े पैमाने पर। हमारा लक्ष्य किसानों की ज़मीनों पर सहस्रों प्रदर्शन करने का है।

श्री जसानी: क्या किसानों को प्रशिक्षित करने का कोई प्रबन्ध है ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां। हम केवल इश्तिहारों इत्यादि द्वारा ही प्रचार नहीं करते हैं वरन् इसे इस प्रकार संगठित करने का प्रयत्न करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में किसानों को प्रदर्शन का लाभ पहुंच सके।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जापानी तरीक़े में कौन सी ऐसी ख़ास बात है जिससे यह तरीक़ा इस देश में लागू किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): अगर आनरेबुल मेम्बर किसी डिमान्सट्रेशन फ़ार्म पर जायें तो ग़ालिबन उनकी समझ में आ जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री जी० पी० सिन्हा : श्रीमान्, एक प्रश्न।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने आधे घंटे में पांच प्रश्न भी समाप्त नहीं किये हैं। अगला प्रश्न।

किरिहिरापुर व इन्दरा रेलवे स्टेशनों के बीच दुर्घटना

*१०७२. **श्री बी० एन० राय** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष उत्तर पूर्वी रेलवे में किरिहिरापुर तथा इन्दरा रेलवे स्टेशनों के मध्य हुई रेल दुर्घटना सम्बन्धी जांच क्या पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या थे ; और

(ग) मृत तथा आहत व्यक्तियों के सम्बन्धियों को क्या क्षतिपूर्तियां देने का विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना का कारण किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रेल-मार्ग को हानि पहुंचाना है।

(ग) बलिया के ज़िलाधीश को, जो कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा ८२-ख के अन्तर्गत पदेन दावा आयुक्त हैं, चार दावे प्राप्त हुये हैं और उसके विचाराधीन हैं।

श्री बी० एन० राय: क्या मैं जान सकता हूं कि मृत व्यक्तियों के सम्बन्धियों को जो कि उसी गाड़ी से सफ़र कर रहे थे उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे उनके सम्बन्धी हैं या नहीं, मृत शरीरों को क्यों नहीं देखने दिया गया ?

श्री शाहनवाज खां : दुर्घटना में तीन मृत्युयें हुई थीं और तीनों की शिनाख्त हो गई थी ।

नैनीताल एक्सप्रेस (दुर्घटना)

*१०७३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि १५ फ़रवरी १९५३ को डाउन नैनीताल एक्सप्रेस दुर्घटना ग्रस्त हुई थी, और यदि हां तो दुर्घटना के कारण क्या थे तथा रेलवे को कितनी क्षति उठानी पड़ी ;

(ख) क्या कोई यात्री घायल हुये थे ; तथा

(ग) दुर्घटना के कितनी देर बाद सहायता पहुंचाई गई तथा लाईन साफ़ हुई ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां, १५ फ़रवरी, १९५३ को प्रातः लगभग ४ बजकर ५४ मिनट पर जब कि ८ डाउन नैनीताल एक्सप्रेस भोजीपुरा स्टेशन में घुस रही थी तो उसका इंजन और इंजन के पीछे के तीन डिब्बे पटरी से उतर गये । रेलवे सम्पत्ति को लगभग १३४५ रुपये की हानि हुई । एक संयुक्त जांच की गई है तथा दुर्घटना का कारण जानने की प्रतीक्षा है ।

(ख) दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ ।

(ग) सहायता गाड़ी एक घंटा ४६ मिनट में दुर्घटना के स्थान पर पहुंची और उसके ६ घंटे के अन्दर सीधा यातायात प्रारम्भ हो गया ।

ग्रामीय डाकघर

*१०७४. **श्री बी० एन० राय :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५३-५४ में सरकार का विचार ग्राम-क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान २८ मार्च, १९५३ को जारी किये गये प्रेस नोट की ओर आकर्षित किया जाता है जिसकी एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ख) सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या का हिसाब लगाया जायगा । इस समय कोई अंदाज़ नहीं दिया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर हम परसों चर्चा कर चुके हैं ।

श्री बी० एन० राय : क्या मैं जान सकता हूं कि ग्राम क्षेत्रों में भी हिन्दी में तार भेजने की सुविधा दी जायेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : धीरे धीरे करके, किन्तु यह सब परसों दिये गये विवरण में तथा संचरण मंत्रालय द्वारा दिये गये विवरण में भी स्पष्ट किया जा चुका है ।

सिवनी रेलवे स्टेशन के निकट रेल दुर्घटना

*१०७५. **श्री आर० बी० शाह :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे की नैनपुर–छिंदवाड़ा छोटी लाइन पर स्थित सिवनी और मोमा स्टेशनों के बीच १५ फ़रवरी, १९५३ को कोई रेल दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना में जन और धन की कितनी हानि हुई तथा रेलवे को कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या घायल व्यक्तियों को समय पर उचित सहायता पहुंचाई गई ;

(घ) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है यदि हां तो इसके लिये कौन कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं ; तथा

(ङ) क्या दुर्घटना के उत्तरदायी व्यक्तियों को दंड दिया गया ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां । १५ फ़रवरी, १९५३ को प्रातः लगभग ६ बजे एक अप मालगाड़ी एक डाउन पैसिंजर गाड़ी से सिओनी और भोमा स्टेशनों के बीच टकरा गई थी ।

(ख) कोई मरा नहीं । मालगाड़ी के ड्राइवर तथा एक वृद्ध स्त्री के अतिरिक्त, जिसको कि गहरी चोट आई, ३० मुसाफ़िरों को मामली चोटें आईं । रेलवे की सम्पत्ति को अनुमानतः ७,००० रुपये की हानि हुई ।

(ग) जी हां, दुर्घटना के ठीक पश्चात् दोनों गाड़ियों के गार्डों ने आहतों का प्राथमिक उपचार किया और सिवनी के अस्पताल के असिस्टेंट सर्जन ने भी जो कि साढ़े नौ बजे वहां पहुंचे प्राथमिक उपचार किया । उपर्युक्त ड्राइवर तथा वृद्ध स्त्री के अतिरिक्त, जिन्हें कि कार द्वारा सिवनी अस्पताल भेज दिया गया, शेष को प्राथमिक उपचार के बाद घर जाने दिया गया ।

(घ) जी हां । एक पदाधिकारी समिति द्वारा संयुक्त जांच की गई थी । समिति की उपपत्ति है कि भोमा तथा सिवनी स्टेशनों के स्टेशन मास्टर इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी हैं ।

(ङ) उत्तरदायी ठहराये व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है

श्री आर० बी० शाह : क्या ये स्टेशन मास्टर पहले भी किसी एक्सीडेंट में इनवोल्व हुए थे ?

श्री शाहनवाज़ खां: इस सावल के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री जयपाल सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि "एक वृद्धि स्त्री" से क्या तात्पर्य है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : माननीय सदस्य से अधिक उम्र की ।

श्री जयपाल सिंह : किस प्रकार पर कोई वृद्ध स्त्री बन जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य उसका नाम चाहते हैं ? मैं ठीक से समझ नहीं पाया ।

श्री शाहनवाज़ खां : उसकी उम्र ६० वर्ष है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न : सेठ गोविन्द दास ।

सेठ गोविन्द दास : चूंकि मेरा प्रश्न हिन्दी में है, इस लिये उत्तर भी मैं हिन्दी में चाहूंगा ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): मेरे बाज़ साथी ऐसे हैं जो हिन्दी नहीं जानते थे, मगर उन्होंने कोशिश की और अब वे हिन्दी समझने लगे हैं और हिन्दी में सप्लीमेंटरी सवालों का जवाब दे देते हैं । हमें उम्मीद करनी चाहिये कि वह बहुत जल्द इस क़ाबिल हो जायेंगे कि हिन्दी बोलने भी लगेंगे । इस लिये सरेदस्त उन्हें इसके लिये मजबूर नहीं करना चाहिये ।

सेठ गोविन्द दास : मैं ने तो केवल आशा व्यक्त की थी कि मुझे आशा है कि जब मेरा प्रश्न हिन्दी में है तो उसका उत्तर भी हिन्दी में होगा ।

मौलाना आज़ाद : उम्मेद है कि बहुत जल्द ऐसा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य हिन्दी में पटु हैं। यह ज़बरदस्ती हिन्दी को लादने का प्रश्न नहीं है। मैं बराबर इस बात को देख रहा हूं। १५ वर्ष भी जो कि संविधान में दिये गये हैं यहां नहीं दिये जा रहे हैं और माननीय सदस्य यह प्रश्न उठाते हैं। और बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम हिन्दी नहीं समझ सकते। माननीय सदस्यगण बच्चे नहीं हैं। वे बड़े हैं और हिन्दी सीखने में उन्हें कुछ समय लगेगा। इसलिये हिन्दी में रुचि रखने वालों को यह नहीं दिखलाना चाहिये कि वे अत्यधिक जल्दबाज़ी करना चाहते हैं। दूसरों को सीखने के लिये पर्याप्त समय देना चाहिये। वे अवश्य ही सीख लेंगे। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने ऐसा कहा।

चावलों का संरक्षण

*१०७६. **सेठ गोविन्द दास:** खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के विशेषज्ञों ने अमेरिकन विशेषज्ञ योनन मलिक द्वारा किये गये चावल संरक्षण के नवीन अनुसन्धान पर प्रयोग किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): मलिक की चावल रीति का भारत में प्रयोग नहीं किया गया है।

सेठ गोविन्द दास: क्या इस बात की अभी कोई योजना बन रही है कि इस रीति को भारतवर्ष में चलाया जाय ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं। यह सवाल जब प्लैनिंग कमिशन के सामने गया तो उन की राय यह हुई कि इस में बहुत ज्यादा खर्च होता है क्योंकि यह प्लान्ट क़रीब सात लाख रुपये का होता है इसलिये इस का करना मुनासिब नहीं है।

सेठ गोविन्द दास: जहां कहीं भी चावल बरबाद होता है यदि उन खास खास स्थानों पर सात लाख रुपये खर्च कर के भी एक प्लाण्ट लगाया जाय तो क्या उसे अधिक खर्च समझा जायगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): आपकी तज़वीज़ प्लैनिंग कमीशन के पास भेज दी जायगी।

सेठ गोविन्द दास: आपकी सिफ़ारिश के साथ या बिना किसी सिफ़ारिश के ?

श्री किदवई : बग़ैर कोई राय दिये हुये।

श्री दाभी: चावल के संरक्षण की यह नई विधि क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : चावल को उबाल कर एक विशिष्ट प्रक्रिया से व्यवहृत किया जाता है। इसके कुछ लाभ हैं, किन्तु कुछ हानियां भी हैं।

कृषि पशु प्रजनन गवेषणा केन्द्र, जबलपुर

*१०७७. **श्री गिडवानी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर में सन् १९४७ में जो कृषि पशु प्रजनन गवेषणा केन्द्र खोला गया था वह बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस केन्द्र के लिये जो ३,००० (हज़ार) एकड़ भूमि अधियाचित की गई थी उस पर १९४७ से खेती नहीं हुई है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस ज़मीन का प्रयोग इसे विस्थापित व्यक्तियों को पट्टे पर उठा कर किया जा सकता था ; तथा

(घ) केन्द्र किस प्रयोजन के लिये खोला गया था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं,—३३९ एकड़ भूमि पर अनाज तथा चारा उगाने के लिये केन्द्र

द्वारा खेती की गई थी और ५०३ एकड़ आसामियों को अनाज उगाने के लिये पट्टे पर दी गई।

(ग) जब कि यह केन्द्र बन्द किया गया, तो अनाज तथा चारा उगाने योग्य ज़मीन विस्थापित कृषकों को पुनर्वासित करने के लिये पुनर्वास मंत्रालय को दे दी गई।

(घ) यह केन्द्र ऐसे प्रकार के पशुओं की नस्ल विकसित करने के लिये चलाया गया था जो कि दूध भी अधिक दें और काम में भी अधिक सक्षम हों।

श्री गिडवानी : क्या ज़मीन विस्थापित व्यक्तियों में बांट दी गई है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यह प्रश्न पुनर्वास मंत्रालय से पूछा जा सकता है।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि जितनी ज़मीन वहां पर पड़ी हुई है, अर्थात् जबलपुर में, उस का बहुत कम हिस्सा खेती के काम में आ रहा है और शेष के लिये कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है कि वह काम में आये ?

श्री किदवई : जो बात सेठ गोविन्द दास ने कही है वह सही है और मुझे अफ़सोस है कि वहां के काम करने वाले ज़मीन का इस्तेमाल नहीं जानते।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि वहां के कुछ लोग इस ज़मीन को लेना चाहते थे और इस से वह आशा भी थी कि वहां की पैदावार बढ़ेगी क्योंकि वहां आबपाशी हो सकती थी, लेकिन वह ज़मीन उन लोगों को नहीं दी गई ?

श्री किदवई : यह ज़मीन बहुत दिनों से खाली थी और अभी थोड़े दिन हुये वह गवर्नमेंट के पास आई है। अगर उस के पहले वह लोग काश्त करना चाहते तो उस में कोई रुकावट नहीं थी।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि पहले जबलपुर वालों में से कई लोगों ने उस ज़मीन को प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन गवर्नमेंट की सुस्ती की वजह से वह ज़मीन खाली पड़ी रही ?

श्री किदवई : मैं मध्य प्रदेश को आपकी राय भेज दूंगा कि उन की गवर्नमेंट की सुस्ती की वजह से यह ज़मीन खाली पड़ी रही।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से इस ज़मीन का कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि केन्द्रीय सरकार से है ?

श्री किदवई : आजकल होगा, पहले नहीं था।

सेठ गोविन्द दास : उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बहुत शीघ्रता से बोलते चले जा रहे हैं। क्या उन्हें तमाम अनुपूरक पूछने की अनुमति दी जा सकती है ?

सेठ गोविन्द दास : इसका सम्बन्ध जबलपुर से है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच है कि जो काम इस फ़ार्म में हो रहा था वह पंजाब की किसी फ़र्म को सौंप दिया गया ? यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब फ़ार्म में पशु प्रजनन कार्य हो रहा है अथवा यह केवल डेरी का काम कर रही है ?

श्री किदवई : यह ठीक है कि इस काम को पंजाब के फ़ार्म को सौंप दिया गया है। यह प्रश्न गत सप्ताह ही सदन में रक्खा गया था और इसका उत्तर दिया गया था।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि जो पदाधिकारी इस फ़ार्म को जबलपुर में प्रारम्भ करने के लिये और इसे बन्द करने

के लिये उत्तरदायी था अब कृषि मंत्रालय में अवैतनिक परामर्शदाता है ?

श्री किदवई : यदि माननीय सदस्य पूर्व सूचना दें तो यह मालूम करने का प्रयत्न किया जायेगा कि जबलपुर में फ़ार्म चलाने का विचार मूलत: किसका था ।

पंडित के० सी० शर्मा : जबलपुर में पशु प्रजनन की असफलता के क्या कारण थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसका एक लम्बा इतिहास है । मूलत: विचार यह था कि इस केन्द्र में द्विकार्यी नस्लों का अन्वेषण किया जाय । फिर, आर्थिक कठिनाई के कारण, इन बड़ी बड़ी योजनाओं के लिये आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं हो सकी और इसलिये फ़ार्म वहां से हटा कर करनाल ले जाना पड़ी ।

डा० सूरेश चन्द्र : इस केन्द्र पर सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सन् १९५७ से जनवरी, १९५३ के अन्त तक इस फ़ार्म पर कुल व्यय २१,३१,३१३ रुपये हुआ ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि जबलपुर से इस फ़ार्म को हटाने के बाद अब जहां वह रखा गया है वहां भी इस काम में नुक़सान हो रहा है, और अगर जबलपुर में वह फ़ार्म रखा जाता तो यह जो नुक़सान हो रहा है यह अब तक बन्द हो जाता ?

श्री किदवई : जबलपुर में नुक़सान ही नुक़सान था । दूसरी जगह पर अगर एक चीज़ में नुक़सान है तो दूसरे काम में कुछ फ़ायदा भी हुआ है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि दूसरी जगह किस काम में फ़ायदा होता है और जबलपुर में किस तरह सब चीज़ों में नुक़सान होता था ?

श्री किदवई : इस साल चावल बोने में काफ़ी फ़ायदा हुआ है ।

श्री टी० एन० सिंह : एक वर्ष पूर्व सरकार ने हमें यह सूचना दी थी कि इस फ़ार्म को इसलिये स्थानान्तरित कर दिया गया चूंकि यह समझा गया कि यह कार्य दूसरी जगह करना ठीक रहेगा । अब यह कहा जा रहा है कि यह फ़ार्म नुक़सान में चल रहा था और इस कारण के यहां काम बन्द कर दिया गया । आज माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि इस काम को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है । मैं किस बात पर विश्वास करूं और किस पर नहीं ?

श्री किदवई : किसी बात पर विश्वास मत कीजिये ।

श्री केलप्पन: क्या मैं जान सकता हूं कि इस दौरान में फ़ार्म से कितना रुपया प्राप्त हुआ ?

श्री किदवई : कौन सी फ़ार्म से ? अब हम दो भिन्न भिन्न फ़ार्मों की बात कर रहे हैं ।

श्री केलप्पन : जबलपुर वाली फ़ार्म से ।

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं । मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को विदित है कि जबलपुर फ़ार्म के पशुओं की बड़ी संख्या एक डेरी फ़ार्म वाले को बेच दी गई जो कि भारत सरकार के उस परामर्शदाता का रिश्तेदार है ?

श्री किदवई : मैं माननीय सदस्य की शिक़ायत पर ग़ौर करने के लिये तैयार हूं और यदि वह इस सम्बन्ध में कुछ और ब्यौरा दें तो मैं इसकी छानबीन करूंगा ।

सैनिक महत्व की रेलें

*१०७८. **श्री के० सी० सोधिया:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सैनिक महत्व की रेलों की कुल लम्बाई, ज़ोनवार, कितनी है ?

(ख) इन रेलवे लाइनों पर कुल कितनी राशि विनियोजित है ?

(ग) किसी रेलवे लाइन को सैनिक महत्व की श्रेणी में रखने के लिये क्या क्या बातें विचारगत की जाती हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) केवल उत्तर रेलवे पर २६.८७ मील ।

(ख) लगभग ३.७७ करोड़ रुपये ।

(ग) देश की रक्षा की आवश्यकता ।

श्री के० सी० सोधिया: क्या ये सब सैनिक महत्व की लाइनें नुक़सान में चल रही हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां: जैसा मैं ने बतलाया, केवल एक ही सैनिक महत्व की रेलवे लाइन है । सैनिक महत्व की रेलें मुख्यत: देश के रक्षार्थ बनाई जाती हैं न कि लाभ के लिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया कि सैनिक महत्व की रेलें देश के रक्षार्थ होती हैं, तो क्या जो रेलें भारत तथा पाकिस्तान के मध्य की सीमा पर चलती हैं उन्हें भी सैनिक महत्व की रेलें समझा जाता है ?

श्री शाहनवाज़ खां: जी नहीं, वे सैनिक महत्व की रेलें नहीं समझी जातीं।

श्री सी० आर० नरसिंहन: इस सैनिक महत्व की रेल के लाभ हानि का लेखा क्या है ?

श्री शाहनवाज़ खां: मैं पूर्वसूचना चाहता

श्री एम० एल० द्विवेदी: यदि इस रेलवे लाइन पर हानि हो तो यह रक्षा मंत्रालय के ज़िम्मे आयेगी अथवा रेलवे मंत्रालय के ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): यह निर्णय अभी नहीं हुआ है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: कौनसी रेलवे लाइन वास्तव में सैनिक महत्व की समझी जाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसी केवल एक ही रेलवे लाइन है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: वह केवल मात्र रेलवे लाइन कौन सी है ?

श्री शाहनवाज़ खां: यह रेलवे लाइन मुकेरियन से पठानकोट तक की है ।

बागानों की त्रिदलीय स्थायी समितियां

*१०८१. **श्री के० पी० सिन्हा:** (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २७ फ़रवरी, १९५३ को शिलांग में त्रिदलीय बागान स्थायी समिति की कोई बैठक हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

(ग) बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई थी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) से (ग) २७ फ़रवरी, १९५३ को स्थायी बागान समिति की एक विशेष बैठक शिलांग में भी हुई थी जिसमें कि चाय बागान में दिये जाने वाले अनाज कंसेशन को नक़द भुगतान में परिणत करने के प्रश्न पर चर्चा हुई थी । किन्तु अनाज के बदले कितना नक़द कंसेशन दिया जाये इस बात पर कोई समझौता नहीं हो सका । किन्तु चर्चा के

परिणामस्वरूप उद्योग तथा श्रम के मध्य का मतभेद काफ़ी पट गया।

श्री के० पी० सिन्हा: मतभेद क्या था ?

श्री आबिद अली: मतभेद ढाई आने के बारे में था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: नकद कंसेशनों के सम्बन्ध में अंत में वास्तविक परिणाम क्या निकला ?

श्री आबिद अली: उस सम्मेलन में कोई समझौता नहीं हो सका।

श्री के० पी० सिन्हा: क्या सवेतनिक छुट्टी पर समझौता हो सका ?

श्री आबिद अली: सम्मेलन का कार्य सूची में यह मद सम्मिलित नहीं किया गया था।

श्री टी० के० चौधरी: क्या मैं जान सकता हूं कि यह सत्य है कि नक़द प्रतिकर के प्रश्न को चाय बागान के मालिकों के प्रतिनिधि अपने मालिकों को निर्दिष्ट करना चाहते थे ? यदि हां, तो क्या उनका उत्तर आ गया है ? क्या सरकार को इस बारे में मालूम है ?

श्री आबिद अली: जी हां। बागान मालिकों के प्रतिनिधि अपने प्रमुखों से मशविरा करना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने हमें लिखा कि वे ७ १/२ आने भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: सरकार का प्रस्ताव क्या था और मालिकों तथा मज़दूरों के प्रति प्रस्ताव क्या थे ?

श्री आबिद अली: सरकार का विचार था कि यदि ९ १/२ आने पर समझौता हो जाता तो दोनों दलों के लिये ठीक रहता।

दिल्ली की बीमा समवायों में विवाद

*१०८२. **श्रीमती सुषुमा सेन:** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) जनवरी, १९५१ से अब तक दिल्ली में बीमा समवायों के कितने विवाद समझौता कार्यालय को निर्दिष्ट किये गये;

(ख) वे तारीखें जब कि समझौता पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये और जबकि श्रम मंत्रालय को वे प्रतिवेदन प्राप्त हुये;

(ग) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों को कोई अन्तरिम राहत दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विवादों के शीघ्र निर्णयन के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) ३२।

(ख) ३२ मामलों में से, १४ समझौता पदाधिकारी (केन्द्रीय) दिल्ली द्वारा व्यवहृत कर दिये गये, ४ समझौता पदाधिकारी के कार्यालय में विचाराधीन हैं तथा ८ पर श्रम आयुक्त के कार्यालय में विचार हो रहा है। शेष ६ मामलों में, वे तारीखें जब कि मुख्य श्रम आयुक्त को समझौता पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये और जब कि वे इस मंत्रालय को प्राप्त हुये, सदन पटल पर रक्खे गये विवरण में दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २२]**

(ग) जी नहीं। आन्तरिक राहत देने सम्बन्धी कोई क़ानूनी उपबन्ध नहीं है।

(घ) विवादों का शीघ्रता से निबटारा करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

श्रीमती सुषुमा सेन: क्या मैं जान सकती हूं कि जब कि समझौता के मामलों को

निर्णयन सम्बन्धी सरकारी व्यवस्था में विलम्ब होता है तो अनुचित रूप से सताये गये कर्मचारियों को कोई आन्तरिक राहत क्यों नहीं दी जाती ?

श्री आबिद अली : हमें निश्चय ही प्रसन्नता होगी यदि मालिक लोग राहत दें। किन्तु वे इसके लिये तैयार नहीं हैं।

दक्षिण बुलेरी केंडवाडिया कोयला खदान में हड़ताल

*१०८३. **श्री एन० पी० सिन्हा :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि दक्षिण बुलेरी केंडवाडिया कोयला खदान में लगभग २,४०० खनिकों ने हड़ताल कर दी है ?

(ख) यदि हां, तो कब से तथा हड़तालियों की संख्या क्या है ?

(ग) हड़तालियों की क्या मांगें हैं ?

(घ) क्या उन्हें चावल आदि कन्सेशन दर पर मिल रहा है ?

(ङ) क्या समझौता होने की सम्भावना है और यदि हां तो क्या कठिनाइयां हैं जिनके कारण विलम्ब हो रहा है ?

(च) सरकार द्वारा समझौता कराने के अब तक क्या क़दम उठाये गये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). जी हां। २४०० मज़दूरों में से लगभग २२०० ने २३ फ़रवरी, १९५३ को हड़ताल कर दी।

(ग) मज़दूरों की मांगें दिखलाते हुये एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २३]**

(घ) व्यवस्थापकों ने नोटिस जारी कर दिया कि हड़ताल के दौरान में हड़ताली लोग कन्सेशन रेट पर अपना राशन पाने के हक़दार नहीं होंगे।

(ङ) और (च). सरकार के समझौता विभाग के पदाधिकारियों द्वारा समझौता कराने का पूरा प्रयत्न किया गया था किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। किन्तु समझौता कार्यवाही के दौरान में, यूनियन ने अपनी सात मांगें छोड़ दीं। शेष नौ मांगों में से, तीन को निर्णय के उपयुक्त नहीं समझा गया, तीन समस्त खनिकों के सामान्य हितों से सम्बन्धित थीं जिन पर अलग ध्यान दिया जा रहा है और शेष तीन मांगें नामतः मांग संख्या ३, ४ और ११ न्याय-निर्णय के लिये सौंप दी गई हैं। हड़ताल जारी रखने की मनाही का भी एक आदेश जारी कर दिया गया है।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि किस तारीख को यह न्याय-निर्णय के लिये निर्दिष्ट किया गया था ?

श्री आबिद अली : १७ मार्च, १९५३ को।

श्री रामानन्द दास : क्या हड़ताल का मुख्य कारण नोखारी सरदार, जो कि आई० एन० टी० यू० सी० में शामिल हो गया था, का बरखास्त कर दिया जाना था ?

श्री आबिद अली : जी नहीं। हमारी सूचना के अनुसार, मुख्य कारण यह नहीं था।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि हड़ताली मज़दूरों को कम से कम सरकारी लागत पर कंसेशन रेट से चावल दिया जायगा ?

श्री आबिद अली : लेकिन अब तो हड़ताल वापस ले ली गई है।

डेरी समिति

*१०८५. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की

कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा संयोजित डेरी समिति की एक बैठक १२ मार्च, १९५३ को पूना में हुई थी ?

(ख) इस समिति की सिफ़ारिशें क्या थीं ?

(ग) क्या इस समिति ने अथवा सरकार ने कोई योजना तैयार की है जिससे कि कम से कम देश की बीमार, अशक्त और शिशु जनसंख्या को दूध उपलब्ध कराया जा सके ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां ।

(ख) इस समिति की सिफ़ारिशों की एक प्रति सदन पटल पर रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ग) जी नहीं ।

श्री के० पी० सिन्हा: क्या शुद्ध दूध प्रदान करने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह हमारा काम नहीं है । यह काम राज्यों का है । हम तो यह काम केवल प्रयोग करके करते हैं ।

कड्डलोर न्यू टाउन रेलवे स्टेशन

*१०८६. **श्री मुनिस्वामी:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में रेल उपमंत्री मद्रास राज्य में कड्डलोर न्यू टाउन रेलवे स्टेशन को देखने के लिये गये थे ?

(ख) इस स्टेशन के नवनिर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

(ग) यह कब तक पूरा होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). छोटी मोटी फिटिंग के अतिरिक्त, कार्य पूरा हो चुका है । फ़िटिंग के अप्रैल, १९५३ तक पूरा हो जाने की आशा है ।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि प्राक्कलन पर स्वीकृति कम दी गई थी और इस अनुचित विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री शाहनवाज़ खां: जैसा मैं ने बतलाया, सब चीज़ अप्रैल, १९५३ तक बन कर तैयार हो जायेंगी ।

श्री नम्बियार: स्वीकृत राशि क्या थी और प्रयुक्त की गई राशि क्या है ? मेरी सूचना है कि ८ लाख.....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है । खर्च की गई राशि क्या है ?

श्री शाहनवाज़ खां: १९४७ में, ७,६९,५०० रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी । बाद में, १९४९ में, प्राक्कलनों को पुनरीक्षित किया गया और देश में बरती जाने वाली मितव्ययता की दृष्टि में, यह राशि ३,७३,५०० रुपये कर दी गई ।

श्री नम्बियार: क्या मैं जान सकता हूं कि इस मितव्ययता से यह स्टेशन पूरा बनेगा अथवा काट दिया जायेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां: जैसा मैं ने बतलाया, मितव्ययता करने के कारण हमें इस राशि में कटौती करनी पड़ी । किन्तु ३,७३,००० रुपये के अतिरिक्त मार्च, १९५० में १,८४,००० रुपये और स्वीकृत हुये और यह राशि सन् १९५०-५१ में प्रयुक्त की जा रही है ।

श्री नम्बियार: श्रीमान्, एक प्रश्न और । यह बड़ी गम्भीर बात है.....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को मालूम है कि अन्य सदस्य भी ऐसे स्थानों से आते हैं ।

तेल वाहक जहाज़

*१०८८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत को कितने तेल वाहक जहाज़ों की आवश्यकता है ; और

(ख) इस समय भारत के पास कितने तेल वाहक जहाज़ हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : यह अनुमान लगाया गया है कि पेट्रोलियम पदार्थों के हमारे आयातों को ढोने के लिये लगभग २५ टैंकरों की आवश्यकता होगी ।

(ख) भारत के पास अभी कोई टैंकर नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : कितने दिन के अन्दर हमारे पास ये सब टैंकर हो जावेंगे ? पच्चीस टैंकर की हम को ज़रूरत है, तो कितने दिनों में सब हमारे पास हो जावेंगे ?

श्री शाहनवाज़ खां : अभी तक तो हमारे पास कोई भी नहीं है और यह मसला मिनिस्ट्री के ज़ेरे ग़ौर है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या टैंकर लेने सम्बन्धी कोई बातचीत इस समय चल रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : टैंकरों का चलाना और उनकी व्यवस्था अत्यन्त टेकनीकल कार्य हैं क्योंकि उन्हें स्थैर्य-भार सहित लेजाना पड़ता है और इसलिये हमने अपने टैंकर रखने का विचार नहीं किया है। किन्तु अभी हाल ही में मंत्रिमण्डल ने यह प्रश्न लिया है और मुझे आशा है कि बहुत शीघ्र ही इस बारे में कुछ किया जायगा ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि बम्बई तथा अन्य स्थानों पर जो तेल कम्पनियां अपनी परिष्करिणियां स्थापित कर रही हैं उन के अपने टैंकर होंगे अथवा टैंकर सरकार देगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : या तो उनके अपने टकर होंगे अथवा वे उन्हें किराये पर ले लेंगी । मेरे ख्याल में यही व्यवस्था चलेगी ।

मद्रास तथा मलाया के बीच चलने वाले यात्री जहाज़

*१०८३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास तथा मलाया के बीच चलन वाले यात्री ज़हाज़ों की संख्या कितनी है ;

(ख) जहाज़ों की कमी के कारण क्या यात्रियों को तीन-तीन मास तक रुकना पड़ता है ; तथा

(ग) यात्रियों को सुविधा पहुंचाने तथा अत्यधिक भीड़ कम करने के लिए क्या सरकार इस समुद्री मार्ग पर यात्री-पोतों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) मद्रास तथा मलाया के मध्य नियमित रूप से चलने वाले जहाज़ों की संख्या दो है ।

(ख) जी हां, यह सूचना मिली है कि मलाया जाने वासे मुसाफिरों को काफ़ी अरसे तक मद्रास और नागपट्टीनाम में प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।

(ग) जी हां, इस मार्ग पर और अधिक जहाज़ों की व्यवस्था करने के प्रश्न को सम्बन्धित जहाज़ कम्पनियों के साथ उठाया गया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : ये जो दो जहाज़ चलते हैं क्या यह हिन्दुस्तानी जहाज़ हैं ? यह किस कम्पनी के जहाज़ हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : ये दोनों हिन्दुस्तानी जहाज़ हैं ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि जो मुसाफिर मद्रास और नागपट्टीनाम से मलाया जाना चाहते हैं उनको इन पत्तनों पर सरकार द्वारा स्थान की सुविधा प्रदान की जाती है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी हां, दी जाती है ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि जहाज़ों में स्थान मिलने में जो इतना विलम्ब होता है उसकी दृष्टि में सरकार को ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन जगहों पर स्थान नहीं मिलता ?

श्री शाहनवाज़ खां : सरकार इस बात से अवगत है कि अनेकों यात्री जो कि मलाया जाना चाहते हैं जहाज़ों में स्थान की कमी के कारण नहीं जा सके हैं और सरकार ने इन कम्पनियों से इसका प्रबन्ध करके भीड़ को कम करने के लिए कहा है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को ज्ञात है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य से बहुत से व्यक्ति मलाया जाने के लिए मद्रास जाते हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को यह भी मालूम है कि सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें वहां रुकना पड़ता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने कहा था । मुसाफिरों के लिए पर्याप्त जहाज़ नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मेरा मतलब यह नहीं था । मद्रास में टिकट बुक कराने की भी कठिनाई है ।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : हमें यह नहीं मालूम । हम इसकी जांच करेंगे ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार को इस प्रकार के कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं त्रावनकोर-कोचीन से मलाया तथा सिंगापुर जाने वाले हज़ारों व्यक्तियों की सुविधा के लिए इस राज्य में टिकट बुक करने के केन्द्र खोले जाएं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे कोई सूचना नहीं है : मुझे कोई ऐसा प्रतिनिधान प्राप्त नहीं हुआ है । यदि ऐसा कोई प्रतिनिधान आए, अथवा माननीय सदस्य भेजें, तो मैं अवश्य उस पर गौर करूंगा ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात में क्या बाधा है कि नियमित कार्यक्रम निर्धारित किया जाए तथा मुसाफिरों को उन तारीखों की सूचना दे दी जाए जिनको कि उन्हें जाना है जिससे कि उन्हें मद्रास आकर बहुत दिनों तक वहां न पड़ा रहना पड़े ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हम जहाज़ कम्पनियों को परामर्श दे सकते हैं। यह सरकार का काम नहीं है । किन्तु यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम जहाज़-कम्पनियों को अवश्य यह परामर्श देंगे ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि जहाज़ों की कमी के परिणामस्वरूप कितने दिनों तक वास्तव में मुसाफिरों को रुकना पड़ता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हमारे पास प्रत्येक व्यक्तिगत मुसाफिर के आंकड़े नहीं हैं । किन्तु जैसा मैं ने बतलाया, काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार इस सूचना को संकलित कर सदन पटल पर रखेगी कि मुसाफिरों को कितने दिन इंतज़ार करना पड़ता है ?

उपाध्यक्ष महोदय: दूसरा प्रश्न पूछा जाए ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि मद्रास के इन क्लीयरेंस कार्यालयों की भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें मुसाफिरों से प्राप्त हुई हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हमें कोई सूचना नहीं है, किन्तु यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट दृष्टान्त दृष्टि में लाएं तो हम उसे देखेंगे ।

श्री वी० पी० नायर उठे---

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नावलि समाप्त हो चुकी है ।

श्री वी० पी० नायर : अभी समाप्त नहीं हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने और उसका उत्तर देने का सम्भव समय नहीं है ।

अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर

कच्चे पटसन का मूल्य

श्री एस० सी० सामन्त : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत में कच्चे पटसन का मूल्य इस समय १५ रु० प्रति मन गिर गया है ;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि जूट के आयात के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान द्वारा जो संयुक्त सहमत विज्ञप्ति जारी की गई है उससे भारत के पटसन उत्पादक उद्विग्न हो गए हैं और उन्हें पटसन की खेती त्याग कर अन्य खाद्यान्नों की खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि समझौते के बावजूद भी पाकिस्तान से कच्चे पटसन का आयात नियमित नहीं था ;

(घ) क्या सरकार ने पटसन उगाने की न्यूनतम लागत का प्राक्कलन किया है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इरादा निकट भविष्य में पटसन का न्यूनतम व अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का है ;

(च) सात लाख पटसन की गाठों के लक्ष्य में कमी को पूरा करने तथा पटसन के उत्पादन प्रत्याशित की कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ; और

(छ) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या पग उठाए हैं कि पटसन उत्पादकों को भविष्य में अपने पटसन का उचित मूल्य मिलेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, कुछ फुटकर स्थानों पर ।

(ख) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जी हां, केवल बीच-बीच में कमी कभी ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) कम मूल्य पर बीजों का वितरण, बीज खरीदने के लिए ऋण प्रदान करना उर्वरकों का वितरण, बीच उगाने वाली फार्मों की स्थापना, किसानों को सुधार किए हुए बीज उगाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त प्रयोग करना, किसानों के सम्मुख पंक्तिबद्ध बुवाई के प्रदर्शन देना, जाड़े की धान की जमीनों पर चावल के साथ-साथ पटसन की एक जल्दी आने वाली फसल उगाना जुताई की तथा खाद देने की स्वीकृत प्रणाली अपनाना जिससे कि उपज काफी बढ़ जाती है । इसके अतिरिक्त, भारत में उगने वाली पटसन की किस्म में सुधार

करने तथा पटसन-उत्पादन को ऐसे स्थानों पर केन्द्रित करने के लिए जो अच्छी किस्म की पटसन उगाने के लिए उपयुक्त हों, सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई है ।

(छ) ऊपर (ज) में बताए गए तरीकों से अधिक उपज होने तथा लागत कम पड़ने की सम्भावना है जिससे कि जूट-उत्पादकों को उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा । इसके अतिरिक्त सरकार स्थिति का ध्यान-पूर्वक अध्ययन करती रहेगी और आवश्यक पग उठाएगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या माननीय मंत्री जी भाग (ख) का उत्तर पुनः पढ़ने की कृपा करेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को विदित है कि केन्द्रीय पटसन समिति ने पटसन उद्योग के वर्तमान उत्पादन तथा पटसन के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई निदान सुझाए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान् मेरे पास इस समय कोई सूचना नहीं है ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने अखबारों में यह समाचार देखा है कि कच्चे पटसन की हितों की समिति के अध्यक्ष श्री भागीरथ कनोडिया ने वक्तव्य दिया है कि हाल के भारत-पाकिस्तान समझौते को कार्य करने देने के लिए सरकार के देश के अतिरेक उत्पादन के निर्यात की सम्भावना पर विचार करने में बिल्कुल समय नहीं खोना चाहिए और क्या सरकार को यह भी विदित है कि केन्द्रीय पटसन समिति ने यह सिफारिश की है कि जूट की गहनतम खेती का प्रत्येक सम्भव उपाय करना चाहिए ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, यह तो मैं नहीं कह सकता कि उक्त अध्यक्ष द्वारा कथित सुझाव सरकार से पहले दिया गया था, किन्तु यह अवश्य है कि इस बात पर पूरी तरह से विचार कर लिया गया है । यह निर्णय किया गया है कि कच्चे पटसन का निर्यात करना देश के हित में नहीं होगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था कि पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए तथा राज्य सरकारें अपने ही हिसाब में जूट का क्रय करें ?

डा० पी० एस० देशमुख : कृषि तथा खाद्य मंत्रालय द्वारा उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय का कई सुझाव दिए गए थे । उस मंत्रालय का अन्य पहलुओं पर भी विचार करना पड़ता है और वह इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सका ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि किसानों को कृषि-वित्त सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने का कोई विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, सदन के कुछ सदस्यों ने मेरी दृष्टि में यह बात लाई है कि किसानों को छोटी सी राशि ऋण देकर उस पर अत्यधिक ब्याज वसूल किया जाता है । हम देखेंगे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है यद्यपि यह राज्यों के मद की बात है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि बस्तर और सरगूजा में भी अच्छा जूट हो सकता है ? क्या इस बाबत मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था और यदि यह बात सही है तो इस सम्बन्ध में कुछ किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, यह इस प्रश्न से नहीं उठता । यहां सिर्फ

पटसन के मूल्य के बारे में है और फसल का मामला इसमें नहीं आता ।

श्री बर्मन : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में ६७ लाख पटसन गांठें उत्पादित करने की पंच-वर्षीय योजना वैसी ही है अथवा पाकिस्तान से तीन वर्ष तक प्रति वर्ष २५ लाख गांठों के आयात की दृष्टि में इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : योजना आयोग की गणना के अनुसार हमारी १९५५-५६ की आवश्यकता ७२ लाख गांठों की होगी और वर्तमान दर से हम ४७ लाख गांठों का लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं । इसलिए पटसन के प्रस्तावित आयात के लिए पर्याप्त स्थान है ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि पच्छिमी बंगाल में कच्चे पटसन के गिरे हुए मूल्य के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को पच्छिमी बंगाल सरकार से कोई सुझाव मिले हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सूचना मेरे पास यहां मौजूद नहीं है ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का इरादा 'बिमली' और 'मत्सा' पटसन के उत्पादन को सीमित करने का है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसके लिए हमने एक समिति नियुक्त की है और सरकार उसके सुझावों के अनुसार कार्य करेगी ।

श्री बी० के० दास : क्या उक्त समिति के निर्देश के पदों में यह भी है कि वह निम्न श्रेणी के पटसन को सीमित कर देने के मामले पर विचार करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, मैं समझता हूं कि अन्य बातों के साथ वह इस पर भी अपना मत व्यक्त करेगी ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात को देखते हुए कि सरकार ने उत्पादकों को अधिक जूट उपजाने को प्रेरित किया है, क्या सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं हो जाता कि उन्हें लाभप्रद मूल्य की भी गारन्टी दे ?

डा० पी० एस० देशमुख : सरकार अवश्य ही यह अनुभव करती है कि पर्याप्त मूल्य दिया जाना चाहिए । किन्तु ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जब कि सरकार यथोचित मूल्य देना का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाती ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पशुओं के संक्रामक रोग

* १०७९. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बड़ी संख्या में पालतू पशु, विशेषकर गाय-भैंसें, संक्रामक रोगों से प्रति वर्ष मर जाते हैं ?

(ख) गत पांच वर्षों में औसत गाय मृत्यु प्रति वर्ष क्या है ?

(ग) संक्रामक रोगों से पालतू जानवरों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) सूचना संकलित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रक्खी जाएगी ।

(ग) राज्य पशु-चिकित्सा विभाग, जिनकी कि पालतू जानवरों में संक्रामक रोगों के निदान की मुख्य जिम्मेदारी है एक बड़ी संख्या में पशु-चिकित्सालय चला रहे हैं तथा टीका लगवा रहे हैं । रिंडरपेस्ट

का उन्मूलन करने के लिए, जो कि ढोरों की सब से अधिक मृत्युओं के लिए जिम्मेदार है, एक व्यापक कार्यक्रम भारत सरकार बना रही है। इसे प्रारम्भ करने से पूर्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ढोरों, भेड़ों और बकरियों के टीके लगाने की एक पंच वर्षीय योजना स्वीकृत की है ।

पनीर का आयात

*१०८४. **श्री बलवन्त सिन्हा मेहता :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पनीर अधिकतर भेड़ के दूध से बनाया जाता है ;

(ख) प्रति वर्ष पनीर के आयात की मात्रा और मूल्य तथा किन-किन देशों से आयात किया जाता है ; और

(ग) देश में पनीर की सम्पूर्ण मांग पूरा करने के लिए क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी नहीं । भारत में पनीर के निर्माण में भेड का दूध नहीं प्रयुक्त किया जाता ।

(ख) गत चार वर्षों में भारत में आयात किए गऐ पनीर का मूल्य और मात्रा इस प्रकार है :

	मात्रा (हंड्रेटवेट)	मूल्य (रु०)
१९४९-५०	१२,२५०	१९,२७,९६०
१९५०-५१	६,२१०	१५,६५,१६०
१९५१-५२	९,७७०	२१,१७,७२०
१९५२-५३	४,२३०	९,१८,१२०

लगभग ८८ प्रतिशत आयात आस्ट्रेलिया से होता है और शेष अधिकतर योरूपीय देशों तथा न्यूजीलेंड से ।

(ग) इस क्षेत्र में वैयक्तिक उपक्रम ने अभी अपना क़दम नहीं बढ़ाया है, क्योंकि पनीर के उत्पादन की दशाएं अनुकूल नहीं हैं । सरकार ने भी इसमें हाथ डालना अरक्षित समझा है । डेरी उद्योग के अच्छी प्रकार जम जाने पर इस उद्योग की स्थापना की अच्छी आशा हो सकती है ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*१०८७. **श्रीमती शकुन्तला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश में सन् १९५२ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा कितने एकड़ भूमि खेती योग्य बनाई गई ;

(ख) क्या इस संगठन द्वारा कुमायूं पहाड़ियों पर जंगल साफ करने का कोई काम हाथ में लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य में क्या प्रगति की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जून, १९५२ में अन्त होने वाले भूम्योद्धार सीज़न में केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन द्वारा कांस आच्छादित ३९,१५२ एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में जोतने योग्य बनाई गई । इसके अतिरिक्त नेनीताल तराई में २०,२६५ एकड़ जंगली भूमि साफ करके जोतने योग्य बनाई गई । साफ किए गये क्षेत्र में से १८,३४४ एकड़ पर हल चलाया गया ।

(ख) और (ग). कुमायूं पहाड़ियों पर जंगल साफ करने का काम केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा नहीं लिया गया है । किन्तु नैनीताल तराई में १९५० से जब कि काम प्रारम्भ हुआ था, १२ मार्च, १९५३ तक निम्नोक्त प्रगति की जा चुकी है :

(१) पेड़ गिराये गये

भाग का क्षेत्र ३८,५८२ एकड़

(२) जोतने योग्य बनाया गया क्षेत्र ३२,३४६ एकड़

(३) जोता गया क्षेत्र २४,८७९ एकड़

ग्लाइडर ट्रेनिंग सेन्टर में प्रशिक्षा

७८६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आज तक कितने युवकों ने ग्लाइडर ट्रेनिंग सेन्टर में प्रशिक्षा प्राप्त की है ; और

(ख) इस प्रकार की प्रशिक्षा प्राप्त किये हुए कितने युवक पायलट ट्रेनिंग कालिज में प्रविष्ट हुए हैं ।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ४२ 'ए' और 'बी', ३६ 'सी' और १४ 'सी सी' ग्लाइडर चालक और चार ग्लाइडर प्रशिक्षक भारतीय ग्लाइडिंग एसोसिएशन, पूना और दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब, नई दिल्ली में प्रशिक्षित किए गए ।

(ख) कोई नहीं । माननीय सदस्य का तात्पर्य निश्चय ही सिविल एवीएशन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद से है ।

रेलवे की ज़मीनें

७८७. **श्री बी० बी० वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार क्षेत्र की पुरानी ओ० टी० रेलवे से १९४५ से अब तक रेलवे को, वर्षवार रेलवे लाइन के दोनों ओर की जमीनों की घास तथा मछली पकड़ने के अधिकार के विक्रय के परिणामस्वरूप कुल कितनी आय हुई ; और

(ख) इसी दौरान में, वर्ष वार, "अधिक अन्न उगाओ" आन्दोलन के अंतर्गत पट्टे पर उठाई गई इन जमीनों से कुल कितनी आय हुई ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). घास तथा मछली पकड़ने के अधिकार बेचने और अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में ऐसी ज़मीनों को पट्टे पर उठाने से १९४५ से अब तक रेलवे को हुई आय दर्शाते हुए एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

विवरण	आय		
	घास के विक्रय से (क)	मछली पकड़ने के अधिकार के विक्रय से	अधिक अन्न उपजाओं आंदोलन में ज़मीन पट्टे पर उठाने से (ख)
१९४५-४६	४७,६२७ ० ०	१५,५८१ ० ०	२,४७१ ० ०
१९४६-४७	*९२,९९७ ० ०	— — —	३,०६९ ० ०
१९४७-४८	*१४१,८३५ ० ०	— — —	४,३५० ० ०
१९४८-४९	१००,३२० ० ०	३७,१८६ ० ०	५,३४९ ० ०
१९४९-५०	१२९,७१३ ० ०	४४,७११ ० ०	३०५०८ ० ०
१९५०-५१	११८,६१२ ० ०	६४,०१३ ० ०	१२३,८७५ ० ०
१९५१-५२	१११,०८० ० ०	४४,२१३ ० ०	१४८,४४५ ० ०
१९५२-५३	६९,६५३ ० ०	२९,००३ ० ०	११६,४८५ ० ०

* घास तथा मछली पकड़ने के अधिकारों के संयुक्त आंकड़े । पृथक-पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

बिना टिकट सफर

७८८. **श्री भीखाभाई** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी रेलवे पर सन् १९५२ में बिना टिकट पकड़े गए मुसाफिरों की संख्या ;

(ख) जुर्माने से अथवा अन्य प्रकार से उनसे प्राप्त हुई राशि ; और

(ग) क्या सन् १९५० और १९५१ की तुलना में संख्या घटी है अथवा बढ़ी है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के संसद सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ११,०१,६११

(ख) जुर्माने के रूप में १,२३,१५५ रु० वसूल किए गए । किराए तथा दण्ड के रूप में क्रमशः २४,३६,९२५ और ४,१७,१३३ रु० वसूल किए गए ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (अनुसंधान)

७८९. **श्री बी० के० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५२ के दौरान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में किए गए अनुसंधानों को विस्तारपूर्वक लागू करने का प्रयत्न किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही का ब्यौरा ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष अनुदान दिया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान योजनाओं के लिए रुपया देता है जिनमें राज्य सरकारें भी अपने भाग देती हैं । यह राज्य सरकारों का काम है कि अनुसंधान योजना के व्यवहारिक परिणामों को प्रयोग में लाए । सन् १९५२ में इस बारे में क्या प्रयत्न किए गए इसकी सूचना अभी परिषद को नहीं दी गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

मध्य प्रदेश की सरकार को अनुदान

७९९. **श्री जसानी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में विभिन्न 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलनों के लिए ऋण के रूप में अथवा अन्यथा कितना रुपया आवंटित किया गया था ?

(ख) उक्त काल में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा इसमें से कितना रुपया वास्तव में लिया गया और किन-किन कामों के लिए ?

(ग) लिए गए रुपये में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई कि बिना खर्च किया हुआ कितना रुपया केन्द्रीय सरकार को वापस लौटाया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क)

(रु० लाख में)

	ऋण	अनुदान	
	अधिक अन्न उपजाओ निधि	खाद्य बोनस निधि	
१९४९-५०	१२५.००	३१.८६	५.३१
१९५०-५१	२४१.९२	०.६८	६३.३६
१९५१-५२	७८.१५	१०.५२	—

(ख) सदन पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ऋण की समस्त राशि वहां की सरकार ने ले ली । जहां तक अनुदानों का प्रश्न है, इनका हिसाब तदस्थानीय महालेखापाल नियंत्रक द्वार वास्तविक खर्च हुई राशि के आधार पर लगाया जाएगा ।

(ग) लिए गए कर्ज़े तथा स्वीकृत अनुदानों में से खर्च की गई राशि नीचे दिखलाई गई है :—

(लाख रुपयों में)

	ऋण	अनुदान
१९४९-५०	७३.८८	११.५३
१९५०-५१	८४.६२	२१.८१
१९५१-५२	६९.३६	१०.५८

ऋणों में से जो राशि वर्ष विशेष में खर्च न होकर बच गई थी उसे राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को वापस नहीं किया वरन् आगामी वर्षों में प्रयुक्त कर लिया । सन् १९५१-५२ में निदेश जारी कर दिए गए हैं कि प्रयोग में न आई हुई इस प्रकार की सब राशियां शीघ्र ही भारत सरकार को वापस कर दी जानी चाहिएं और मध्य प्रदेश सरकार चालू वर्ष से इसका पालन कर रही है । अनुदानों के सम्बन्ध में, अप्रयुक्त राशियां स्वयं ही केन्द्रीय सरकार की हो जाती हैं ।

विवरण

ये योजनायें जिन के लिये कि मध्य प्रदेश सरकार ने १९४९-५० से १९५१-५२ के दौरान में ऋण लिये

(लाख रुपयों में)

योजना का नाम	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
(१) सिंचाई	६४·४६	७२·७१	२३·१५
(२) भूमि सुधार	५९·८७	१०५·४१	२८·७६
(३) खाद तथा उर्वरक	—	१·००	१४·०४
(४) बीज	—	५०·००	७·५५
(५) विविध	७·६७	१२·८०	४·६५
योग	१२५·००	२४१·९२	७८·१५

पूंजी माल का आयात

७९१. **डा० अमीन** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंच वर्षीय योजना में उपबन्धित ४०० करोड़ रुपए की राशि में से सरकार क्रमशः पूंजी माल के आयात पर, अन्य माल के आयात पर तथा विदेशों से टेकनीकल सहायता पर सरकार का कितनी कितनी राशियां खर्च करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : यह प्राक्कलित किया गया है कि ऊपर निर्दिष्ट राशि में से ९० करोड़ रुपए की राशि पूंजी माल के आयात पर और लगभग १३ लाख रु० की राशि विदेशों से टेकनीकल सहायतार्थ व्यय की जाएगी ।

पूर्व एस० आई० रेलवे के कारीगरों तथा बारहमासियों की सर्विस बुकें

७९२. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व एस० आई० रेलवे प्रणाली में पी० डब्ल्यू० आई० कार्यालय के समस्त कारीगरों तथा बारहमासियों की सर्विस बुकें रखने की प्रथा थी ; और

(ख) यदि हां, तो पूर्व एस० आई० रेलवे के विलीनीकरण के पश्चात से यह प्रथा क्यों बन्द कर दी गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) पूर्व एस० आई० रेलवे प्रणाली में समस्त बारहमासियों की सर्विस बुकें सम्बन्धित पी० डब्ल्यू० आई० के कार्यालयों में रखी जाती थीं तथा कारीगरों की जिला इंजीनियर के कार्यालय में ।

(ख) विलीनीकरण के बाद से इस प्रथा में परिवर्तन नहीं किया गया है ।

कैरिज स्टाफ, हावड़ा से शिकायतें

७९३. **श्री दामोदर मेनन** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हावड़ा स्टेशन पर १७ अप दिल्ली एक्सप्रेस के एक्सिल बाकसों में तेल देने और उन्हें पैक करने का काम सुपुर्द किए गए कैरिज कर्मचारियों ने २४ अक्टूबर, १९५२ को यह पाया कि एक्सिल तेल की जो किस्म उन्हें उस दिन दी गई वह घटिया किस्म की थी ?

(ख) क्या यह भी सच है कि उस दिन जो ट्रेन एक्ज़ामिनर ड्यूटी पर था उसने कैरिज स्टाफ की शिकायत पर उस खराब तेल को बदल दिया और उस घटना के सम्बन्ध में २४ अक्टूबर, १९५२ की अपनी डायरी में भी कुछ टिप्पणी दी ?

(ग) क्या यह सच है कि ट्रेन एक्जामिनर ने अपनी डायरी में यह लिखा था कि यह अंतध्वंस का कार्य था ?

(घ) क्या यह सच है कि उसके पश्चात से डायरी को क्षतिग्रस्त करने के प्रयत्न किए गए हैं और वे कहां तक सफल हुए हैं ?

(ङ) क्या सरकार का ध्यान इस घटना के सम्बन्ध में "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" के कलकत्ते के २५ अक्टूबर, १९५२ के संस्करण में और २६ अक्टूबर, १९५२ के 'आनन्द बाज़ार पत्रिका' में छपे समाचारों की ओर आकर्षित हुआ है ?

(च) क्या माननीय मंत्री जी सदन को इस घटना के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से अवगत करायेंगे और बतलायेंगे कि इसके लिए उत्तरदायी कथित फोरमैन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). जी नहीं ।

(ङ) जी हां ।

(छ) २४ अक्टूबर, १९५२ को जब कि हावड़ा के कैरिज कर्मचारी १७ अप, दिल्ली एक्सप्रेस के एक्सिल बक्सों में तेल दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि उन्हें दिए गए स्निगयी तेल में से मिट्टी के तेल की तेज बू आ रही थी । शंकायुक्त तेल का प्रयोग नहीं किया गया ।

मामले में पूरी पूरी जांच किए जाने का आदेश दिया गया और यह मालूम हुआ कि मेन स्टोर्स डिपो अथवा कैरिज फोरमैन हावड़ा के स्टोर्स में एक्सिल तेल तथा मिट्टी के तेल को भेजने वाले कर्मचारिवर्ग की असावधानी से यह मिलावट हो गई और यह जान बूझ कर नहीं की गई थी । जांच के परिणामस्वरूप वह वास्तविक स्थान मालूम हो गया जहां कि यह मिलावट हो गई थी । एक्सिल तेले के साथ जो थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिल गया था उससे उसके स्निगयी गुणों ने कोई सारभूत खराबी नहीं आई होती ।

एक्सिल तेल में मिट्टी के तेल की उपस्थिति न भांपने के लिए सहायक कैरिज फोरमैन,

हावड़ा को उत्तरदायी ठहराया गया है । उसके बीमारी की छुट्टी से वापस होते ही उसके विरुद्ध अनुशसानात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

रेल डब्बों की बांट

७९४. **श्री जांगड़े** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों राज्य सरकारों तथा जनता द्वारा भेजी जाने वाली किन-किन वस्तुओं को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रधानता दी जाती है, जिसके आधार पर उन्हें मालगाड़ी या पार्सल गाड़ी के डिब्बे दिये जाते हैं ; और

(ख) रेल डिब्बों के दिये जाने में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रधानतायें किन-किन आधारों और विचारों के अनुसार दी जाती हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) यातायात के प्राथम्य-क्रम की अनुसूची में यातायात के गमनागमन को निम्नोक्त प्रकार से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रधानता दी गई है :

(१) क्वार्टर मास्टर जनरल द्वारा आदेश दी गई सैनिकों, गाड़ियों तथा सामान, विशेष सैनिक रेलों तथा सैन्य मंचालन सम्बन्धी मांगों के लिए समस्त गमनागमन ।

(२) (क) सरकारी हिसाब में आने वाले खाद्यान्न जिनमें पिसे हुए गेहूं की प्रकारें, नामतः आटा, सूजी और रवा भी सम्मिलित हैं ।

(ख) गेहूं, जिसमें पिसे हुए गेहूं की प्रकारें, नामतः आटा, सूजी और रवा सम्मिलित हैं, धान, चावल, ज्वार-बाजरा, जौ, मक्का और इन अन्नों का आटा व्यापारिक हिसाब में जहां कि खुले गमनागमन की छूट है । ये क्षेत्र रेलवे द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों को समय-समय पर सूचित किए जायेंगे ।

(ग) केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किए जाने पर जानवरों के चारे का पंजाब, बम्बई, राजस्थान, अजमेर और सौराष्ट्र को भेजा जाना ।

(३) रेल का कोयला तथा अन्य रेल का सामान ।

(ख) प्राथम्य-क्रम का निर्धारण विभिन्न प्रकारों के यातायात की तुलनात्मक महत्ता तथा तत्कालिकता के अनुसार किया जाता है जिसमें रेलों की कुल समाई का सारभूत आवश्यकताओं से अनुपात का ध्यान रक्खा जाता है ।

पूर्व ओ० टी० रेलवे में इंजनों का बदला जाना

७९५. **श्री एच० एस० प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४३ से १९४५ तक के काल में पूर्व ओ० टी० रेलवे में कितने इंजन अनुपयुक्त घोषित किए गए ;

(ख) इनमें से अब तक कितने इंजन बदल दिए गए हैं ; और

(ग) आवश्यक संख्या में इंजन कब तक उपलब्ध हो सकेंगे ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). सूचना मंगाई जा रही है प्राप्त होते ही सदन पटल पर रखी जाएगी ।

पटना-गया सड़क

७९६. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के अंतर्गत पटना से गया

(बिहार) को मिलाते हुई एक पक्की सड़क का निर्माण विचाराधीन है ;

(ख) सड़क निर्माण का कुल प्राक्कलित मूल्य क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) केन्द्रीय सड़क कोष में से बिहार सरकार के कोटे का कितना भाग इस सम्बन्ध में सरकार का देने का इरादा है;

(घ) सकड़ का मार्ग क्या होगा; और

(ङ) क्या यह सत्य है कि एक सड़क रेलवे लाइन के समानान्तर चलती है, जिसमें से आधी पक्की है और पटना से गया (बिहार) को मिलाने वाला यह सबसे छोटा मार्ग है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) पटना और गया के बीच एक सीधी सड़क है जो रेलवे लाइन के समानान्तर चलती है किन्तु यह राज्य सरकार के नियंत्रण में है ।

दूध का प्रति व्यक्ति उपभोग

७९७. श्री बलवन्त सिन्हा मेहता: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग क्या है ?

(ख) किन-किन राज्यों में उपभोग अधिक है और इसका कारण ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ख) दूध का उपभोग सौराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में अधिक है जिसका कारण वहां के अच्छी प्रकार के दुधारू पशु जैसे सौराष्ट्र में 'गीर' गाय और 'जफराबादी' भैंसें, पंजाब (भारत) में 'हरियाना' गाय और 'मुर्री' भैंसें, तथा राजस्थान में 'संघोर' गायें जिनसे कि वहां की जनसंख्या को उपभोग के लिए अधिक दूध उपलब्ध होता है ।

विवरण

नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग इस प्रकार है :

राज्य	प्रति दिन प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग (औंस)
सौराष्ट्र	१९.७८
पंजाब (भारत)	१६.८९
राजस्थान	१५.७२
मध्य भारत	७.३४
उत्तर प्रदेश	७.१६
दिल्ली	५.५३
कश्मीर	४.५४
बिहार	४.३७
मैसूर	४.३३
मद्रास	४.१८
पेप्सू	३.९७
हैदराबाद	३.६४
विंध्य प्रदेश	३.२६
बम्बई	३.०२
पच्छिमी बंगाल	२.७७
उड़ीसा	२.६४
मध्य प्रदेश	२.००
आसाम	१.२३
अन्य क्षेत्र	५.८७

रेलवे सेवा आयोग

७८९. श्री नानादास : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवे

लोक सेवा आयोगों में कितने सदस्य हैं और वे कौन-कौन हैं ?

(ख) उनकी पदावधि कब समाप्त होगी ?

(ग) क्या सरकार का इरादा अनुसूचित जातियों के लोगों को आयोगों का सदस्य नियुक्त करने का है ?

रेल तथा यातायातत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) रेलवे सेवा आयोग बम्बई ।

सभापति सहित सदस्यों के नाम :

(१) श्री के० दूरिया	सभापति
(२) श्री चुन्नी लाल सहाय	सदस्य
(३) श्री एन० के० मिश्र	सदस्य

रेलवे सेवा आयोग कलकत्ता
एक सभापति तथा एक सदस्य

(१) श्री एस० एन० गुप्त	सभापति
(२) दीवान श्रीराम पुरी	सदस्य

(ख) वर्त्तमान पदावधि निम्नलिखित तिथियों को समाप्त होगी :

(१) श्री के० दुराई	११-५-५४
(२) श्री सी० एल० सहाय	१८-९-५३
(३) श्री एन० के० मिश्र	४-११-५४
(४) श्री एस० एन० गुप्त	४-११-५४
(५) दीवान श्रीराम पुरी	१३-२-५४

(ग) जैसा कि रेलवे आयव्ययक पर होने वाली चर्चा में बतलाया गया था, अवसर प्रस्तुत होने पर अनुसूचित जातियों के लोगों को नियुक्त करने की सम्भाव्यता पर विचार किया जाएगा ।

पंजाब में श्रम-कल्याण

७९९. **प्रो० डी० सी० शर्मा**: क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब में श्रम-कल्याण पर केन्द्रीय सरकार वार्षिक कितनी राशि व्यय करती है ;

(ख) यह राशि किस प्रकार खर्च की जाती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) पंजाब में श्रम-कल्याण पर केन्द्रीय सरकार कोई राशि खर्च नहीं करती ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में "अधिक अन्न उपजाओ" योजना

८००. **श्रीमती शकुन्तला** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुदान और ऋण की कितनी कितनी राशियां (पृथक-पृथक) उत्तर प्रदेश को सन् १९५२-५३ में "अधिक अन्न उपजाओ" योजना कोष में से दी गई ?

(ख) इस प्रकार की स्वीकृत योजनाओं से कितना अतिरिक्त अन्न उत्पादन प्राक्कलित किया गया है ?

(ग) क्या खाद्यान्नों की प्रत्याशित वृद्धि हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)

(क) ऋण २६३.२३ लाख रुपए
अनुदान १३६.७० लाख रुपए

(ख) १५५.०५४ टन

(ग) यह सूचना ३० जून, १९५३ को समाप्त होने वाले कृषि-वर्ष के अन्त होने पर ही उपलब्ध हो सकती है ।

दिल्ली ट्रंक ऐक्सचेंज के लिये महिलाचालक

८०१. **श्री बी० एन० मिश्र :** (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय नई दिल्ली ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज में कितनी महिला ऑपरेटर कार्य कर रही हैं ?

(ख) १ मार्च, १९५३ से अब तक प्रति दिन, दिन के समय काम करने वाली महिला ऑपरेटरों ने कितने आने और जाने वाले ट्रंक कॉल व्यवहृत किए और रात के समय काम करने वाले पुरुष ऑपरेटरों ने कितने ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ७६

(ख) विभाग में ट्रंक कालों की कुल संख्या ही रखी जाती है, महिला तथा पुरुष ऑपरेटरों द्वारा अलग-अलग रूप से व्यवहृत ट्रंक कॉलों के आंकड़े नहीं रक्खे जाते । कन्तु इस प्रश्न के उत्तर के प्रयोजनार्थ २१ अप्रैल से २४ अप्रैल तक चार दिन के विशेष आंकड़े रखे गये थे जिनका परिणाम इस प्रकार है :

तरीख	दिन के समय ट्रंक काल (अर्थात सुबह ६ बजे से शाम को ८ बजे तक)	रात के समय ट्रंक कॉल (अर्थात रात के १२ बजे से सुबह ६ बजे तक और रात को ८ बजे से १२ बजे तक)
२१-३-१९५३	३०३७	३१७
२२-३-१९५३ (रविवार)	१५६५	३९१
२३-३-१९५२	२२४६	५१५
२४-३-१९५३	३१०८	७१९

Par. L. S. III. 1. 52
265

अंक ३

संख्या १

सोमवार

३० मार्च, १९५३

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अनुदानों की मांगें [पृष्ठ भाग २४८४—२५६३]
मांग संख्या ५२—गृह-कार्य मंत्रालय [पृष्ठ भाग २४८४—२५६३]
मांग संख्या ५३—मंत्रिमंडल [पृष्ठ भाग २४८४—२५६३]
मांग संख्या ५४—दिल्ली [पृष्ठ भाग २४८४—२५६३]
मांग संख्या ५५—पुलिस [पृष्ठ भाग २४८४—२५६३]
मांग संख्या ५६—जनगणना [पृष्ठ भाग २४८४—२५६३]
मांग संख्या ५७—गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत प्रकीर्ण विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग २४८४—२५६३]
मांग संख्या ५८—अंडमान तथा निकोबार द्वीप [पृष्ठ भाग २४८४—२५६३]
मांग संख्या १२७—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २४८४—२५६३]
मांग संख्या ८८—राज्य मंत्रालय [पृष्ठ भाग २४८४—२५६३]
मांग संख्या ८९—देसी राजाओं की निजी थलियां और भत्ते [पृष्ठ भाग २४८४—२५६३]
मांग संख्या ९०—कच्छ [पृष्ठ भाग २४८६—२५६३]
मांग संख्या ९१—बिलासपुर [पृष्ठ भाग २४८६—२५६३]
मांग संख्या ९२—मनीपुर [पृष्ठ भाग २४८६—२५६३]
मांग संख्या ९३—त्रिपुरा [पृष्ठ भाग २४८६—२५६३]
मांग संख्या ९४—राज्यों से सम्बन्ध [पृष्ठ भाग २४८६—२५६३]
मांग संख्या ९५—राज्य मंत्रालय के अन्तर्गत प्रकीर्ण व्यय [पृष्ठ भाग २४८६—२५६३]
मांग संख्या १३५—राज्य मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २४८६—२५६३]
हैदराबाद टंकण तथा पत्र चलार्थ (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक—असमाप्त [पृष्ठ भाग २५६३—२५७३]

लोक सभा

सोमवार, ३० मार्च, १९५३

सदन की बैठक २ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

३·८ म० प०

अनुदानों की मांगें—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन के समक्ष गृह मंत्रालय तथा राज्य मंत्रालय दोनों की मांगें रखता हूं ।

मांग संख्या ५२—**गृह-कार्य मंत्रालय**—१,१७,४३,००० रुपये

मांग संख्या ५३—मंत्रिमंडल—२१,८८,००० रुपये

मांग संख्या ५४—दिल्ली—१,२८,५८,००० रुपये

मांग संख्या ५५—पुलिस—६३,३७,००० रुपये

मांग संख्या ५६—जनगणना—९,६२,००० रुपये

मांग संख्या ५७—गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत प्रकीर्ण विभाग तथा व्यय—१०,१५,००० रुपये

मांग संख्या ५८—अन्डमान तथा निकोबार द्वीप—१,६१,२९,००० रुपये

मांग संख्या १२७—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय—२६,२८,००० रुपये

मांग संख्या ८८—राज्य मंत्रालय—१०,६३,००० रुपये

मांग संख्या ८९—देशी राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते—१,९२,००० रुपये

मांग संख्या ९०—कच्छ—१,०१,८३,००० रुपये

मांग संख्या ९१—बिलासपुर—२३,४३,००० रुपये

मांग संख्या ९२—मनीपुर—५८,१९,००० रुपये

मांग संख्या ९३—त्रिपुरा—१,११,२२,००० रुपये

मांग संख्या ९४—राज्यों से सम्बन्ध—५६,९५,००० रुपये

मांग संख्या ९५—राज्य मंत्रालय के अन्तर्गत प्रकीर्ण व्यय—५४,६६,००० रुपये

मांग संख्या १३५—राज्य मंत्रालय का पूंजी व्यय—३,६७,३५,००० रुपये

प्रशासन में कार्य कुशलता एवं मितव्ययता

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'गृह-कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।"

सामान्य प्रशासन में कार्य कुशलता

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम्) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि 'गृह-कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।"

हरिजनों, अनुसूचित जातियों आदि का उद्धार

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'गृह-कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।"

राजस्थान तथा मध्य भारत में अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा

डा० जाटववीर (भरतपुर-सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'गृह-कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियां

डा० जाटववीर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'गृह-कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

केन्द्रीय सचिवालय के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

श्री त्रिवेदी (चित्तौड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'गृह-कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग में लाया जाना

श्री माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'गृह-कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

असैनिक सेवाओं का पुनर्संगठन

श्री माधव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'गृह-कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

केन्द्रीय सरकार के तृतीय श्रेणी के क्लर्कों की शिकायतें

श्री माधव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'गृह-कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

श्री काकुलम् तथा विशाखापटनम् जिलों के उड़िया भाषी क्षेत्रों का उड़ीसा राज्य में मिलाया जाना

श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांडी-बोलनगिर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'गृह-कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

मंत्रियों तथा उपमंत्रियों की संख्या में कमी करना

श्री एन० पी० दामोदरन (तलिचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'मंत्रिमंडल' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

मद्रास के उड़िया भाषी क्षेत्रों का उड़ीसा में मिलाया जाना

श्री आर० एन० एस० देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'मंत्रिमंडल' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

दिल्ली में पुलिस के अत्याचार

श्री आर० एन० एस० देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'दिल्ली' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

तीन संसद सदस्यों की नजरबन्दी के सम्बन्ध में अनियमितायें

श्री आर० एन० एस० देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'दिल्ली' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

पुलिस कर्मचारियों की निम्न वेतन श्रेणियां

श्री वीरस्वामी (मयूरम--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'पुलिस' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

पुलिस प्रशासन में कार्यपटुता तथा अनुशासन

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'पुलिस' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

राजस्थान के लिये विशेष पुलिस के उपबन्ध का अभाव

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'पुलिस' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

भारतीय भागिता अधिनियम १९३२ का असावधानीपूर्ण प्रशासन

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'गृह-कार्य मंत्रालय' के अन्तर्गत प्रकीर्ण विभाग तथा व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

'शीर्षवन' के अन्तर्गत प्राप्ति

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'अण्डमान और निकोबार टापू' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

भू-राजस्व में कमी

श्री यू० एम० त्रिवेदी : : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'अण्डमान और निकोबार टापू' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

हैदराबाद राज्य का तीन भाषावार भागों में विभाजन

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

भाग 'ग' राज्यों के समीपवर्ती भाग 'क' या भाग 'ख' राज्यों में मिलाये जाने की समस्या

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

आन्ध्र के निर्माण के बाद केरला राज्य का निर्माण

श्री पी० दामोदरन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

हैदराबाद राज्य का भाषावार भागों में विभाजन और कर्नाटक, महाराष्ट्र व विशाल आन्ध्र राज्यों का निर्माण

श्री पी० दामोदरन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

भाग ग राज्यों का अन्त

श्री पी० दामोदरन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

भारत के प्रशासी मानचित्र का भाषावार, आर्थिक तथा प्रशासनीय आधार पर फिर से बनाया जाना

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

काश्मीर तथा जम्मू में आन्दोलन के दौरान में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का प्रयोग

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

भाषावार राज्यों के निर्माण के बारे में नीति

श्री माधव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

भाग क, ख तथा ग राज्यों के प्रति विभेदात्मक नीति

श्री माधव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी नीति में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

भाग ख राज्यों के आन्तरिक मामलों में राज्य मन्त्रालय द्वारा हस्तक्षेप

श्री माधव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

भारत सरकार और जम्मू तथा काश्मीर की सरकार के बीच हुए 'जुलाई करार' पर अमल करना

श्री आर० एन० एस० देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

कच्छ राज्य का तुरन्त अन्त

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'कच्छ' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश के साथ मिलाया जाना

श्री पी० सुब्बा राव (नौरंगपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'बिलासपुर' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

राज्य का किसी भाग क राज्य के साथ मिलाया जाना ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'बिलासपुर' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

मणीपुर राज्य का तुरन्त लोकतन्त्रीकरण

श्री रिशांग किशिंग: (बाह्य मणिपुर--रक्षित--अनुसूचित जनजातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'मणिपुर' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

स्वायत्त शासन का ठीक स्वरूप तथा इसका आसाम के साथ मिलाया जाना

श्री यू० एम० त्रिवेदी: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'मणिपुर' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

मितव्ययता--जिला मजिस्ट्रेट के पद का अन्त

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १,२१,००,००० रुपये की कटौती की जाये ।"

त्रिपुरा में शरणार्थियों का पुनर्संस्थापित न किया जा सकना

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

एयरवेज़ के किराये

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

शरणार्थियों के लिये किसानों की भूमि का अधिग्रहण

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

प्रारम्भिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की मांगें

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

अगरतल्ला नगरपालिका के लिये नगरपालिका विधियां तथा त्रिपुरा में नई नगरपालिकायें बनाना

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

नर्सों तथा दाइयों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

त्रिपुरा में राज्य कर्मचारियों को पूरक भत्ता

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

राज्य में विधान सभा

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

त्रिपुरा को शेष भारत से मिलाने वाली सड़क

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

त्रिपुरा में चाय उद्योग

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

त्रिपुरा के लिये स्थायी न्यायिक आयुक्त

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

त्रिपुरा में श्रम विनिमय

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

अगरतल्ला नगर में एक दमकल

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

नगरों तथा गांवों में पीने का पानी

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।

त्रिपुरा में मलेरिया निरोधक 'मोबाइल यूनिट'

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

अराजकीय विद्यालयों को पर्याप्त सहायता

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

लोगों की न्यायालयों के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति

श्री बीरेन दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

मितव्ययता—काश्मीर के सम्बन्ध में नीति

श्री पी० सुब्बा राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'राज्यों से सम्बन्ध' सम्बन्धी मांग में ६,१८,००० रुपये की कटौती की जाये ।"

विभिन्न राज्यों के कार्य में केन्द्र का हस्तक्षेप

कुमारी एनी मस्करीन : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि 'राज्यों से सम्बन्ध' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

राज्यों को इस समय की अपेक्षा अधिक स्वायत्त-शासी बनाने की आवश्यकता

श्री एन० पी० दामोदरन : : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'राज्यों से सम्बन्ध' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।"

जम्मू तथा काश्मीर राज्य की शरणार्थी—पुनर्वास सम्बन्धी असन्तोषजनक नीति

श्री आर० एन० एस० देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'राज्य मंत्रालय के अन्तर्गत प्रकीर्ण विभाग तथा व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : आज हम गृह-कार्य तथा राज्य मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की नीति से स्पष्ट है कि सरकार देश की ग़रीब जनता से धन खींच कर राजे-महाराजाओं को दे रही है। हमारे ग़रीब भाइयों तथा मध्य-वर्गीय लोगों की दशा शोचनीय है, परन्तु फिर भी उन के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। इस के विपरीत, उन्हें छंटनी आदि का भय सदैव बना रहता है और उन के पास हमेशा बहुत ज़्यादा काम रहता है।

इस के अलावा उन्हें अपने संघों द्वारा अपनी शिकायतें प्रकट करने के अधिकार से भी वंचित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। पुलिस उन की गुप्त रिपोर्ट देती रहती ह। अभी उसी दिन हम ने सुना कि किस प्रकार काश्मीर के महाराजा को ९ लाख रुपये केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये जाते थे। राज्य सरकार ने तो ६ लाख रुपये देना बंद कर दिया, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने महाराजा को एक लाख रुपया और दे दिया। निज़ाम को तो लगभग ४·८ लाख रुपये मिलते ही हैं। उस दिन उच्च सदन में माननीय मंत्री ने पेप्सू के आयव्ययक सम्बन्धी वाद-विवाद के दौरान में कहा था कि पटियाला के राजप्रमुख को ५ लाख रुपये राजप्रमख के वेतन के रूप में तथा १९ लाख रुपये उन के सम्बन्धियों आदि के लिये दिये जाने चाहियें। इस के अतिरिक्त ३१ लाख रुपये की राशि अन्य पूर्व-शासकों के लिये उपबन्धित की गई ताकि वे शान से जिन्दगी बिता सकें। राजप्रमुखों का तो हम इतना ख्याल रखते हैं, परन्तु जब जनता की मांगें स्वीकार करने का प्रश्न उपस्थित होता है तब तरह तरह के बहाने लगाने लगते हैं। उदाहरण के लिये, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य कुछ समय से उत्तरदायी स्वशासन की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मणिपुर राज्य में श्री नानजप्पा को मुख्य आयुक्त बनाया गया है। अब उन नानजप्पा महोदय के कारनामे देखिये। उन के बारे में यह शिकायत की गई है कि उन्हों ने एक विद्यार्थी को बेंत से मारा और एक व्यापारी को ठोकर मार दी।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

सदन में यह प्रश्न उठाया गया था। राज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने माननीय मंत्री को बतलाया कि यह आदमी चोर-बाज़ारी करता था और उसे जेल की सजा हुई। मेरी माननीय मंत्री से यह प्रार्थना है कि वह इस मामले की वास्तविकता का पता लगायें।

अध्यापकों के विषय में भी श्री नानजप्पा ने बहुत बुरा व्यवहार किया। इस व्यक्ति ने उन को साम्यवादी कहा। मैं केवल इतना कहूंगी कि जब तक मणिपुर और त्रिपुरा के निवासियों को स्वायत्त शासन नहीं दे दिया जाता, वे चैन नहीं लेंगे।

त्रिपुरा का एक विशेष मामला है क्योंकि वहां चुनाव में साम्यवादियों का बहुमत रहा। आप के मंत्रणा दाता किस प्रकार के होंगे ? श्री जितेन्द्र देव वर्मा भूतपूर्व पुलिस अधिकारी हैं जो कि अपने अपराधों के लिये मशहूर हैं, श्री सचीन्द्रलाल सिन्हा, जो कांग्रेस समिति के सभापति हैं और जो कि चुनाव में हार गये थे, और एक अन्य कांग्रेसी हैं जिन्हों ने कि चुनाव में खड़े होने का साहस नहीं किया। इस प्रकार के व्यक्ति आप के मंत्रणा दाता होंगे। मणिपुर में कांग्रेस का बहुमत है। वहां मंत्रणा परिषद् इसलिये स्थापित नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य कांग्रेस इसे नहीं चाहती थी।

सरकारी कर्मचारियों के बारे में हम देखते हैं कि वहां छंटनी की जा रही है और काम ज्यादा बढ़ रहा है, वहां कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जाता और सेवा में सुरक्षा नहीं है। वहां अस्थायी तथा अर्द्ध-स्थायी कर्मचारी ही सरकार का अधिकतर काम कर रहे हैं। इस प्रणाली से तो कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति वेतन, वृद्धावस्था में मिलने वाली सुविधायें नहीं मिलेंगी और उन की सेवा की सुरक्षा भी नहीं होगी। उन से स्थायी-कर्मचारियों की तरह काम लेकर आप उन की पदोन्नति की सम्भावना तथा अन्य सुविधायों को खत्म कर देते हैं। न्याय यह कहता है कि अर्द्ध स्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाय। अस्थायी कर्मचारियों के मामले में स्थिति और भी खराब है। यह बड़ी विचित्र बात है कि एक सभ्य सरकार जो पंच वर्षीय

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

योजना बना कर देश को समृद्ध करना चाहती हो वह अपना सब काम अस्थायी कर्मचारियों से करवाये। मैं कुछ उदाहरण देती हूं। युद्ध से पूर्व कलकत्ता में लेखन सामग्री कार्यालय में स्थायी कर्मचारियों की संख्या ३५५ थी और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या २५। जून १९५२ में स्थायी कर्मचारियों की संख्या ३८० थी और अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी कर्मचारियों की संख्या ५१० थी। इस के बाद स्थायी कर्मचारी उतने ही रहे तथा छंटनी कर दिये जाने के बाद अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी कर्मचारी ४३५ रह गये। इस प्रकार अधिकांश कार्य अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी कर्मचारियों को करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार गैर सरकारी संस्थापनाओं के मालिकों से कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिये कैसे कह सकती है? एक ही मंत्रालय में कर्मचारियों को स्थायी करने की नीति एक सी नहीं होती। डाक तथा तार विभाग में ७५ प्रतिशत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जा रहा है। कच्चा लोहा तथा इस्पात के नियंत्रक के कार्यालय में १९४१ से किसी को भी अर्द्ध स्थायी नहीं किया गया।

भरती और छंटनी दोनों काम साथ साथ किये जा रहे हैं। १९५१–५२ में कलकत्ता में २७७ कर्मचारियों की छंटनी की गई जब कि २७६ व्यक्तियों को सीधे ही भरती किया गया। १९५२–५३ में २५८ कर्मचारियों की छंटनी की गई जब कि ११३ व्यक्ति भरती किये। एक ही कार्यालय में छंटनी और भरती दोनों साथ साथ होते रहते हैं। कच्चे लोहे तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में १९५१ में ३० कर्मचारियों की छंटनी की गई जब कि ९ भरती किये गये। १९५२ में लेखन सामग्री कार्यालय में ७५ कर्मचारियों की छंटनी की गई और ३५ भरती किये गये जिन अपर डिवीज़न तथा लोअर डिवीज़न क्लर्कों की छंटनी की जाय उन के लिये सेवा योजनालय जैसी व्यवस्था होने चाहियें जिस से कि वे दूसरे विभाग में लगाये जा सकें।

दो बातों की बहुत मांग की जा रही है। पहिली यह है कि जिन कर्मचारियों को सेवा में तीन वर्ष हो गये हों उन्हें स्थायी कर दिया जाय, दूसरी यह है कि एक "समूह" व्यवस्था के द्वारा कर्मचारियों की पिछली नौकरी को जारी रखते हुए उन्हें और नौकरी दी जाय।

अब मैं सेवा सुरक्षा न होने की बात को लेती हूं। अंग्रेजी शासन काल की नीति अब भी चल रही है। अभी तक गोपनीय रिपोर्टें भेजी जाती हैं। हम चाहते हैं ऐसी बातें खत्म हो जायें। एक और बात यह भी है कि सरकारी कर्मचारी संसद् सदस्यों से नहीं मिल सकते। ब्रिटिश काल में श्री मुडी ने एक परिपत्र जारी किया था जिस में यह था कि सरकारी कर्मचारियों के कुछ स्वीकृत संघ केन्द्रीय विधान मण्डल के सदस्यों से अपनी सेवा की शर्तों में सुधार करवाने के लिये कहते हैं जो कि अनुशासन की दृष्टि से ठीक नहीं। गृह मंत्रालय के परिपत्र में भी ऐसा ही दिया हुआ है कि बहुत से कर्मचारी मंत्रियों, सचिवों तथा संसद् सदस्यों को अभिवेदन भेजते हैं, यह प्रथा अनुशासन के विरुद्ध है और अनुचित है। आप किसी को संसद् सदस्य के पास जाने से कैसे रोक सकते हैं? यह तो उन का मूल अधिकार है।

राष्ट्रीय सुरक्षण नियम बने हैं। कानून विरोधी कार्यों के बहाने से कार्मिक संघ के सभी वैध कार्यों के लिये दण्ड दिया जाता है। और कम्यूनिस्ट पार्टी, रिवोलूशनरी कम्यूनिस्ट पार्टी, रिवोलूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मुस्लिम नेशनल गार्ड तथा खाकसार पार्टी के सदस्य होने पर लोगों को

अनुदेश जारी किये जाते हैं। इस में फार्वर्ड ब्लाक भी सम्मिलित कर दिया गया। हिन्दू महासभा को सम्मिलित नहीं किया गया। इस सरकार की अंग्रेजी सरकार जैसी नीति है। हमारी यह मांग है कि सरकारी कर्मचारियों को भी कार्मिक संघ के अधिकार दिये जायें। जिन रजिस्टर्ड कार्मिक संघों की सदस्यता ५ प्रतिशत हो उन्हें मान्यता प्रदान की जाय।

मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं निवारक निरोध अधिनियम पर कुछ कहूं। मैं काकद्वीप के किसानों के बारे में कुछ शब्द कहूंगी। चौबीस परगना में जमींदारी प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन हुआ और तीस किसानों को जेल में बन्द कर दिया गया। वहां क्या हुआ? कई कानून बनाये गये, कई अध्यादेश जारी किये जिन्हें कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने अधिकार बाह्य घोषित किया। वे किसान तीन वर्ष से जेल में हैं। स्थिति बदल चुकी है और चुनाव भी हो चुके हैं। उन्हें अब छोड़ देना चाहिये।

अन्त में मैं पारपत्र के विषय में कहूंगी। इस बात का सम्बन्ध नागरिकता के अधिकार से है। यदि मुझे अपराधी घोषित नहीं किया जाता है तो मैं जहां भी जाना चाहूं जा सकती हूं। जब वे विदेशी यहां आ सकते हैं जिन्हों ने साम्राज्यवाद फैलाया तो आप मुझे कहीं जाने से कैसे रोक सकते हैं। भारत के नागरिक होने के नाते मुझे दुनिया के किसी भी देश में जाने के लिये पारपत्र प्राप्त करने का अधिकार है। हमारा स्वतन्त्र राष्ट्र है और कहीं भी जाने का हमारा अधिकार है और यदि हमें यह अधिकार नहीं दिया जाता तो हम इस का विरोध करेंगे।

गृह मंत्रालय की पूरी नीति वैसी ही है जैसी कि मुडी और मैक्सवैल की थी। केवल कुछ थोड़ा सा ही अन्तर है। आज हम पंच वर्षीय योजना, राम राज तथा वर्गविहीन समाज बनाने के विषय में बातें करते हैं। इस के अतिरिक्त और कोई अन्तर नहीं हुआ।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : इन मंत्रालयों ने पिछले एक वर्ष में सफलतापूर्वक काम किया है। मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं। यद्यपि पेप्सू, राजस्थान तथा सौराष्ट्र में शान्ति तथा व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हुई किन्तु गत वर्ष देश में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक थी। डाकुओं से छुटकारा पाने के लिये कुछ राज्यों में निवारक निरोध अधिनियम लगाया गया और इस के लगाने में बड़ी सावधानी से काम लिया गया।

भाग 'ग' राज्यों के मंत्रियों को और अधिक उत्तरदायित्व दिया गया। राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि कर दी गई है और वर्तमान आयव्ययक में राज्यों को सहायक अनुदान देने के लिये ५४ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। अंडमान तथा निकोबार द्वीपों में लोगों को बसाने की योजना बनाई गई है और मैं समझता हूं कि वह अगले वर्ष लागू कर दी जायगी। मुझे आशा है कि वहां दक्षिण के लोगों को, जहां आबादी घनी है, बसाने का मौका दिया जायगा।

मैं त्रावणकोर-कोचीन की समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। राज्य मंत्रालय की रिपोर्ट में वहां के मिले जुले मंत्रिमंडल का उल्लेख है, जिस के बारे में यह कहा गया है कि वह भली प्रकार से काम चला रहा है। किन्तु बात ऐसी नहीं है। राज्य मंत्री वहां की स्थिति का अध्ययन करें तो वह देखेंगे कि यह मंत्रिमंडल असफल रहा। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि त्रावणकोर-कोचीन के उच्च न्यायालय के बंटवारे के विषय में इस सदन में शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत किया जायगा।

[श्री पी० टी० चाको]

मैं नहीं समझता कि इतने छोटे राज्य में उच्च न्यायालय की बैंच क्यों हो। उच्च न्यायालय को एर्णाकुलम् से त्रिवेन्द्रम् या अन्य स्थान पर ले जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। किन्तु इतने छोटे राज्य में दो या तीन बेंचें क्यों हों? किन्तु मुझे इस पर केवल इस कारण आपत्ति है कि उच्च न्यायालय को दल बन्दी के आधार पर बनाया गया जिसे इन बातों से पर रखना चाहिये।

मैं माननीय राज्य मंत्री का ध्यान वेंडेनमेत्तु भूमि उद्धार योजना की ओर दिलाना चाहता हूं, जिस के लिये केन्द्रीय सरकार ने भी काफ़ी धन स्वीकृत किया है। वहां लोगों से उस जमीन में खेती करने के लिये कहा गया। यह कहा गया था कि इस योजना के अन्तर्गत ३३,००० एकड़ भूमि में खेती की जायगी। किन्तु इस मिले जुले मंत्रिमंडल के परिणामस्वरूप तथा अन्य गड़बड़ियों के कारण उन लोगों को, जो उस जमीन पर बस गये थे, हटाया जा रहा है।

राज्यों को जो सहायता दी जाती थी उस में वृद्धि कर दी गई, किन्तु त्रावणकोर-कोचीन के मामले में ऐसा नहीं किया गया। मैं ने वित्त आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा है और मैं यह बता दूं कि वित्त आयोग की सिपारिशें उस राज्य के हितों के विपरीत हैं। खाद्य के लिये दी जाने वाली आर्थिक सहायता बन्द कर दी गई। भारतीय राज्य वित्त जांच समिति की सिपारिशों पर त्रावणकोर-कोचीन राज्य का वित्तीय एकीकरण हुआ। उस समय राजस्व की कमी का अनुमान लगाया गया और इस समझौते के अन्तर्गत केन्द्र को राज्य के राजस्व की कमी को पूरा करना था। यह भी कहा गया था कि यदि वित्त आयोग की सिपारिश के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि राजस्व की कमी वाली राशि से कम हो तो राजस्व की कमी वाली राशि राज्य को दस वर्ष तक दी जानी चाहिये। वित्त आयोग ने उस राज्य को खाद्य के मामले में दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर विचार नहीं किया था। त्रावणकोर-कोचीन के लिये ३ लाख टन खाद्य नियत किया गया था। आयात किये गये खाद्य को हम ३२ रुपया प्रति मन हिसाब से खरीदते हैं। हम भारत के किसी अन्य स्थान से खाद्य नहीं खरीद सकते क्योंकि एक रेलगाड़ी रोज़ त्रिवेन्द्रम् भेजनी पड़ेगी। अतः आयात किये हुए खाद्य को ही खरीदा जा सकता है। अब खाद्य २७ रुपया प्रति मन के हिसाब से बिक रहा है जिस में १५ रुपये प्रति मन नुक्सान होता है। लोगों की क्रय-शक्ति कम हो गई है और अब त्रावणकोर-कोचीन सरकार खाद्य के दाम बढ़ा भी नहीं सकती। उस राज्य का कुल राजस्व १२ और १४ करोड़ रुपये के बीच है। आर्थिक सहायता प्राप्त इस दर पर ३ लाख टन खाद्य बेचने से १२ करोड़ रुपये की हानि होगी। यदि कृष्णमाचारी समिति की सिपारिशों को न मान लिया जाय और यदि इस मामले में कुछ किया नहीं गया तो वह राज्य अपना प्रशासन नहीं चला सकता। इस खाद्य समस्या पर वित्त आयोग ने विचार नहीं किया था। मुझे आशा है कि भारत सरकार कोई निश्चय करने से पूर्व इस विषय पर विचार करेगी।

एक और प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिये था। एकीकरण के समय त्रावणकोर में सीमा शुल्क से लगभग एक करोड़ रुपये की आय होती थी। कोचीन में सीमा शुल्क न होने से हम से सीमाशुल्क खत्म कर देने के लिये कहा गया था। अन्य भाग 'ख' राज्यों के भारत संघ में मिलाने के समय उन्हें सीमाशुल्क लगाये रखने के लिये अनुमति दे दी गई थी। मुझे खेद है कि अनदान की

व्यवस्था करते समय वित्त आयोग ने इस एक करोड़ की हानि का विचार नहीं रखा। अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत ४५ लाख रुपये की अनुदान की व्यवस्था है। मैं जानता हूं कि अनुच्छेद २७३ के अन्तर्गत आसाम, पश्चिमी बंगाल तथा बिहार को पटसन से प्राप्त होने वाले निर्यात कर का कुछ हिस्सा दिया जाता है। किन्तु जब त्रावणकोर कोचीन भारत संघ में सम्मिलित हुआ उस समय हमें यह कहने का मौका नहीं मिला कि हमें भी काली मिर्च से, जिस पर कि इस का एकाधिकार है, निर्यात कर का कुछ भाग मिलना चाहिये। १९५१ में इस का निर्यात कर ५ १/२ करोड़ रुपये था। हमारा राज्य भारत संघ में उस समय सम्मिलित हुआ जब कि दीवान और दरबार त्रावणकोर के लिये स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। हम सब उस समय संघ में सम्मिलित होने के लिये अत्यधिक उत्साही थे। देश की आर्थिक अवस्था तथा यहां प्रति व्यक्ति पर लगाये गये कर को देखते हुए, मैं समझता हूं कि इस राज्य को जो सहायता दी जाती है वह बहुत कम है। प्रति व्यक्ति पर १९ रुपये कर लगाया गया है। इतना अधिक कर संघ में कहीं और नहीं लगा है। जो विभाग पहिले फैडरल कार्य करते थे उन के मामले में कुछ समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं। सदन में यह बताया गया था कि आय-कर विभाग के बहुत से क्लर्कों का जिन का वेतन ५५ रुपये है, मध्य भारत, मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र तबादला किया जा रहा है। इस का कारण यह बताया गया था कि इस विभाग में फालतू कर्मचारी हैं। भारत सरकार ने इन सब कर्मचारियों को अपने विभाग में ले लिया। अब उन से कहा जा रहा है कि यदि उन्हें नौकरी करनी है तो उन्हें राज्य से बाहर जाना पड़ेगा अन्यथा फालतू होने के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। संचरण विभाग के साथ भी ऐसा ही मामला है। वेतन श्रेणियां अजीब प्रकार से रखी गयी हैं और जिन्हें नौकरी करते हुए २५ वर्ष हो गये हैं वे १९५० में सीधे ही भरती किये गये क्लर्कों से कनिष्ठ हो गये। संचरण विभाग में ६० रुपये से कम वेतन पाने वालों की कई वर्ष तक पदोन्नति नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि राज्य मंत्री इन मामलों को देखें और इस बात का ध्यान रखें कि भूतपूर्व रियासत के सरकारी कर्मचारियों को किसी प्रकार की हानि न हो।

उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

श्री कक्कन (मदुरई--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : हरिजनों के उद्धार के सम्बन्ध में माननीय गृह-कार्य मंत्री ने जो कार्य किया है मैं उस के लिये उन्हें बधाई देता हूं। कांग्रेस सरकार ने उन की हर प्रकार से सहायता की है। यद्यपि हरिजनों को शिक्षित करने के सम्बन्ध में बहुत कुछ किया गया है किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ किया जाना है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कदम उठाये अन्यथा हो सकता है असामाजिक लोग उन्हें अपने पक्ष में कर लें।

अस्पृश्यता का अब भी जोर है। सवर्ण हिन्दू आज भी उन का सामाजिक बहिष्कार करते हैं। इस सम्बन्ध में जिस प्रकार पहले प्रचार किया जाता था वैसा अब नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मंत्रीगण तथा सरकारी कर्मचारी भी अस्पृश्यता दूर करने में अपना पूरा पूरा सहयोग दें। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित तो कर दिया गया है किन्तु अभी तक उस से हरिजनों का कोई लाभ नहीं हुआ है। क्योंकि हरिजन जब इस अधिनियम की शरण लेते हैं तो उन का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है।

[श्री कक्कन]

अतएव मेरा निवेदन है कि राज्य सरकारें इस ओर अधिक ध्यान दें ।

हरिजनों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये । प्रत्येक राज्य में बहुत सी भूमि उपलब्ध है । इस में से कुछ भाग हरिजनों को दिया जाना चाहिये । मद्रास में मदुरा जिले के लोअर पलानी पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों का नाम पहाड़ी आदिमजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है । मेरा निवेदन है कि उन का नाम भी सम्मिलित किया जाये तथा उन के बच्चों की पढ़ाई आदि की व्यवस्था की जाये । उन की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये वहां उन्हें भूमि दी जाये ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, विशेषकर तिरुमंगलम् ताल्लुक में, भूतपूर्व अपराधी आदिमजातियां हैं । पहले उन का प्रशासन अपराधी आदिमजातियां अधिनियम द्वारा किया जाता था । वे लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं । उस क्षेत्र में अधिकतर भूमि पानी की कमी के कारण सूखी पड़ी रहती है । यदि मद्रास सरकार द्वारा रखी गई पेरियर योजना स्वीकार कर ली जाये तो वहां की लगभग १३,००० एकड़ भूमि में सिंचाई का प्रबन्ध किया जा सकता है ।

गत निर्वाचन में बहुत से हरिजनों के नाम निर्वाचक-नामावलियों में नहीं थे । मेरा निवेदन है कि उन के नामों को भी शामिल कर लिया जाये ।

अन्त में, मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों के लिये और अधिक सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाये अन्यथा उन के साम्यवादियों के हाथों में पड़ जाने की संभावना है । भारत की कुल जन संख्या का हरिजन एक छटा भाग है, फिर भी, उन का उद्धार करने के लिये बजट में केवल एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । मेरा निवेदन है कि यह राशि कम से कम चार या पांच करोड़ तो कर दी जाये तथा हरिजनों के लिये एक पृथक् विभाग खोल दिया जाये ।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम्) : प्रशासन की कार्यकुशलता के सम्बन्ध में मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या १४१ प्रस्तुत करती हूं । गत पांच वर्षों में असैनिक प्रशासन बहुत ही खर्चीला हो गया है तथा उस में कार्यकुशलता नाम को भी नहीं रही है । जनता ने आशा की थी कि अपना प्रशासन होने पर परिस्थितियों में परिवर्तन हो जायेगा । एक बार फिर से साधारण व्यक्ति सुख से रहने की आशा कर सकेगा । परन्तु हुआ उल्टा ही है । ग़रीब करदाताओं पर और कर लगाये गये हैं जिस से अब उन का जीवित रहना तक कठिन हो गया है । पिछले १० वर्षों से प्रशासन का खर्च बढ़ता ही जा रहा है । पिछले पांच वर्षों में वह १४ करोड़ रुपये से बढ़ कर ७१ करोड़ रुपये हो गया है । अंग्रेजों के शासन काल में कम से कम अनुशासन तथा कार्यकुशलता तो थी । आजकल तो आप को कोई पूछने वाला ही नहीं है । सचिव और उपसचिवों ने मंत्रियों की आड़ में अपना हित साधना आरम्भ कर दिया है । सत्तारूढ़ दल के सदस्य सचिवों के साथ मेल बढ़ा कर अपना काम निकालते हैं ।

सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि उस के बारे में जितना कहा जाय कम है । जब अपराधी कर्मचारियों को पकड़ा जाता है तो मंत्रीगण उन की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं ।

निवारक निरोध अधिनियम का आजकल कुछ और ही तरह से प्रयोग किया जा रहा है । शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर दिल्ली में पुलिस क्या नहीं कर रही है ।

रात को घरों में घुस कर व्यक्तियों को पीटा जाता है। स्त्रियों पर अत्याचार किये जाते हैं। उन के कपड़े तक उतार लिये जाते हैं।

श्री फीरोज गांधी (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला रायबरेली—पूर्व) : जब माननीय सदस्या ने इतने भारी आरोप लगाये हैं तो मैं चाहता हूं कि वह माननीय मंत्री को घटना का पूरा पूरा हाल भी बतायें जिस से वह इस के बारे में जांच कर सकें।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण–पूर्व) : मेरे पास यहां पर उन के नाम मौजूद हैं। मैं माननीय मंत्री को उन के नाम बतलाऊंगा तथा यह भी बतलाऊंगा कि पुलिस ने किस प्रकार सोने वाले कमरों में अत्याचार किये। पहले, पहाड़गंज में श्री सेनापति.....

उपाध्यक्ष महोदय : वह नाम बाद में दे सकते हैं।

कुमारी एनी मस्करीन : अब मैं सचिवालय के निम्नवर्ग के कर्मचारियों का मामला लेती हूं : एक ओर तो उन्हें इतना भी वेतन नहीं दिया जाता है कि वे अपना निर्वाह भी कर सकें दूसरी ओर उच्च अधिकारी हैं जो राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं। मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र राज्य में वेतनों के सम्बन्ध में इस प्रकार की असमानता दूर की जाय तथा प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाह करने के लिये उचित वेतन दिया जाये।

जहां तक केन्द्र से राज्यों के विभागों के एकीकरण किये जाने का सम्बन्ध है उस के बारे में अभी तक अन्तिम निश्चय नहीं किया जा सका है। अभी तक अधिकारियों के वेतन तथा नौकरी की शर्तों के सम्बन्ध में कोई फैसला नहीं किया गया है। योग्यता तथा अनुभव का कुछ भी ध्यान न रखते हुए त्रावनकोर-कोचीन राज्य के आबकारी तथा संचरण विभागों में कर्मचारियों का प्रत्यावर्त्तन कर दिया गया है। यही नहीं बल्कि उन की बदली काश्मीर और राजस्थान को कर दी गई है। यह तो सरासर अन्धेर है। मैं ने लोगों को कहते सुना है कि इस से तो अंग्रेजों का ही राज्य अच्छा था।

अत में, मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह प्रशासन में सुधार करने का पूरा पूरा प्रयत्न करें जिस से वर्तमान गंदगी दूर हो सके।

स्वामी रामानन्द तीर्थ (गुलबर्गा) : मैं राज्य मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा के समय राज्यों की जनता के भावों को यहां पर व्यक्त करना आवश्यक समझता हूं। राज्यों के भारत संघ से एकीकरण के बाद वहां की जनता के दैनिक जीवन में कुछ कठिनाइयां आ गई हैं। उन्हें कुछ लाभ भी अवश्य पहुंचे हैं, परन्तु विशेषतः वित्तीय दृष्टि से भाग (ख) राज्यों को काफ़ी हानि पहुंची है। इस से वे राज्य राष्ट्रीय विकास के कार्य को आरम्भ नहीं कर सके हैं। हैदराबाद तथा दूसरे राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता काफ़ी नहीं है। मेरा निवेदन है कि भाग (क) तथा भाग (ख) राज्यों के विभेद को समाप्त किया जाय तथा भाग (ख) राज्यों को अधिक उदार आधार पर सहायता दी जाय।

श्रीमान्, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस भेद को तत्काल हटा दिए जाने के पक्ष में भी नहीं हूं। मैं यह पूरे उत्तरदायित्व से कह रहा हूं। मेरा अनुभव है कि भाग (ख) राज्य अभी प्रशासन कार्य के अनुभव में परिपक्कव नहीं हुए हैं। मैं इन राज्यों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति के विरोध में नहीं हूं। हैदराबाद में राज्य-प्रशासन तथा परामर्शदाता श्री एन० के० वैलोदी ने परस्पर मिलकर बड़ी प्रशंसनीय रीति से काम किया है। इस पद से श्री वैलोदी के निवृत्त होने के समय मैं उन के प्रति इस बात

[स्वामी रामानन्द तीर्थ]

के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्हों ने राज्य को अपने अनुभव से लाभ पहुंचाया है।

प्रशासन कार्य में भावना से नहीं, यथार्थवाद से काम लेना पड़ता है। रियासतों के ८ करोड़ व्यक्तियों की मांग है कि राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया जाय। यद्यपि भावना का भी राष्ट्रीय जीवन में कुछ महत्व रहता है, फिर भी यह मांग भावना पर आधारित नहीं है। रियासती जनता इस बात को सहन नहीं कर सकती कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध उन्हों ने अपनी स्वतन्त्रता का संग्राम किया हो, वही राजप्रमुख बन कर उन पर शासन करे। जब काश्मीर के महाराजा हरिसिंह को गद्दी से उतार दिया गया है तो निज़ाम को क्यों नहीं उतारा गया ? हैदराबाद की जनता वर्तमान राजप्रमुख के सख्त विरोध में है।

आप काश्मीर के झंडे का सवाल ही लीजिये। काश्मीर की जनता ने उस झंडे के नीचे स्वतन्त्रता की लड़ाई को लड़ा था तथा आज उसी भावना से वे इसे अपनी इमारतों पर फहराना चाहते हैं। हमें अलग रियासती झंडे की भावना का सत्कार करना पड़ता है। जब झंडे की बात ठीक है तो तो राजप्रमुख के पद को हटाने की भावना का कहीं अधिक महत्व है। मेरी यह पूरे ज़ोर से मांग है कि राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया जाय तथा जितनी शीघ्रता से समाप्त किया जाय, उतना ही अच्छा होगा।

एक और मांग भाषावार प्रान्तों के बनाने की की गई है। हमारी स्थिति इस बारे में स्पष्ट ह तथा मुझे सन्देह नहीं कि राज्यों को भाषावार प्रशासनीय तथा आर्थिक आधार पर बनाने से हैदराबाद की सीमाओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। सभी राजनैतिक दल इस बारे में सहमत हैं कि हैदराबाद के विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले क्षेत्रों का समीपवर्ती राज्यों में विलय कर दिया जाय। मैं इस कार्य को बहुत शीघ्रता से करने के पक्ष में नहीं हूं। हैदराबाद के विघटन की समस्या में हमें बहुत सावधानता तथा शान्ति से काम लेना चाहिये लाखों व्यक्तियों के जीवन पर प्रभाव डालने वाली बातों में अनुचित शीघ्रता से काम नहीं लिया जाना चाहिये। मुझे इस में सन्देह नहीं कि किसी न किसी समय हैदराबाद की सीमाओं को फिर से निश्चित करना होगा।

हैदराबाद को एक और कठिनाई का सामना है। उस राज्य के भारत से एकीकरण के बाद वहां के शिक्षित युवकों को बहुत हानि उठानी पड़ी है। पुलिस कार्यवाही के बाद बहुत से लोगों को बाहर से लाना पड़ा तथा हम उन की सेवा के लिए उन के आभारी हैं। परन्तु बाद में असंतोष फैलने से आन्दोलन चला तथा अब उन सब तथाकथित "गैर मुलकियों" को राज्य से वापस लौटा दिया गया है। अब स्थानीय अधिकारी ही वहां के प्रशासन को चला रहे हैं अतएव जब तक उन राज्यों में प्रजातन्त्रवाद पूर्णतः स्थापित न हो जाय तथा स्थानीय जनता अपने प्रशासन-भार को स्वयं न उठा सके, उन्हें राज्य मंत्रालय की सहायता की आवश्यकता रहेगी।

हैदराबाद की मुद्रा के विमुद्रीकरण के प्रश्न को उठाया गया है। मैं वित्त मंत्री का कृतज्ञ हूं कि हाली सिक्के के हटाने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए उन्हों ने आवश्यक परिवर्तन किए हैं। इस से ग़रीबों को बहुत तकलीफ़ होती।

श्री सी० आर० इय्युन्नी (त्रिचूर) : मेरा सम्बन्ध कोचीन राज्य से है जिसे अब त्रावणकोर राज्य से मिला दिया गया है। कहा गया है कि विलीनीकरण के समय

राज्य के लोगों की इच्छा को जानने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस समय कई मामलों पर चर्चा की गई। एक मामला यह था कि उच्च न्यायालय को कहां स्थित किया जाय तथा दूसरा मामला राजधानी का था। बहुत विवाद के बाद उच्च न्यायालय को अर्नाकुलम तथा राजधानी को त्रिवेन्द्रम में बताने का निर्णय किया गया। अब कोचीन के लिए इस विलय के क्या परिणाम हुए हैं ? सभी लोग दुःखी हैं। इस के कारण क्या हैं ?

इस सम्बन्ध में मैं तीन चार बातें कहना चाहता हूं। कोचीन का कोई व्यक्ति जब कभी कोई प्रार्थनापत्र भेजता है तो कई महीनों तक तो उस का उत्तर ही नहीं आता। कोई किसी की परवाह नहीं करता। त्रिवेन्द्रम के निकट रहने वाले तो स्वयं कार्यालय में जा कर कारण पूछ सकते हैं, परन्तु २०० मील परे रहने वालों के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं है तथा न वे बख्शीश आदि दे सकते हैं। यह शिकायत त्रावणकोर तथा कोचीन दोनों की एक जैसी है।

मेरे पास वर्ष १९५१–५२ सम्बन्धी रिपोर्ट है। इस के अनसार, यद्यपि राज्य मंत्रालय ने सेवाओं के एकीकरण के अनुदेश कितने ही समय से जारी कर रखे हैं तो भी यह एकीकरण अभी तक पूरा नहीं हो सका है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

सेवाओं के एकीकरण के बारे में हमें अत्यन्त हानि हो रही है। जब कभी कोई कानून कोचीन के लिए अच्छा होता है तो उसे बिना किसी अन्तर के सारे राज्य पर लागू कर दिया जाता है। इस के विपरीत जब कोई कानून केवल त्रावणकोर निवासियों के लिए ही अच्छा होता है तथा कोचीन वालों के लिए इतना लाभदायक नहीं होता तो उसे कोचीन पर लागू नहीं किया जाता। यदि वहां पर कोई परामर्शदाता भेजा जाय, तो उसे किसी भाग विशेष के प्रति सहानुभूति नहीं होगी तथा उस का दृष्टिकोण तटस्थ रहेगा।

इस रिपोर्ट से वहां की ठीक स्थिति का पता चल जाता है। अधिकारियों में भ्रष्टाचार है तथा कार्यक्षमता का अभाव। जब तक इस भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया जाता, स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा। परन्तु खेद है कि सरकार ने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। अपराध बढ़ रहे हैं तथा हत्या के मामलों तक पर परदा डाला जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि सरकार को वहां के लिये परामर्शदाता की यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय। ऐसा करने से स्थिति कुछ सुधर जायगी। ३२ वर्ष से कोचीन में विधान सभा काम कर रही है तथा वहां का प्रशासन उतना ही क्षमतापूर्ण था जितना कि भारत के किसी और राज्य का। शिक्षा में वह रियासत सब से आगे थी तथा संचरण के साधनों और चिकित्सा सहायता में भी लगभग यही अवस्था थी। हमारे सभी लोग प्रसन्न थे। परन्तु अब हालत बहुत खराब हो चुकी है। बिना परामर्शदाता की नियुक्ति के हमारे लिए अच्छे समय के आने की आशा नहीं हो सकती। मैं ने राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री को पत्र लिखे हैं, परन्तु मुझे आशाजनक उत्तर नहीं मिल सका।

श्री माधव रेड्डी : जनाब चेयरमैन साहब, होम मिनिस्ट्री और स्टेट्स मिनिस्ट्री के बारे में बहुत सी बातें थीं जिन के बारे में कहा जा सकता है। मगर थोड़ा सा समय जो मुझे मिला है उस में शायद मैं वह सब नहीं कह सकूंगा। इसलिये मैं कुछ चन्द बातों के ऊपर ही, जिन के बारे में मैं ने कट मोशन्स दिये हैं, कहूंगा। कब्ल इस के कि मैं अपने विचार

[श्री माधव रेड्डी]

रखूं, मैं चाहता हूं कि अपनी खुशी का इजहार करूं इस बात पर कि हैदराबाद के एक ज़िम्मेदार मैम्बर ने बिलाखिर इस हाउस में आज इंस्टीट्यूशन आफ राजप्रमुख्स के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई ।

स्वामी रामानन्द तीर्थ : वह बहुत दिन के पहले उठाई थी ।

श्री माधव रेड्डी: इस हाउस में नहीं उठाई थी। मुझे आशा है कि यह आवाज़ प्राइम मिनिस्टर के कान तक पहुंचेगी ।

पिछले बजट की डिबेट के मौके पर मैं ने पार्ट बी स्टेट्स के साथ स्टेट्स मिनिस्ट्री के सलूक के बारे में कुछ शिकायत की थी। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस सलूक में अभी तक कोई तबदीली नहीं हुई। अभी हालांकि एक पार्ट बी स्टेट्स के आनरेबिल मेम्बर ने फरमाया कि पार्ट बी स्टेट्स में जो कांउन्सिलर्स हैं ठीक काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के साथ अच्छा कोआपरेशन है, मगर मैं समझता हूं कि जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मुझे मालूम हुआ है यह एक आम शिकायत है कि काउन्सिलर्स स्टेट्स के अन्दरूनी मामलात में मदाखलत करते हैं, सलाह और मशविरे के नाम पर डेटू डे ऐडमिनिस्ट्रेशन के मामले में मदाखलत करते है। स्टेट्स मिनिस्टर का कहना है कि उन की मिनिस्ट्री को स्टेट्स पर ऐडवाइजिरी ज्यूरिसडिक्शन है और काउन्सिलर्स तो स्टेट्स में सिर्फ मशविरा देने के लिये हैं। जब तक स्टेट्स को उन की जरूरत होगी रहेंगे, जब स्टेट्स को जरूरत नहीं होगी तो वहां से वे हट जावेंगे । मगर मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह हकीकत नहीं है। मैं कोई स्ट्रांग वर्ड इस्तेमाल करना नहीं चाहता, मगर मैं यह कहूं, तो बेजा नहीं होगा कि यह काउन्सिलर्स हम को पुराने पोलीटिकल रैजीडेंट्स की याद दिलाते हैं। मैं महसूस करता हूं कि स्टेट्स मिनिस्ट्री ने आर्टिकल ३७१ का गलत इंटरप्रिटेशन किया है और प्रैज़ीडेंट को गलत मशविरा दिया है, क्योंकि आर्टिकल ३७१ कभी यह नहीं कहता, उस का कभी यह मंशा नहीं है कि स्टेट्स मिनिस्ट्री के एजेंट्स स्टेट्स के अन्दरूनी मामलात में मदाखलत करें, स्टेट्स में ड्यूअल ऐडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट्स की सारी सरविसे का कंट्रोल करें, क्योंमि इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि स्टेट्स की सरविसेज की लायल्टी काउन्सिलर्स के प्रति है, न कि वहां की कैबिनेट के प्रति, न कि वहां के चीफ मिनिस्टर के प्रति, फिर आनरेबिल स्टेट्स मिनिस्टर ने कहा कि वहां के काउन्सिलर्स सिर्फ ऐडवाइस देने के लिये हैं, और जब स्टेट्स को जरूरत नहीं होगी तो वे वहां से हट जावेंगे। मगर मैं उन से दरियाफ्त करना चाहता हूं कि क्या हैदराबाद गवर्नमेंट ने उन से यह नहीं कहा कि उन को काउन्सिलर्स की जरूरत नहीं है । मिस्टर वैलोडी की टर्म को ऐक्सटैंड किया गया और अब मुझे मालूम हुआ कि उन के बजाय एक दूसरा काउन्सिलर वहां भेजा जाने वाला है ।

दूसरा सवाल जो मैं यहां उठाऊंगा वह प्रीवी परसैज के बारे में है। जब कभी यह सवाल उठाया जाता है तो यही जवाब दिया जाता है कि हिन्द सरकार ने कुछ ऐग्रीमेंट किया हुआ है, कुछ कावबीनैंट्स हैं जिन को कांस्टीट्यूशन ने मैंडेट किया है और हुकूमत पर कुछ आबलिगेशन्स हैं, मारल आबलिगेशन्स हैं कि उन की पाबन्दी वगैरह करे।

तो मैं इन तफसीलात में न जाते हुए अर्ज करना चाहता हूं कि आज वक्त आ गया है कि हम उन कावनैन्टस से और उन ऐग्री-

मेंट्स से बंधे हुए नहीं रह सकते, फाइव इयर प्लान हमारे सामने है। फाइव इयर प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिये तो हमारे पास पैसा नहीं है और उस के लिये आस्टेरिटी डिमांड करते हैं, आप कहते हैं कि सिम्पल लाइफ लीड कीजिये और पैसा सेव कीजिये ताकि फाइव इयर प्लान के लिये पैसा मिल सके, कौमन पीपुल से तो आस्टेरिटी डिमांड की जाती है और इन प्रिन्सेज से जो पांच करोड़ रुपया सालाना पाते हैं और ऐश करते हैं उन से कोई आस्टेरिटी डिमांड नहीं की जाती। इस लिये मैं इस मौके पर यह सुझाव रखना चाहता हूं कि प्रीवी पर्सेज कम से कम पांच साल के लिये ससपेंड की जायें अगर और ज्यादा संभव न हो, जब तक कि प्लानिंग की डेट खत्म न हो ऐग्रीमेंट सारे रिवाइज हों। अभी तीन दिन पहले मेरे एक सवाल के जवाब में स्टेट मिनिस्टर ने कहा कि काश्मीर गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन देने से इन्कार कर दिया है, प्रीवी पर्स के सेंट्रल फंड में ६ लाख का कंट्रीब्यूशन देना था, उस के देने से इनकार कर दिया, मैं समझता हूं कि उस ने बड़ा अच्छा काम किया और बड़ी अक्लमन्दी का काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराजा हरीसिंह के साथ जो ऐग्रीमेन्ट किया है उस को रिवाइज नहीं किया है और ६ लाख से १० लाख कर दिया, ६ लाख से दस लाख करने के लिये तो ऐग्रीमेंट रिवाइज हो सकता है, तो मैं नहीं समझता कि ५० लाख से २५ लाख या १० लाख करने के लिये क्यों नहीं रिवाइज हो सकता । मैं तो चाहूंगा कि सारे ऐग्रीमेंट्स रिवाइज करने के लिये और नेगोशियेसन्स जल्दी स्टार्ट किये जायें और प्रिन्सेज को मजबूर किया जाये कि आज के हालात को देखते हुए जितना उन को मिल रहा है, उस से कम कबूल करें। और अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो रिहैबिलिटेशन पर्स के नाम से दीजिये ।

इस के बाद एक दूसरा सवाल प्रिन्सेज की प्राइवेट प्रापरटी के बारे में उठाना चाहता हूं कि उन की प्राइवेट प्रापरटी के सिलसिले में जो कुछ मुआहिदे और ऐग्रीमेंट्स स्टेट्स मिनिस्ट्री के साथ हुए उस में स्टेट्स के साथ बड़ी नाइन्साफी की गई। प्रिन्सेज ने कुछ इन्वेन्टरी और फैहरिस्तें जदीं कि इतनी हमारी जायदाद है और स्टेट्स मिनिस्ट्री ने उस को मान लिया, यह ठीक है कि इस से पहले वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स से पूछ लिया गया था, मगर जिन दिनों यह ऐग्रीमेंट्स हो रहे थे उन दिनों किसी भी स्टेट में रिप्रेज़न्टेटिव गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिये यह मुआहिदे एक टेबल के अतराफ पर बैठ कर गिव एन्ड टेक की स्प्रिट में किये गये जैसा कि ह्वाइट पेपर कहता है, अगर प्रिन्सेज ने कहा कि हमारे सौ मकानात हैं, तो यह कहा गया ठीक है, आप नव्वे ले लीजिये और दस गवर्नमेंट को दीजिये इस स्प्रिट में वह सब मुआहिदे हुए मैं महसूस करता हूं कि इन मुआहिदों के जरिये काफी स्टेट्स की प्रापरटी प्रिन्सेज के हाथ चली गई, यह सारा झगड़ा, स्टेट गवर्नमेंट के सुपुर्द करना चाहिये था, मुझे कई ऐसे इंस्टान्सेज़ याद हैं जिनमें झगड़े होने का अन्देशा है। अगर आज झगड़ा नहीं होता तो कोई स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स मिनिस्ट्री के पास आने की हिम्मत नहीं करती अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को इस बात की आजादी हो कि वह कोर्टस में जा सकें तब तो मैं समझता हूं कि यह झगड़ा दूर हो जायेगा बजाय इस के कि स्टेट्स मिनिस्ट्री उन के झगड़े में आरबिट्रेट करे या किसी आरबिट्रेटर को भेजे, मैं चाहूंगा कि बेहतर यह होगा कि ऐसे केसेज हाईकोर्ट्स में ले जायें ।

इस के बाद कुछ प्रिन्सेज के प्रिविलेजेज़ के बारे में भी अर्ज करना है, कोई नहीं जानता कि उन के क्या प्रिविलेजेज हैं, कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है कि किस के क्या प्रिविलेज

[श्री माधव रेड्डी]

हैं। मुझे मालूम है कि कितने ही प्रिन्सेज अपने मकानात का टैक्स म्युनिसिपैलिटी को नहीं देते, क्या यह भी उन का प्रिविलेज है ? और सुना तो यहां तक जाता है कि हैदराबाद के निजाम को १२ खून तक माफ हैं, तो क्या आज भी वह १२ खून माफ हैं ? मैं समझता हूं कि स्टेट्स मिनिस्ट्री ने प्रिन्सेज के यह सब प्रिविलेजेज़ मान जमूहिरियत पर बड़ी भारी चोट लगाई है और जितनी जल्दी यह प्रिविलेजेज खत्म हों उतना अच्छा है ।

इस के बाद मैं कुछ सेंट्रल सेक्रेटेरियट के थर्ड डिवीज़न क्लर्कस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि इस कमीशन ने उन के साथ बड़ी नाइंसाफी की है, १९४७ के पहले उन की तनख्वाह बेसिक पे ६० रुपये मासिक थी सन् १९४७ के बाद से सेंट्रल पे कमीशन की सिफ़ारिशात के मुताबिक उन की तनख्वाह घटा कर ५५ रुपये की गई है, मेरी समझ में नहीं आता कि जब सेंट्रल पे कमीशन ने सारे मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाने के बारे में निर्णय किया तो इन की तनख्वाह क्यों घटायी जिन के बारे में मैं कहूंगा कि यह तो सेक्रेटेरियट की इमारत के सितून हैं, उन की तनख्वाह क्यों घटाई जाये ? सन् १९३१ से पहिले उन की बेसिक पे ९० रुपया थी, १९३१ के बाद उन की तनख्वाह घट कर ६० रुपये हुई, जंग के जमाने में ६० रुपये रही और अब सन् ४७ के बाद से उन की तनख्वाह घटकर ५५ रुपये हो गई। समझ में नहीं आता कि पे कमीशन ने स्टोनोग्राफर्स की तनख्वाह २८ प्रतिशत बढ़ाई, असिस्टेंट्स की करीब ६० प्रतिशत तनख्वाह बढ़ी, लेकिन इन गरीब बाबू लोगों की तनख्वाह साठ फी सदी कम करदी । मुझे ऐसा मालूम होता है कि पे कमीशन ने सिफारिश करते समय इन की बुनियादी जरूरियात का ख्याल नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि दिल्ली जैसे शहर में ५५ रुपये में एक एव्रेज मिडिल क्लास क्लर्क अपनी जिन्दगी कैसे गुजार सकता है? अगर बुनियादी जरूरयात का ख्याल किया जाय तब भी एक क्लर्क का फैमिली बजट किसी तरह से २०० रुपये मासिक से कम नहीं हो सकता है, इसलिये एक क्लर्क की बेसिक पे कम से कम १०० रुपये माहवार अवश्य होनी चाहिये ।

सेंट्रल पे कमीशन की फाइंडिंग्स के मुताबिक आज गवर्नमेंट के हाईपेड और लोपेड आफिशियल्स की तनख्वाहों का तनासुब करीब १ और ६६ का है और यह बहुत बड़ा फर्क है और जितनी जल्दी यह घटाया जाय उतना अच्छा है। अगर मैं बड़े अफसरों की तनख्वाह घटाने की बाबत कहूंगा तो होम मिनिस्टर साहब नाराज़ होंगे और कहेंगे कि मुंह से कह देना बड़ा आसान है, कलम ले कर बैठना और वर्क आउट करना दूसरी बात है। लेकिन मैं उन से कहूंगा कि बड़े अफसरों की तनख्वाह में कटौती करना और क्लर्कस की तनख्वाह बढ़ाना यह कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ उसको करने की नीयत होनी चाहिये। मेरी समझ में छोटे और बड़े अफसरों की तनख्वाहों में अनुपात एक और दस से ज्यादा न होना चाहिये, कम से कम तनख्वाह १०० रुपया हो और ज्यादा से ज्यादा १००० हो, १००० से ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिये । अगर यह तनासुब मान लिया जाय और मेरे सुझाव पर अमल किया जाय तो इन अभागे क्लर्कों की जो शिकायतें हैं वह दूर हो सकती हैं। मुझे यह जान कर दुख हुआ कि आनरेबुल मिनिस्टर साहब के पास थर्ड डिवीजन क्लर्कस के कई रिप्रेज़ेन्टेशन्स गये, मगर अभी तक उन बेचारों की शिकायतें दूर नहीं हो पायीं। मुझे मालूम हुआ है कि एक नई स्कीम चालू होने वाली

है और उस स्कीम के मातहत क्लेरिकल सर्विस में एक नया ग्रेड खोला जा रहा है ८० से १२० का और इस का मतलब यह हुआ कि ५५ का जो ग्रेड है वह बाकी रहेगा, मैं समझता हूं कि ऐसा करना बड़ी नाइन्साफी की बात होगी। अन्त में मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि मैं ने जितने यहां पर सवाल उठाये हैं और सुझाव दिये हैं, उन पर मिनिस्टर साहब ध्यान देंगे और तफसील से जवाब देंगे।

श्री एन० पी० सिन्हा (हज़ारीबाग पूर्व) : प्रशासन के सम्बन्ध में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम अपनी पंचवर्षीय योजना में तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक कि हमें निचले स्तर पर प्रशासन से पर्याप्त सहयोग न मिले। सरकार कैसी है, इस का निर्णय लोग यह देख कर नहीं करते कि उच्च स्तर पर हम क्या कर रहे हैं, बल्कि यह देख कर करते हैं कि पदाधिकारी क्या करते हैं, और निम्न स्तर पर प्रशासन व्यवस्था कैसे चलती है।

यदि देश के प्रशासन को एक रथ की उपमा दी जाये, तो मैं कहूंगा कि राष्ट्र के रथ को, डा० काटजू और पंडित नेहरू बड़ी योग्यता से आगे ले जा रहे हैं। किन्तु दो शक्तियां अर्थात् साम्यवाद और साम्प्रदायिकता इस रथ को पीछे की तरफ धकेल रही हैं। मैं आशा करता हूं कि यह असफल रहेंगी और देश की प्रगति जारी रहेगी।

क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारा प्रशासन पूर्णतया कार्यकुशल है ? निस्सन्देह यह ऐसा है, परन्तु इस में एक कमी और बहुत भारी कमी यह है कि पदाधिकारियों के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि आप ग्रामों में जायें, तो आप देखेंगे कि पदाधिकारी पदाधिकारी हैं और जनता जनता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस के पास जा कर जन साधारण अपना रोना रो सके या अपनी शिकायतें बतला सके। अब गद्दीधारी पदाधिकार-मोह का जमाना गुजर चुका है और पदधारियों को अपना पदाधिकार-मोह छोड़ना पड़ेगा। उन्हें जनता का विश्वास और सहयोग प्राप्त करना चाहिये। ऐसा किये बिना हमारी योजनायें सफल नहीं हो सकतीं और देश का कल्याण नहीं हो सकता।

देश में यह धारणा प्रचलित है—योजना आयोग की अन्तिम रिपोर्ट में भी इस का उल्लेख किया गया है—कि प्रशासन कार्यपटुता की दिशा में अभी काफी उन्नति की जा सकती है। इस सम्बन्ध में मैं गृह मंत्रालय से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रमाप निश्चित करे और आदर्श स्थापित करे, ताकि राज्य उन का अनुसरण करें और अपने कर्मचारियों में ऐसी भावना पैदा करें कि जनता उन के सम्पर्क में आने पर स्वयं यह कहे कि "यह हमारी सरकार है, यह पदाधिकारी हमारा पदाधिकारी है"।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बहुत सी कठिनाइयां इस कारण उत्पन्न होती हैं क्योंकि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक नहीं किया गया। मैं माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे शीघ्रातिशीघ्र यह पग उठायें। पंचवर्षीय योजना को अपनाने के कारण यह और भी आवश्यक हो गया है।

एक और बात जिस के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता, प्रैस की स्थिति है। गृह मंत्रालय ने प्रैस कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, परन्तु मेरे विचार में यह काफी नहीं है। यह एक बहुत विशाल विषय है

[श्री एन० पी० सिन्हा]

और इस का नये सिरे से पुनरीक्षण करना पड़ेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : सभापति महोदय,.....

श्री नम्बियार (मयूरम्): अंग्रेज़ी में बोलिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: सभापति महोदय, आज गृह मंत्री महोदय और राज्य मंत्री महोदय के विषय की चर्चा यहां हो रही है । मैं अपने वादविवाद को केवल राज्य मंत्रालय से सम्बन्धित रखना चाहता हूं । लेकिन चूंकि अभी उस तरफ बैठे हुए सदस्यों की तरफ से कुछ आपत्ति की गई थी इसलिये मैं दो शब्द गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में भी कहूंगा और वे यह हैं कि मैं विरोधी सदस्यों से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात कम महत्व की है कि इस देश में अंग्रेजी साम्राज्य की शक्तिशाली सत्ता की समाप्ति के बाद एक नई सत्ता का जन्म हुआ और जो परिवर्तन हुआ वह कितना शान्तिपूर्ण हुआ । यहां कोई झगड़ा फिसाद नहीं हो पाया जब कि दूसरे देशों में ऐसे समय वर्षों तक अशान्ति रही ।

दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि इस देश में जो चुनाव हुआ वह कितना बड़ा चुनाव था, इतना बड़ा चुनाव और किसी देश में कभी नहीं हुआ था । यह चुनाव कितने शान्तिपूर्ण ढ़ंग से हुआ इस का प्रमाण यह है कि हमारे विरोधी सदस्यगण यहां बैठे हुए हैं और तमाम तरह के भाषण करते हैं अगर झगड़े होते, अगर गृह मंत्रालय की ओर से प्रबन्ध ठीक नहीं होता तो, क्या यह कम महत्व की बात है ? तीसरी बात मैं यह पूछूंगा कि क्या वे भूल गये कि हैदराबाद ऐक्शन में किस सावधानी से हमारे गृह मंत्रालय ने और पुलिस ने काम किया । यह भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार भर का एक गृह-प्रबन्ध की दृढ़ता और साहसपूर्ण चैतन्यता का एक ज्वलन्त उदाहरण है। अन्त में मैं सदस्यों का ध्यान उस आन्दोलन की ओर दिलाऊंगा जो यहां चल रहा है और जिसको जम्मू और काश्मीर प्रजा परिषद् के तथाकथित आन्दोलन के नाम से पुकारा जाता है। जम्मू और काश्मीर में जो आन्दोलन था उसका यहां भारतवर्ष में प्रचार किया गया, और यहां साम्प्रदायिक विष फैलाने की कोशिस की गई। लेकिन किस कामयाबी के साथ हमारे गृह मंत्रालय ने उस को संभाला यह आप के सामने है, इत्यादि । प्रबन्ध के सामर्थ्य के ऐसे अनेकों प्रमाण हैं ।

हां नुक्ताचीनी और टिप्पणी करना बड़ा आसान होता है । लेकिन किसी कार्य में लग कर उस को ठीक तरह से चलाना बड़ी मुश्किल चीज़ है । यह हम सब जानते हैं कि कमज़ोरियां हैं और कमजोरियां रहेंगी । लेकिन हमारी उन कमजोरियों को दूर करने की इच्छा है । आप इस बात पर गौर कीजिये कि जब अंग्रेज इस देश से गये तो उस समय जो उन की शासन चलाने की मशीन थी, उसी से तो हम काम चला रहे हैं, उसी से काम करना था । काम करने के दो ही तरीके थे, एक तो रूस का तरीका था और दूसरा वह तरीका था जो कि अभी यहां भारत वर्ष ने अपनाया । रूस का तरीका यह है कि खून के जरिये पाशविक बल के जरिये, शक्तियों को नष्ट करो और उन को खत्म करो। राज्य तमाम ताक़त को अपने हाथ में ले ले और तमाम कानूनों को भुला दे । यह रूस का न्याय है और यही रूस का तरीका है । हमारा जो भारतवर्ष का तरीका है

वह शान्तिपूर्ण ढंग का तरीका है और इस देश के लिये यही ढंग उचित पाया गया है।

इन शब्दों के बाद मैं अब राज्य मंत्रालय की ओर आप का ध्यान आकर्षित करूंगा। राज्य मंत्रालय के सम्बन्ध में भी जो मुझे कहना है उस को मैं दो भागों में बांटूंगा, उस में एक वह है जिस को कि एकीकरण और विलीनीकरण कह सकते हैं, और दूसरा वह जिस को पुनर्निर्माण कह सकते हैं। जहां तक एकीकरण और विलीनीकरण का सवाल है मैं राज्य मंत्रालय को फिर से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने वह महत्वपूर्ण कार्य जिस का सूत्रपात किया गया था अब समाप्त होने वाला है जैसा कि राज्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बड़े बड़े कामों के बारे में लिखा है: "These have for the most part been disposed of." यानी जो बड़ा कार्य राज्य मंत्रालय का है वह कार्य समाप्त हो गया है। अब थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। तो मैं राज्य मंत्रालय को इस की समाप्ति करने पर बधाई देता हूं। मैं कम्युनिस्ट लोगों का इस बात की ओर खास तौर पर ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप विचार रखिये कि काम्युनिज्म में, यह बात है कि यहां के लोगों को शक्ति द्वारा समान स्तर पर लाया जाये। तो हमारी हुकूमत ने अपने भारतीय ढंग पर इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं, आप ज़रा इस पर गौर कीजिये। सब से बड़ा जो प्रश्न था वह राजाओं का था, पूंजीवादी और सामन्तशाहों को ठीक तरह से कांट छांट करने का काम था। वह सरकार ने किया शान्तिपूर्ण उपायों से।

बाबू राम नारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम): और फिर आप राजा बन गये।

श्री एम० एल० द्विवेदी: राज तो कोई न कोई करेगा। प्रजातन्त्र में जो चुनाव में आवेगा वह राज्य होगा। आप इतने वृद्ध महाशय हैं, आप जानते हैं कि प्रजातन्त्र में जो चुनाव जीतेगा वह राज्य करेगा। इसलिये यह बात कहना आप को शोभा नहीं देता। जहां प्रजातन्त्र होगा वहां पर जिस दल का बहुमत होगा वही शासन संभालेगा।

बाबू रामनारायण सिंह: सेवक होगा, राजा या शासक नहीं।

श्री फीरोज गांधी: यह सिनेमा नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: फिर एकीकरण या विलीनीकरण का काम कोई छोटा काम नहीं था। करीब करीब ६०० रियासतें थीं। वहां अलग अलग शासन था। वहां किस प्रकार का अत्याचार और एकतन्त्रवादिता थी इस पर आप जरा विचार करिये। इसलिये यह काम बहुत बड़ा काम था। मेरी समझ में शायद इस तरह का काम जर्मनी में बिसमार्क ने किया था। लेकिन हमारे राज्य मंत्रालय ने यहां बिसमार्क से कहीं ऊंचा काम किया है और यह ज्वलन्त उदाहरण है इस मंत्रालय के कार्य करने का।

इस के बाद फायनेंशियल इंटीग्रेशन हुआ। तमाम राज्य में बराबर बराबर

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

धन का वितरण किया गया और आमदनी का ठीक ठीक हिसाब लगाया गया । पार्ट सी० स्टेट्स के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि यहां भी डिमाक्रैटाइजेशन प्रजातन्त्र का सूत्रपात किया गया। जो स्वतन्त्रता के समय पर आश्वासन दिया गया था कि हमारा काम एकीकरण का है, उसका उद्देश्य प्रजातान्त्रिक शासन स्थापित करने का है, तो जो प्रजातान्त्रिक शासन स्थापित करने का वादा था उस को पूरा किया गया । उस का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि भाग ग के राज्यों में आज मंत्रालय मौजूद हैं, धारा सभायें हैं और वे अपने यहां कार्य कर रही हैं। यही नहीं, अभी हाल ही में मालूम हुआ है कि इन राज्यों में वहां कुछ और सुधार किये जा रहे हैं वहां के मंत्रालयों को और वहां की सरकारों को और अधिकार दिये जा रहे हैं। तो क्या यह काम कोई छोटा काम है ? यह बहुत बड़ा काम है। जो सलाहकारों (काउन्सिलर्स) के बारे में टिप्पणी की जा रही है तो उन सलाहकारों को भी धीरे धीरे हटाया जा रहा है और प्रजा के हाथ में अधिक से अधिक ताकत देने की कोशिश की जा रही है ।

इस के बाद पांचवां काम जो मंत्रालय का है वह डैवलप्मेंट का है। छोटी छोटी रियासतों को ऊंचा उठाने के लिये और वहां पर ज्यादा निर्माण करने के लिये काफी धन दिया जा रहा है। इस पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत मेरे ख्याल में कार्य हो जाने पर इन पांच साल के बाद आप इन राज्यों का ढांचा देखेंगे तो आप कहेंगे कि इस पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो काम किया गया है वह महान काम है और रूस में जो काम किया गया है उस के मुकाबले यहां का निर्माण बहुत ऊंचे दर्जे का है। ग्राम क्षेत्रों में जो काम हो रहा है, जो नये बड़े बड़े बांधों की योजनाओं का काम हो रहा है, इन सब योजनाओं में जो काम हो रहा है, उस को आप देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि कितना बड़ा काम किया जा रहा है। यहां पर बैठ कर नुक्ताचीनी करने में, टिप्पणी करने में और सचमुच देख कर, बात कहने में बड़ा अन्तर पड़ जाता है। नुक्ताचीनी करने के लिये तो सरकार आप को आमंत्रित करती है कि आप नुक्ताचीनी करिये, ताकि हम गलतियों को दुरुस्त कर सकें। लेकिन इन सब बड़ी चीज़ों की दिशा में, जहां पुनर्निर्माण का सवाल है वहां मैं कुछ सुझाव भी आप को देना चाहता हूं । मैं उन सुझावों को बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं । उन सुझावों के पहले मैं मंत्री महोदय का ध्यान भूतपूर्व राज्यों के पुनर्निर्माण के विषय में है, मैं आप का ध्यान एक गवर्नमेंट पबलिकेशन, "इंडियन स्टेट्स टुडे" की तरफ आकर्षित करूंगा। इस में लिखा हुआ है कि :

भारतीय रियासतों का क्षेत्रफल ६,४५,००० वर्गमील है जबकि प्रांतों का क्षेत्रफल ६,३१,००० वर्ग मील हैं । सामान्यतया यह अनुमान लगाया गया है कि पूर्ण अधिकार प्राप्त राज्यों और अक्षेत्राधिकारीय ताल्लुकों तथा थानों की कुल संख्या ५८४ है, उनका आकार, जनसंख्या राजस्व और आन्तरिक प्रशासन-स्तर भिन्न भिन्न हैं । उन की जनसंख्या लगभग ९ करोड़ १० लाख है । जबकि भारत डोमिनियन की जनसंख्या मोटे रूप में ३१ करोड़ ८ लाख है। अब की मर्दुमशुमारी में यह जनसंख्या कुछ बढ़ गई है। इस प्रकार यद्यपि रियासतों का क्षेत्रफल भारतीय प्रदेश का ५०.५% है, किन्तु

उन की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का २३.८ प्रतिशत है ।

तो क्षेत्रफल के विचार से, विस्तार और प्राकृतिक साधनों के विचार से और आबादी के लिहाज से, हर तरह से हमारे राज्यों में जो पुराने देशी राज्य थे, उन की सर्व प्रथनहक । इस लिहाज से पंच वर्षीय योजना में इन के पुनर्निर्माण के लिये जो धन खर्च करना चाहिये वह अधिक संख्या में खर्च करना चाहिये था ।

पंचवर्षीय योजना के देखने से मालूम होता है कि भाग ख और ग भाग राज्यों के पुनर्निर्माण के लिये लगभग दो सौ करोड़ रुपया दिया गया है जब कि 'क' भाग राज्यों के लिये ६०० करोड़ रुपया दिया गया है । मैं कहता हूं कि आप के ह्वाइट पेपर में जगह जगह आश्वासन दिया गया था कि यह ग राज्य अधिकतर पिछड़े हुए राज्य हैं और यहां पर तरक्की की जानी चाहिये और मिसाल के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया की मिनिस्ट्री आफ स्टेट्स ने जो ह्वाइट पेपर निकाला उस के पेज ८८ में इस प्रकार लिखा हुआ है जिस की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं :

"अतः भारत सरकार को शीघ्रातिशीघ्र वित्तीय तथा प्रौद्योगिक सहायता देने के उद्देश्य से इस समस्या की नियमानुकूल जांच करवानी चाहिये । केवल इतना ही कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि संघीय वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप अनुदानों तथा अन्य प्रकार की सहायता को देने के सम्बन्ध में उन के साथ प्रान्तों जैसा ही व्यवहार किया जायगा ।"

मेरे कहने का आशय यह हैं कि प्राविन्सेज के मुकाबले में उनके साथ बराबरी का व्यवहार तो क्या उपेक्षा का व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें वस्तुस्थिति को देखना है । हमें ऐसे राज्यों की दशा को सुधारना है जहां पर सड़कें नहीं हैं, जहां पर यातायात के साधन उपलब्ध नहीं और जहां पर रेलों का विस्तार नहीं है और जहां पर अभी तक राजाओं का एकतन्त्रात्मक शासन होने के कारण कोई उन्नति होना सम्भव नहीं था, हमें इस के अलावा वहां जो प्राकृतिक साधन प्राप्त हैं उनसे हम अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, उन का हम विकास करना चाहते हैं, लेकिन आज के दिन मैं यह देखता हूं कि आज जो अधिक विकसित राज्य हैं जहां पर साधन पहले से उपलब्ध हैं, वहां तो विकास के लिये तिग्गुनी भी से ज्यादा रकम दी गई है, लेकिन जो राज्य कम विकसित हैं और जिनका कि विकास करना अत्यन्त आवश्यक है, वहां के लिये पर्याप्त रकम नहीं दी गई है, और जो दी गई है वह प्रायः उपेक्षित सी है । इनकम टैक्स और अन्य करों के लगाने के सम्बन्ध में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान उसी ह्वाइट पेपर के ९३वें पेज की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस में यह लिखा था कि :

"मध्य भारत, राजस्थान, और विन्ध्य प्रदेश में, १९५०-५१ में सौराष्ट्र की वर्तमान दर से आयकर लगाने के सम्बन्ध में तथा सभी रियासतों में दो या छः वर्ष की अवधि में जो कि वर्तमान स्तर पर निर्भर होगा कर के दर को बढ़ा कर धीरे धीरे भारतीय स्तर तक लाने की समिति की सिफारिशों (यह वित्तीय एकीकरण समिति के सम्बन्ध में है) को सभी रियासतों ने स्वीकार कर लिया है ।" लेकिन मैं आप को बतलाऊं कि एक्चुअली हुआ क्या। जिस समय रियासतों का विलीनीकरण और एकीकरण हुआ और हमारा विन्ध्य प्रदेश भाग ग राज्य बना लिया गया तो और रातों रात में वहां पर

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

इनकम टैक्स का भार लद गया जो समय दिया गया उस का ख्याल नहीं रक्खा गया। जहां तक टैक्सेशन का सवाल है और कर लगाने का सवाल है हम ने इन राज्यों का स्तर समान कर दिया है, लेकिन जहां पर इन राज्यों में विकास कार्य करने का प्रश्न आता है वहां केन्द्र की ओर से जो उन राज्यों को विशेष सुविधायें दी जानी चाहियें, उन की ओर हम ने विशेष रूप से ध्यान ही नहीं दिया है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि जहां आप ने रियासतों का विलीनीकरण और एकीकरण का कार्य सम्पन्न कर लिया है तो अब तक आप को केवल उन में पुनर्निर्माण का कार्य करना है और यह पुनर्निर्माण का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि इस मंत्रालय का ध्यान उस रचनात्मक कार्यों की ओर अधिक आकृष्ट होना चाहिये ताकि हम वहां की अवस्था सुधार सकें। विलीनीकरण के द्वारा हम ने उन रियासतों को बहुत लाभ पहुंचाया है, इस से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही वहां की अवस्था में सुधार जिस की लोग हम से आशा करते थे, वह नहीं हो पाया है।

इस के अलावा मैं एक और चीज की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ राज्यों में जूडीशरी में न्याय विभाग में वहां सब जगह हिन्दी प्रचलित थी, लेकिन संविधान में अर्थात्, हिन्दी राज भाषा स्वीकार हो जाने के बाद भी वहां अंग्रेजी अब थोपी गई जिस के फलस्वरूप वहां के लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आप हाई कोर्ट बनाइये, चीफ कोर्ट बनाइये, अन्य और कोई बनाइये। लेकिन मैं तो समझता हूं कि जब आप ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा और राज्य भाषा स्वीकार कर लिया है तो कम से कम जहां पहिले से हिन्दी प्रचलित थी वहां तो हिन्दी को बन्द न किया जाये और यदि बन्द कर दी हो, तो चालू कर दी जाय और वहां के निवासियों को जो हिन्दी के प्रयोग के कारण जो सुविधा थी उस से वंचित न किया जाय।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो राज्य क्षेत्र 'क' और 'ख' राज्यों में मिला दिये गये हैं वहां की दशा (विलीनीकरण) मर्जर होने के पश्चात्, बड़ी शोचनीय हो गई है। कारण यह है कि आप ने यह सोच कर कि अमुक राज्य चूंकि भाग 'क' में चला गया, इसलिये आप वहां की दशा को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं करते, और कोई जांच या इन्क्वायरी नहीं करते, इसलिये ऐसे राज्यों की दशा बिगड़ गई है।

आम तौर से कर्मचारी लोग अपनी पूर्व जगहों पर नहीं रह पाये हैं। अधिकतर तो निकाल दिये गये हैं, वहां पर तरक्की करने के हेतु कोई नये काम नहीं खोले गये हैं, इस लिये मैं आप से यह प्रार्थना करूंगा कि जो विलीन क्षेत्र (मर्ज्ड ऐरियाज) हैं उनके बारे में आप और जांच करायें ताकि जो वहां पर प्रगति संभव हो, वहां करा सकें, और उन विलीन क्षेत्र (मर्ज्ड एरियाज़) की हालत की तरफ हमें 'अ' श्रेणी के राज्यों का ध्यान आकर्षित कर देना चाहिये।

जहां तक राजाओं द्वारा अपनी सम्पत्ति की सूची देने का सवाल है वह उन्होंने अपने हितों में तो ठीक दी है, लेकिन यह सत्य है कि बहुत सी सम्पत्ति उन्हों ने गलत तरीके से अपने नाम चढ़वा ली और मर्जर के पश्चात् बहुधा ऐसा हुआ है कि राजाओं ने गलत तरीके से सारी सम्पत्ति जो उन की नहीं थी न हो सकती थी वह अपने नाम, या अपने साथियों और रिश्तेदारों के नाम लिखवा ली।

इसलिये यह बहुत जरूरी है कि एक बार फिर इस सम्पत्ति के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाय और इस कारण वहां की प्रजा में जो असन्तोष का भाव फैला हुआ है उस को दूर किया जाय। इस के लिये आप एक कानून बनावें जिस के द्वारा उन तमाम राज्यों की जो सम्पत्तियां हैं उन के बारे में फिर से विचार किया जाय और जो वाकई उन की सही और जायज़ संम्पत्ति समझी जाय वही उन के पास रहने दी जाय और शेष जनता और सरकार के पास आ जाय।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य मंत्रालय का कार्य जब, अब समाप्त हो गया है तो यह ज्यादा उचित और अच्छा होगा यदि यह गृह मंत्रालय में मिला दिया जाय और हमारे गृह मंत्री महोदय पूरा भार दोनों मंत्रालयों का एक साथ सम्भाल लें।

श्री शंकरगौडा पाटिब (बेलगांव दक्षिण) : गृह मंत्रालय के कार्यों को देखते हुए, मैं समझता हूं कि इसे बधाई दी जानी चाहिये। सब से पहले मैं अंडेमान द्वीपों के उपनिवेशन की ओर निर्देश करना चाहता हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय की जो योजना है, उस के दो पहलू हैं। पहला यह कि यदि यह योजना सफल हुई, तो इस से हमारे देश की खाद्य समस्या काफी हद तक हल हो जायेगी। दूसरा पहलू यह है कि इस से बढ़ती हुई जन-संख्या की समस्या को भी हल किया जा सकेगा।

इस के बाद मैं जेल सुधार के विषय को लेता हूं। गृह मंत्रालय ने अमेरीका से एक विशेषज्ञ डा० रेकलेस की सेवायें प्राप्त की थीं और उन से जेलों के सुधार के बारे में बहुत बात चीत हुई है। जेलों में दिये जाने वाले खाने, कपड़े, स्थान, शिक्षा आदि को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वहां का जीवन इस समय अमानुषिक है। अतः वहां के जीवन को मानवीय बनाने के लिये कुछ प्रयत्न करने चाहियें ताकि वहां रहने वालों के लिये ये उचित स्थान बन सकें। इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय जो पग उठा रहा है, वह उचित पग है। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में विदेशों में जो प्रयोग किये जा रहे हैं, उन्हें यहां भी किया जाये। किन्तु हमें बहुत सावधानी से चलना होगा, क्योंकि हमें यह ख्याल रखना है कि हमारे अपराधी जो जेलों में जाते हैं जेलों को शिक्षा स्थान के बदले विश्राम गृह न समझ लें जहां से छूट कर वे और गम्भीर अपराध करने लग जायें।

ये सब उपाय अपराधी के जेल जीवन के सम्बन्ध में हैं। किन्तु हमारा पहला काम यह होना चाहिये कि उन्हें अपराध करने से ही रोका जाये। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ने से प्रतीत होता है कि इस दिशा में अर्थात अपराधों को कम करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं। इस के लिये हमें अपनी सामाजिक परिस्थितियों को बदलना होगा। मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि निरक्षर जनता को, उन लोगों के जिन में से अपराधी पैदा होते हैं, उचित शिक्षा दी जाये। उन्हें बतलाना चाहिये और अनुभव कराना चाहिये कि अपराध करने की उपेक्षा जीविकोपार्जन के अन्य अधिक अच्छे साधन हैं, जिन्हें वे अपना सकते हैं, मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इस प्रयोजन के लिये प्रचार की व्यवस्था करे। इस से गृह मंत्रालय को कुछ अतिरिक्त व्यय तो करना पड़ेगा किन्तु, चूंकि इस प्रचार के फलस्वरूप अपराधियों की संख्या कम हो जायेगी, इसलिये यह व्यय पुलिस विभाग के खर्च में बचत होने से पूरा हो जायेगा।

गृह कार्यालय मंत्रालय इस बात के लिए बधाई का पात्र है कि उस ने अधिकारियों को अपने कर्त्तव्य पर नियुक्त होने से पहले

[श्री शंकरगौडा पाटिल]

प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्र खोले हैं तथा सेवाओं के पुनर्संगठन के लिये प्रयत्न किये हैं। सेवायें हमारे प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं। मंत्रियों द्वारा बनाई गई नीति को अमल में लाने का उत्तरदायित्व सेवाओं पर होता है, वही आम जनता के सम्पर्क में आती हैं, उस की कठिनाइयों को समझती हैं, तथा उन का निवारण कर सकती हैं। मंत्रियों की नीति का अमल में लाया जाना सेवाओं के परिश्रम तथा सत्यापन पर निर्भर करता है। इस कारण हमारी सेवाओं में सुधार होना चाहिये।

परन्तु सेवाओं की मनोवृत्ति को बदलने के लिये मंत्रालय ने कोई यत्न नहीं किये हैं। सेवाओं को अब यह अनुभव होना चाहिये कि एक लोकहितकारी राज्य में वे जनता के हित के लिये काम कर रहे हैं तथा इस सांझे काम में वे मंत्रियों के कार्यबन्धु हैं। उन्हें सरकार की योजनाओं में विश्वास होना चाहिये। यद्यपि समय समय पर मंत्री लोग हमारे सामने बड़े विचार के बाद योजनाओं को उपस्थित करते हैं तो भी सेवाओं का उन में विश्वास न होने के कारण उन योजनाओं की हंसी उड़ाई जाती है तथा उन पर उचित अमल नहीं हो पाता। अतः सेवाओं का सरकार तथा उस की योजनाओं में विश्वास का होना आवश्यक है। उन्हें यह अनुभव होना चाहिये कि उन का मुख्य कर्त्तव्य जनता की सेवा है। गृह कार्य मंत्रालय को इस उद्देश्य से सेवाओं को शिक्षित करना चाहिये। सरकार की सभी योजनायें केवल तभी सफल हो सकेंगी।

इस के बाद मुझे कुछ शब्द सार्वजनिक सुरक्षा तथा निवारक निरोधक अधिनियम के बारे में करने हैं। आज से डेढ़ वर्ष के बाद यह अधिनियम संविधि पुस्तक से निकल जायेगा हमें सावधान रहना चाहिये कि यदि बीच में कोई गड़बड़ हो तो गुंडों को शीघ्रता से वश में किया जा सके। इस के लिये मेरा सुझाव है कि सरकार समाज के सभी श्रेष्ठ भागों को संगठित करे तथा नागरिक रक्षा की स्थापना करे। इन सभी भागों को सरकारी अधिकारियों के निकट सम्पर्कमें लाया जाय ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे सब मिल कर गुण्डों का मकाबला कर सकें। इस कार्य को उक्त अधिनियम की अवधि के समाप्त होने से पहले पहले किया जाना चाहिये।

श्री रिशांग किशिंग (बाह्यमणिपुर—रक्षित—अनुसूचित जैन जातियां): इस देश में मनीपुर, त्रिपुरा तथा कच्छ के ऐसे केन्द्रीय प्रशासित भाग (ग) राज्य हैं जहां जनता को अपने शासन के चलाने में प्रजातन्त्रात्मक अधिकार के देने से सर्वथा इन्कार कर दिया गया है। यह वास्तव में एक खेदजनक बात है कि सरकारी बेंचों के किसी सदस्य ने वर्ष भर में इन राज्यों को प्रजातन्त्रात्मक आधार पर लाने के सम्बन्ध में एक शब्द नहीं कहा। ये राज्य भी भारत गणराज्य के उतने ही अंग हैं जितना कि कोई और राज्य, हमें भी दूसरे राज्यों के समान अधिकारों के प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है।

केन्द्रीय सरकार का उद्देश्य एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना है। परन्तु जो कुछ भाग (ग) राज्यों में हो रहा है, वह इस उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। साम्प्रदायिकता तथा जाति पांति के भेद भाव देश के सब से बड़े शत्रु हैं, परन्तु सरकार ने राजनैतिक तथा प्रशासन के क्षेत्र में भी वही अवस्थायें पैदा की हैं जो जाति पांति के समान ही हैं। हमें भारत के नागरिकों को शूद्रों का दरजा दिया गया है।

इन भाग (ग) राज्यों के प्रशासन को इस प्रकार से चलाया जा रहा है कि जनता

का उस में कोई हाथ नहीं है। मुख्य आयुक्त सरकार के अपने आदमी हैं तथा वे इने गिने व्यक्तियों की सहायता से वहां के प्रशासन कार्य को चलाते हैं।

मनीपुर में जनता के घोर विरोध पर भी विधान सभा को तोड़ दिया गया है तथा मुख्य आयुक्त के स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना की गई है। उत्तरदायी अधिकारियों को पद से अलग कर दिया गया है तथा उन के स्थानों पर बाहर के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। लोगों से उन की ज़मीनों को छीन कर अधिकारियों के सम्बन्धियों में बांट दिया गया है। विद्यार्थियों की हड़तालों को सख्ती से दबा दिया गया है। जनता के मूल अधिकारों को बहुत ही संकुचित कर दिया गया है। मनीपुर में पुलिस के व्यय में वृद्धि हो रही है। लोगों से धान पर बलपूर्वक कर वसूल किया जा रहा है तथा जान बूझ कर अकाल की दशा सी पैदा कर दी गई है। सभी विद्यालयों के लिये अनुदानों को बहुत कम कर दिया गया है। इस से इन भाग (ग) राज्यों में परिस्थिति का स्पष्ट चित्र मिल जाता है।

इन राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने के दो कारण बतलाये जाते हैं। एक तो यह कि सामरिक दृष्टि से ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। परन्तु क्या केवल यही राज्य इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं? इस में कोई औचित्य नहीं है बल्कि इसी कारण वहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी चाहिये। सारी जनता की आज यही मांग है।

दूसरा कारण यह बतलाया जाता है कि वहां की जनता अनभिज्ञ है तथा प्रशासन को चलाने के योग्य नहीं। यह कहना भी गलत है कि ये राज्य स्वतंत्रता के बाद ही बने हैं। मुख्य आयुक्त के प्रशासन से पहले भी वहां प्रशासन चलता रहा है। वहां की जनता को प्रशासन के चलाने में विशेषता प्राप्त है। इस प्रकार से आप प्रत्येक व्यक्ति को देश के हित के विरुद्ध चला रहे हैं। स्थानीय व्यक्तियों के स्थान पर बाहर के व्यक्ति को रख कर आप वहां की जनता को उस के न्यायोचित अधिकारियों से भी वंचित कर रहे हैं।

मंत्रणा परिषदों की स्थापना के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सरकार इसे प्रगतिशील तथा प्रजातन्त्रात्मक सुधार कहती है। परन्तु आज साम्राज्यवादी शक्तियां भी औपनिवेशिक लोगों को इस प्रकार का सुधार नहीं देती है। सम्भवतः माननीय मंत्री हमें बतलायेंगे कि कितने चोर बाजारी करने वालों तथा नौकरी ढूंढने वालों ने इन परिषदों में नौकरी के प्रार्थनापत्र दिये हैं? मेरे विचार से इन प्रार्थियों में परस्पर लड़ाई चल रही है, जिस कारण इन की स्थापना को स्थगित कर दिया गया है।

इन मंत्रणा परिषदों से एक अच्छा काम यह हुआ है कि प्रतिक्रियावादियों तथा लोकतन्त्र की शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया है। प्रतिक्रियावादी मुख्य आयुक्त के अधीन संगठित हो रहे हैं तथा प्रगतिशील व्यक्ति प्रजातन्त्र के समर्थकों के अधीन। विजय जनता की होगी जो भारत में लोक हितकारी लौकिकता तथा स्वतंत्रता का युग लायेगी।

अन्त में मेरी इस सदन तथा बाहिर की जनता से अपील है कि वे जनता को उत्तरदायी शासन की स्थापना के आन्दोलन में अपना समर्थन दें। संसद् से मेरी प्रार्थना है कि वहां की स्थिति को ठीक ठीक जानने के लिये वहां एक संसदीय आयोग को भेजे। यह आयोग सचिवों तथा अधिकारियों के प्रभाव से मुक्त होगा, वास्तविक स्थिति का

[श्री रिशांग किशिंग]

अध्ययन कर सकेगा तथा ऐसा करने के लिये हमारा राज्य ही नहीं बल्कि सारा देश सदन का कृतज्ञ होगा ।

श्री जांगड़े (बिलासपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि गत दो वर्षों के बजट सत्र के बाद मुझे आज बोलने का मौका मिला है । हमारे माननीय गृह मंत्री के कार्यों के सम्बन्ध में बधाई तो सभी देते हैं पर बधाई देने से काम निकलता नहीं । जब तक सुझाव नहीं दिये जाते तब तक मंत्री महोदय के कान खड़े नहीं होते ।

भाग ग राज्यों का कानून यहां आया तो भाग ग राज्य वाले सदस्यों का ही बोलबाला था और दूसरे लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिला । नतीजा यह निकला कि भाग क राज्यों की तरह वहां भी विधान सभायें बनाई गईं, वहां भी मुख्य मंत्री बनाये गये और आज हालत यह है कि प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री में तुलना होती है कि किस की कार अच्छी है, किस की खराब है । मैं समझता हूं कि आज जो हमारे भाग ग राज्य हैं, वे हमारे हिन्दुस्तान के लिये लायबैलिटी हैं, असैट नहीं, वे हमारे लिये एक तरह से कर्ज़ के बराबर हैं, क्योंकि जब एक बार आप अधिकार दे दें तो वे वापस करना नहीं जानते । आज आप पार्ट सी स्टेट्स की हालत को देखिये । सब जगहों में वहां पर टाप हैवी एक्सपैंडीचर है, जैसे कि लैफ्टिनैंट गवर्नर या राज्यपाल, उप-राज्यपाल इत्यादि बड़े बड़े पद रखे जाते हैं जो काम कुछ नहीं करते, न कुछ काम आते हैं, बल्कि उन में सरकार का पैसा बरबाद जाता है । मैं समझता हूं कि पार्ट सी स्टेट्स को पड़ौस के राज्य में विलीन कर दिया जाय, जैसे कि दिल्ली राज्य हिमाचल प्रदेश और कुर्ग हैं । कुर्ग की जन संख्या ३ लाख है जब कि मद्रास के मालाबार जिले की जनसंख्या ४८ लाख है । तो ४८ लाख आबादी वाले उस जिले के बराबर कई पार्ट बी स्टेट्स में भी नहीं है । अब इन पार्ट बी स्टेट्स को लीजिये । वहां लैफ्टिनैंट गवर्नर होना चाहिये, चीफ मिनिस्टर होना चाहिये और एडवाइजर चाहिये । तो हमारे लिये यह बड़े दुःख की बात है कि हिमाचल प्रदेश, कुर्ग और अजमेर में हम इन औहदों पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं । अगर हम यह रुपया इस पर खर्च न कर के दूसरे कार्यों में खर्च करते, दूसरे कार्यों में वितरित करते तो ज्यादा फायदा हो सकता था । हम मानते हैं कि पार्ट सी स्टेट्स की उन्नति के लिये रियायतें दी जानी चाहियें । लेकिन बड़े बड़े औहदों की रियायत नहीं देनी चाहिये, जनता को रियायत देनी चाहिये । लेकिन होता क्या है कि सरकार में बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं । जो राजनैतिक दल के लोग मंत्री बनने की ख्वाहिश करते हैं उन्हीं को फायदा होता है उन्हीं को फायदा दिया जाता है, लेकिन वहां की जनता को फायदा नहीं दिया जाता ।

पार्ट बी स्टटेस के सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहता हूं कि कई ऐसी पार्ट बी स्टेट्स हैं जहां कि राजनैतिक हलचलें दिन दिन बिगड़ती जा रही हैं । पैप्सू की हालत आप जानते ही हैं । और भी स्टेट्स में वही हालत है । मैं तो कहूंगा कि जनसंख्या के आधार पर कम से कम एक करोड़ की जन संख्या से कम का कोई राज्य बनाया ही न जाय । आप के सामने पैप्सू का उदाहरण है ही, यह क्या है ? २६ लाख की एक पार्ट बी स्टेट्स हो गई । वहां पर राजप्रमुख बन गये । मैं समझता हूं कि ऐसा दिन क्रमशः आना चाहिये कि जो छोटी छोटी ये पार्ट बी स्टेट्स हैं, इन को पड़ौस के राज्यों में मिला दिया जाय ।

इस के बाद मैं कहना चाहता हूं कि एस्टिमेट्स कमेटी ने, यह तय किया था कि उपसचिव सहायक सचिव और अतिरिक्त सचिव इत्यादि जो हमारे सचिवालयों में हैं, उन को रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक सेक्रेटरी होना चाहिये। अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, एडीशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी इत्यादि सेक्रेटरियों की हम को कोई जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि इस तरफ ध्यान दिया जाय। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि पहले क्लर्क होता है, फिर असिस्टेंट, उस के बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होता है। सुपरवाइजरी पोस्ट में सुपरिटेंडेंट होता है और उस के उपरान्त असिस्टेंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी फिर डिप्टी सेक्रेटरी और फिर एडवाइजर, न जाने क्या क्या होता है। मैं समझता हूं कि जो बड़े बड़े ओहदे हैं, इन को निकाल दिया जाय, और सेक्रेटरी को पूरा काम दिया जाये, क्योंकि लाल फीताशाही जो इन के कारण होती है उस से हम लोगों को बहुत दिनों के बाद सूचना मिलती है या जवाब मिलता है।

इस के उपरान्त मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय कहा करते हैं कि बड़े बड़े पदाधिकारियों की तनख्वाहों की बातें आप करते हैं परन्तु फायदा कितना होगा। जब लाखों की तादाद में सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाइज हैं, तो उन में एक एक रुपया भी बंटवारे में नहीं आवेगा। मैं कहना चाहता हूं कि सवाल बंटवारे का नहीं है, सवाल सिद्धान्त का है। आप देखिय कि उस के पीछे क्या बैकग्राउन्ड है। आप देखिये कि सेक्रेटरी की तनख्वाह क्या है। जब हमारे मंत्री महोदय २२५० रुपये में काम चला सकते हैं, जब हमारे स्टेट्स में मंत्री १५०० रुपये में काम चलाते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हमारे सेक्रेटरियों को तीन तीन या चार चार हजार रुपये तनख्वाह दी जाय। आप देखते होंगे कि करप्शन का जब सवाल आता है तो करप्शन के मामले में क्लर्क घूस नहीं खाता, बड़े बड़े सेक्रेटरियों के घूस खाने की शिकायतें होती हैं। आप कहते हैं कि ज्यादा तनख्वाह देने से उन में करप्शन कम होगा। परन्तु हम देखते हैं कि वह ज्यादा होता है और घूस एक दो हजार की नहीं बल्कि लाखों की ली जाती है। तो मैं समझता हूं कि अगर वे स्वेच्छा से करें, तो ठीक है अपनी तनख्वाहों को कम कर दें, नहीं तो आप कह दें कि किसी को भी १५०० रुपये से ज्यादा वेतन नहीं दिया जायगा। इस से एक यह भी फायदा होगा कि जिन क्लर्कों को उन का एक फैडरेशन बना कर, यूनियन बना कर, हमारे काम्युनिस्ट भाई सरकार के विरुद्ध करते हैं, उन्हें भड़काते हैं, प्रचार करते हैं, उस प्रचार करने का इन को मौका नहीं मिलेगा। वे फिर पूरी तरह से देश सेवा करेंगे।

भ्रष्टाचार और घूसखोरी के सम्बन्ध में जो कहा जाता है वह कांग्रेस की देन नहीं है। यह तो १५० साल से राज्य करने वाली अंग्रेज सरकार की देन है। इस बात को हम जानते हैं। फिर भी हमारी जनता में अभी भी इस बात का विश्वास नहीं आया है कि घूसखोरी और भ्रष्टाचार इस देश से दूर हो गया है।

खास कर सी० पी० डबलू० डी० डिपार्टमेंट, कामर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और रेलवे मिनिस्ट्री इत्यादि में इतनी घूसखोरी और करप्शन है कि कहा नहीं जाता। जहां देखिये वहां घूस खोरी की शिकायत है। आप का कहना है कि घूस देने वाला और लेने वाला दोनों ही समान अपराधी हैं, यह किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन आप एक आदमी को तो पकड़ नहीं पाते तब हजारों आदमियों को कहां तक पकड़ेंगे? यह तो आप का ठीक इसी प्रकार कहना हुआ कि दिल्ली में करीब १०० के वेश्यालय हैं जब कि दिल्ली

[श्री जांगड़े]

की आबादी लगभग बीस लाख की है, और आप यह कहें कि बीस लाख को हटा दिया जाये या उन को चरित्रवान बनने को कहा जाय और उन वेश्याओं को रहने दिया जाय तो क्या इस से सुधार होगा । आप अफसरों के करप्शन केसेज को तो पकड़ नहीं सकते और हजारों आदमियों से आप कहते हो कि तुम चूंकि घूस देते हो इसलिये अपराधी हो और इस लिये ऐसे लोगों का सोशल या जातीय वाइकाट किया जाय, लेकिन आज जब सम्प्रदायवादिता नहीं रह गई है तो जातीय वाइकाट कैसे हो सकता है ? मैं तो समझता यदि हूं कि आज जो सरकारी कर्मचारियों में घूसखोरी और करप्शन मौजूद है उस के लिये यदि हमें विधान में संशोधन करना पड़े तो वह भी करना चाहिये । इस सम्बन्ध में मेरा खुद अपना अनुभव है और घूसखोरी के सम्बन्ध में मैं कई एक अफसरों के मामलों को पकड़ चुका हूं और नोटों के नम्बर भी दे चुका हूं, परन्तु तो भी कोई कार्यवाही नहीं होती है, ब्लैक मार्केटिंग के मामले जिस में करोड़पति लोग इनवौल्वड थे, उस सम्बन्ध में मैं ने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मिनिस्टर साहब को दिये । लेकिन साल भर तक कोई उत्तर नहीं मिलता और मैं यह कहने पर विवश हूं कि हमारी सरकार घूसखोरी कालेबाजार और भ्रष्टाचार को दबाने में असफल रही है इस के अलावा हमें हर क्षेत्र में सफलता मिली है । और यही कारण है कि इस के रहने से आज जनता कांग्रेस से भी चिढ़ी हुई है और हमें इस के लिये एक घूसखोरी दूर करने का सख्त कानून बनाना चाहिये । हमारे मिनिस्टर महोदय कहते हैं कि घूस देने वाले भी तो अपराध करते हैं उनको सजा दी जानी चाहिये आप एक आदमी को तो जो रिश्वत लेता है उस को तो पकड़ नहीं पाते और दंड नहीं दे पाते उस को आप मुफ्त में लेट आफ करना चाहें लेकिन आप हजारों आदमियों को पकड़ना चाहते हैं, यह कहां का न्याय है ।

न्याय के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि यह अति खर्चीला और देर वाला है । दीवानी मामले तो दसों वर्षों तक चलते रहते हैं, पर अब फौजदारी मामले भी, दो दो और तीन तीन साल तक चलते रहते हैं और कोई फैसला नहीं होता । और दोनों मुल्जिम और कम्पलेनेन्ट बेचारे अदालत में दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं और उन को न्याय नहीं मिल पाता, इसके अतिरिक्त उन का हजारों रुपया आने जाने और घूस देने में बर्बाद हो जाता है, मैं आजकल वकील महाशयों को, मैं तो दलाल कहूंगा, ये भी हर पेशी में और फीस में रुपया कमाते हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि आज का जो न्याय का सिस्टम है, इस के ऊपर री-कंसीडरेशन और रिकान्स्टीट्यूशन होना चाहिये और इस को कम्पलीटली ओवर हाल करना चाहिये, अगर यह जितना लाखों रुपया ये गरीब प्रजा अदालतों में बर्बाद करती है अगर यही रुपया वे अपने देहातों में खर्च करती और अपने बाल बच्चों के पालने में लगाती तो आज सरकार जो किसी को बैकवर्ड कहती है और किसी को फारवर्ड कहती है, यह कहने की नौबत नहीं आती ।

अब मैं हरिजनों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । केन्द्रीय सरकार ने हरिजनों के लिये बहुत कुछ किया है और कर रही है । मैं उसी सम्बन्ध में सरकार को एक आध सुझाव देना चाहूंगा । संविधान में तो सरकार ने इस देश के अन्दर से पिछले तीन वर्ष से छुआछूत के भेद भाव को दूर कर दिया है परन्तु उस को कार्यरूप में लाने के लिये अपराधी को दंड देने के लिये कोई उपयुक्त प्रणाली या प्रोसीड्योर और कानून

नहीं बनाया है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी एक सेन्ट्रल लेजिस्लेशन छुआछात को दूर करने के लिये बनाया जाना चाहिये। आप इस बारे में जो हरएक प्रान्तीय सरकार से सलाह कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार छुआछूत दूर करने के हेतु कोई ऐसे कानून बनाये या न बनाये, मेरी समझ में इस में आप को सलाह करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इस कानून की नितान्त आवश्यकता है। आज भी आपको मालूम होना चाहिये कि कई राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश मध्य भारत और राजस्थान में इस छुआछूत के कारण मर्डर्स हो रहे हैं और अवस्था यहां तक पहुंच चुकी है कि लोग कई जगह डर के मारे अपने घर से भी मामूली काम काज के लिये नहीं निकल सकते। आप को मैं बतलाऊं कि मध्य प्रदेश में महाकोशल में करीब बीस लाख हरिजन रहते हैं। वहां पर एक बोर्डिंग हाउस भी हम लोगों के लिये सरकार ने नहीं बनाया है, जो वहां पर जनरल हास्टल्स हैं वहां भी हरिजनों को दाखिल नहीं किया जाता, उन की फीसें माफ नहीं की जातीं, और उन के उत्थान के लिये इस मध्य प्रदेश सरकार ने कोई दो हजार या पांच हजार की रकम निर्धारित तक नहीं की है। पिछड़े वर्ग के नाम पर रकम का गोल माल होता है और हमें पता नहीं चलता कि हरिजनों के लिये प्रति वर्ष कितना मध्य प्रदेश में प्रान्त या केन्द्र द्वारा खर्च किया जा रहा है और पंच वर्षीय योजना में कितना खर्च किया जायगा ?

उन को प्रोत्साहन और आर्थिक और सक्रिय सहायता देनी ही चाहिये, नहीं तो दस वर्ष के बाद तो यह संरक्षण जो विधान के अन्दर दिया गया है उठ जाने वाला है। आज कल भी मध्य प्रदेश में कुछ नहीं किया जा रहा है तो संरक्षण के बाद हम पिछड़ेपन रूपी टी० बी० के मरीज कैसे घुड़ दौड़ में बराबरी कर सकेंगे ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद): वहां प्राइमरी स्कूलों में जो हरिजन बच्चे पढ़ते हैं क्या उन की फीस माफ नहीं है ?

श्री गांगड़े : वह तो सिर्फ चार आने का सवाल है। मैं आप को आंकड़े दे सकता हूं और यह सिद्ध कर सकता हूं कि रिजरवेशन होते हुए भी हमारी कितनी कम संख्या है। हरिजनों के मामलों को आफिसर टेढ़ी नजर से भी देखना नहीं चाहते लोकलसैल्फ गवर्नमेंट के जनपद लोकल बोर्ड में या म्युनिसिपैलिटियों में हरिजनों की जनसंख्या जब कि पचास या ४० प्रतिशत तक है परन्तु हमें सौ में से एक दो सीटें दी जाती हैं। छोटा सा टुकड़ा दे कर हम पर बड़ा उपकार किया गया है, ऐसा माना जाता है। प्रान्तों में जैसे मध्य प्रदेश में रिज़रवेशन नौकरियों में नहीं है, उस के कन्सेशन से हरिजनों को खास फायदा नहीं मिलता। अब आवश्यकता है कि प्रान्तीय सरकार का नौकरियों का ब्रेक अप इस सदन के सामने रखना चाहिये। हर एक मिनिस्ट्री में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का कितना रिप्रेजेंटेशन है, उस का ब्रेक अप देना चाहिये, ब्रेक अप ले कर बताना चाहिये, तब हमें मालूम हो सकता है कि हम ने कितनी उन्नति की है और कितनी कर सकेंगे।

श्री एम० आर० कृष्णा (करीमनगर---रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सर्व प्रथम मैं अनुसूचित जातियों अनुसूचित, आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। संविधान में उन्हें कुछ रक्षित अधिकार दिये गये हैं। उन के लिये हम राष्ट्रपिता, सरकार तथा संविधान के बनाने वालों के कृतज्ञ हैं। परन्तु चाहे कानून कितने भी सख्त क्यों न हों, जब तक उन पर अमल करने वाली सरकार

[श्री एम० आर० कृष्ण]

मजबूत सशक्त तथा तत्परता से चलने वाली न हो तब तक यह सुन्दर कानून संविधि पुस्त में धरे के धरे रह जायेंगे।

संविधान में हरिजनों के लिये रखे गये रक्षित अधिकारों का लाभ हरिजन मंत्रियों तक को नहीं है। हाल में जब हैदराबाद के हरिजन मंत्री श्री शंकर देव ने मंदिर प्रवेश का यत्न किया तो उन्हें लाठियों से भगा दिया गया। यह तो राज्य के मंत्रियों का हाल है। यह वास्तव में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का अपमान है जो संविधान की पवित्रता के लिये अधिक उत्तरदायी हैं। मुझे आश्चर्य है कि ८५ लाख विस्थापित व्यक्तियों की देख भाल के लिये तो अलग मंत्रालय है, परन्तु १४ करोड़ हरिजनों के हितों की देख भाल के लिये अलग मंत्रालय नहीं है। ऐसे विभाग की स्थापना की जानी चाहिये तथा यदि हो सके तो स्वतन्त्र रूप से और पुनर्वास मंत्रालय के साथ संलग्न कर दिया जाये।

अनुसूचित जातियों की समस्यायें बहुत बड़ी हैं तथा उन्हें सारी हिन्दू जाति के सहयोग बिना हल नहीं किया जा सकता। जनसंघ हो, हिन्दू सभा हो या रामराज्य परिषद् यदि उन में कुछ भी न्याय प्रियता है तो हिन्दू राज की स्थापना के स्वप्न देखने से पहिले वे वाले छूआछात को दूर करें।

पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को, जिन की प्रगति सामाजिक असमानताओं तथा आर्थिक अन्याय के कारण रुक गई है, समुदाय के साधनों का अधिक लाभ उठाने की छूट होनी चाहिये। हरिजन बहुत ही सुस्त हो गये हैं तथा वे अपने काम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि हरिजनों में क्या क्या बुराइयां हैं फिर भी उन्हें दूर करने की उस ने कोई योजना नहीं बनाई है। उस ने ऐसी कोई योजना नहीं तैयार की है जिस के अनुसार वे अपना अरुचिकर काम छोड़ कर व्यापार या उद्योग में लग सकते। यहां तक कि यदि पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित भी हो जाती है तो भी उस से हरिजनों की दशा में कोई परिवर्तन न होगा। वे तब भी अपना पुराना ही काम करते रहेंगे। सरकार ने वाणिज्य में कदम रखने के लिये जो नियम बना रखे हैं वे बहुत ही सख्त हैं। हरिजन तो कभी उस में भाग ले ही नहीं सकते हैं। इस के मुकाबले विस्थापित व्यक्तियों को हर प्रकार की सुविधायें दी गई हैं।

इस दिन वित्त मंत्री ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े हुए लोगों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट की थी। परन्तु उन्हों ने इन जातियों के उद्धार के लिये जितनी राशि दी जानी चाहिये उतनी नहीं दी है। इस प्रकार केवल कोरी बातों से काम नहीं चल सकता है। ठेके तथा अन्य निर्माण कार्यों में इन जातियों के लिये कुछ भाग सुरक्षित रखा जाना चाहिये।

नौकरियों में हरिजनों के लिये स्थान सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि हमें जो रिपोर्ट दी गई हैं उन से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी मंत्रालय अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को गजटेड पदों पर नहीं रखना चाहते हैं। सहायकों की नौकरी की शर्तों में कुछ ढिलाई कर देने के कारण अनुसूचित जातियों के ४० व्यक्तियों को सहायक पदों पर काम करने का अवसर मिल गया है किन्तु सहायक अधीक्षक के पदों की शर्तों के सम्बन्ध में अभी कोई ढिलाई नहीं की गई। मेरे विचार में यह इस लिये नहीं किया गया है क्योंकि ये गजटेड पद हैं। अतएव मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में भी कुछ

ढिलाई करे जिस से अनुसूचित जातियों के व्यक्ति लाभ उठा सकें तथा उन की पदोन्नति सहायक अधीक्षक पदों पर हो सके।

श्री बलवन्त सिंह महता (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्टें हम को होम मिनिस्ट्री और स्टेट्स मिनिस्ट्री की ओर से मिली हैं उन में हम बहुत कुछ सुधार पाते हैं। उस के लिये मैं अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन हम ने यह अपेक्षा की थी कि जिस तरह आज केन्द्रीय सरकार का ध्यान पंच वर्षीय योजना पर लगा हुआ है जिस से भारत वर्ष के बहुत आगे बढ़ जाने की आशा की जाती है, उसी प्रकार हम को रियासती विभाग के बारे में कोई तस्वीर नहीं मिली कि हमारी रियासतें जिनमें अधिकांश पिछड़ी हुई रियासतें कही जाती हैं उन की तस्वीर क्या होगी। जो रियासतें पीछे पड़ गई हैं और जिन को अन्डर डैवेलप्ड कहा जाता है और जो बैकवर्ड हैं उन का कोई अच्छा चित्र नहीं खींचा गया है। होना यह चाहिये था कि उन की भी एक ऐसी योजना जनता के सामने आती ताकि वहां की जनता को उस से उत्साह और प्रेरणा मिलती और उन में एक उत्साह पैदा होता जिस की कि आज हम को बहुत ज़रूरत है।

इसी तरह से होम डिपार्टमेंट की ओर से जो रिपोर्ट हम को मिली है उस में भी यह हम अपेक्षा करते थे कि भ्रष्टाचार को कम करने की बात कही गई होगी। आज देश में सरकार के प्रति लोगों की बहुत ऊंची भावना है। लेकिन जैसा कि अभी हमारे मित्रों ने कहा कि भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि आज उस के लिये जनता में काफी रोष है। इस लिये मैं समझता हूं कि इस के लिये भी कोई क्रांतिकारी कदम उठाया जाना चाहिये था। वास्तव में जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा कि अगर इस के लिये आप को विधान को तबदील करना पड़े तो वैसा भी कीजिये। आप के बिज़नेस के रूल्स बहुत निकम्मे बने हुए हैं। उन में तबदीली कीजिये और जनता के सामने ऐसा उदाहरण रखिये कि जिस से जनता यह महसूस करे कि वास्तव में सरकार ने कोई कदम उठाया है। मामूली ग्रामीण जनता की यह समझ में नहीं आता है कि जब हमारी सरकार आ गई है, फिर भी यह भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है ?

मैं एक खास बात की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप ने आदिवासियों और हरिजनों के लिये काफी अच्छा कदम उठाया है। आप ने एक कमीशन भी कायम किया है और आप अपनी ग्रान्ट को भी बराबर बढ़ाते रहे हैं। लेकिन एक अन्याय जो राजस्थान में हुआ है उस की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान के दक्षिण में एक कम्पैक्ट एरिया चला गया है जिस में लगभग २० लाख आदिवासी रहते हैं। उस एरिया में आप ने आदिवासियों के लिये सीट्स तो रिजर्व कर दी हैं लेकिन वहां के लोगों को अपने आप को खड़ा करने का मौका नहीं दिया गया है। इस का नतीजा यह हुआ है कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, जहां पर ये सीट्स रिजर्व की गईं उस से उत्तर डिस्ट्रिक्ट के, वह खड़े हुए। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि ऐसी हालत में उन लोगों में कितना रोष और असन्तोष हो सकता है। या तो आप उस को भी शिड्यूल्ड एरिया घोषित कर देते या वहां पर सीट रिजर्व नहीं करना चाहिये था। क्यों कि उन्हीं लोगों की बहुसंख्यक आबादी है। जहां पर आप ने सीट्स रिजर्व की हैं वे लोग और दूसरे लोग एक ही हैं उन में कोई आपस में फर्क नहीं है। वे एक ही जाति के लोग हैं। उन के आपस में सम्बन्ध होते हैं, उन की एक बोली है।

[श्री बलवन्त सिंह मेहता]

फिर भी न जाने ग्राम ने आपने क्यों एक जगह शिड्यूल्ड एरिया बना दिया और दूसरी जगह नहीं बनाया ? मैं आप को बताना चाहता हूं कि इस से वहां काफी असन्तोष फैला हुआ है। शायद आप कहेंगे कि कमीशन मुकर्रर हो चुका है। लेकिन मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इस में काफी देर लगेगी। इसलिये अगर इस गलती का जल्दी सुधार कर दिया जायगा तो लोगों को काफी राहत मिल सकती है।

दूसरी चीज जिस की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह राजस्थान की अकाल की समस्या है। आदिवासी क्षेत्र में और बीकानेर के क्षेत्र में अकाल की तीव्रता काफी बढ़ रही है और लोग बहुत परेशान हैं। वहां हम को जितना करना चाहिये था उतना हमने नहीं किया है। इसलिये भी काफी लोगों में असन्तोष है। मैं समझता हूं कि उस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आज राजस्थान में राजा से ले कर एक मामूली ग्रामीण तक में आबू के प्रश्न पर बहुत असन्तोष है। आज जनता को आबू का प्रश्न बहुत ही परेशान किये हुए है। जनता में बड़ा असन्तोष है। मैं समझता हूं कि जो अन्याय राजस्थान के साथ हुआ है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आबू राजस्थान एक का अभिन्न अंग है। राजस्थान की संस्कृति में और आबू की संस्कृति में कोई फर्क नहीं है। वहां भाषा एक, रीति रिवाज एक, संस्कृति एक, भौगोलिक स्थिति एक, आर्थिक दृष्टि से एक, सांस्कृतिक दृष्टि से एक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक हैं। राजस्थान अरावली पहाड़ का प्रदेश माना जाता है और उसका उद्गम वहीं से यानी आबू से होता है। राजस्थान की बहुत सी जातियों की उत्पत्ति आबू में हुई है। वहां पर जब से सिरोही की उत्पत्ति सन् १३०० में हुई उस समय से वह बराबर राजस्थान का अभिन्न अंग रहा है और वहां राजस्थान का अमल रहा है। अब उस को बम्बई में मिला दिया गया है। शायद हाउस के बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम होगा कि वह उस रोज़ बम्बई में मिलाया गया कि जिस के दूसरे रोज़ हमारा नया संविधान लागू होने वाला था। लोग बड़े उत्साह से नये संविधान की ओर देख रहे थे। उस के ठीक एक रोज़ पहले आबू को राजस्थान से अलग कर के बम्बई में मिला दिया गया। जिस से लोगों में काफी असन्तोष फैला। लोगों ने जगह जगह विरोध सभायें कीं। काफी उपद्रव हुए। बम्बई वालों ने उन पर काफी अत्याचार भी किये उस को भी लोगों ने सहन किया लेकिन अपने आन्दोलन को नहीं छोड़ा। आबू को किसी दूसरे प्रान्त में मिलाने की कोई वजह नहीं है। यह जरूर है और इस के लिये सरकार के हम आभारी भी हैं कि उस ने आखिर हमारी बात सुनी। देर आयद दुरुस्त आयद। सन् १९५० में उस को मिलाया गया और सन् १९५१ के अक्तूबर में हमारे स्वर्गीय मंत्री श्री गोपालस्वामी आयंगर ने इसी हाउस में ऐलान किया था कि वास्तव में इस बात को रिओपिन किया जायगा और यह ठीक है कि अन्याय हुआ है। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे वर्तमान माननीय मंत्री जी ने भी उस का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है। लेकिन उस के लिये काफी देर हो रही है। पहले यह कहा गया था कि चुनाव होने के बाद यह प्रश्न जल्दी ही लिया जायगा। अब आम चुनाव भी हो गये। उस के बाद राजस्थान की असेम्बली ने भी अपना सर्वसम्मत प्रस्ताव पास कर दिया कि जल्दी से जल्दी आबू को राजस्थान में मिलाया जाय। उस के बाद हमारी केन्द्रीय सरकार ने उस की राय जानने के लिये बम्बई सरकार के पास

भेजा लेकिन बड़े दुःख की बात है कि वहां से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। वह जानते है कि बम्बई के लोग न्यायप्रिय हैं इस लिये इस मामले को असेम्बली में अब तक नहीं लाये। वह यह भी जानते हैं कि बम्बई के लोग राजस्थान वालों की भावना को कुचलना नहीं चाहेंगे। इसलिये वह वहां की असेम्बली में अब तक नहीं आया यद्यपि यहां से बार बार लिखा जा रहा है। मेरी आप से प्रार्थना है कि आप उन को एक अवधि दे दें ताकि वह जल्दी से जल्दी अपना निर्णय दें। और अगर वह अपना निर्णय न दें तो मेरी आप से प्रार्थना है कि आप एक ड्राफ्ट बिल लाइये और उस को उन के पास भेज दीजिये और राजस्थान की जो एक बहुत दिनों की अपने बिछड़े हुए अंग को अपने में मिलाने की अभिलाषा है उस की पूर्ति कीजिये। मैं समझता हूं कि इस से वहां पर जो असन्तोष है वह जल्दी समाप्त हो जायेगा।

इस के अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि एरिया में राजस्थान सब से बड़ा प्रान्त है। वहां पर एक हाई कोर्ट है। वहां पर ऐसे ऐसे हिस्से हैं कि जहां डेढ़ डेढ़ और दो दो सौ मील तक कोई यातायात के साधन नहीं हैं। वहां न रेल है, न सड़कें हैं और जो बेचारे आदमी आते हैं उन को आने के लिये कितना खर्चा करना पड़ता है और कितने दिनों में वे वहां पहुंच पाते हैं। इसलिये अच्छा हो कि जिस प्रकार से यहां हाई कोर्ट की एक शाखा सर्किट कोर्ट बनाई हुई है, उसी तरह राजस्थान के लिये भी एक सर्किट हाई कोर्ट बनाया जाय। इस तरह मैं समझता हूं कि लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहता हूं। यूनिवर्सिटियों का जो सवाल चला हुआ है उस सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी अपनी राय ज़ाहिर की है कि यूनिवर्सिटी ऐसे स्थान में हो कि जहां अनुकूल वातावरण हो। यह ज़रूरी नहीं है कि राजधानी में ही वह स्थापित की जाये। उस के लिये सांस्कृतिक और सुन्दर वातावरण होना चाहिये। आज इस के लिये प्रायः सब ही रियासतों में बड़ा झगड़ा चल रहा है। मध्य भारत में यूनिवर्सिटी के लिये काफी संघर्ष चल रहा है। उसी प्रकार राजस्थान में भी यूनिवर्सिटी की स्थापना ठीक स्थान पर नहीं हो पाई है। इस से लोगों में असन्तोष है। इसी प्रकार से जहां जहां नई यूनिवर्सिटी होने वाली हैं वहां उन को स्थापित करिये जहां कि इन के लिये सुन्दर वातावरण हो। बहुत सी पहिले रियासतें थीं जहां सुख सुविधा की सब चीजें मौजूद थीं। वहां से राजधानी भी उठ गई, इस से भी लोगों में काफी असन्तोष फैल गया। क्योंकि वहां न तो कोई बड़ी इंडस्ट्री ही खुल पाई है और न कोई अन्य बड़ी चीजें ही। ऐसे उपयुक्त स्थानों पर युनिवर्सिटियां स्थापित करने से भी लोगों का असन्तोष दूर हो सकेगा।

अन्त में मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री मोतीलाल मालवीय (छतरपुर-दतिया टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, आज जो आप ने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया, इस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं। सब से पहले मैं सदन का ध्यान पार्ट 'सी' स्टेट्स की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अभी, थोड़ी देर पहले, एक आनरेबिल मैम्बर ने यह कहा था कि इन 'ग' श्रेणी के राज्यों को पास के राज्यों में मिला दिया जाये। लेकिन इन में कुछ ऐसे बड़े बड़े 'ग' श्रेणी के राज्य हैं जिन को मिलाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अगर वे मिला दिये जायें तो उन की उन्नति नहीं हो सकती। इस का प्रमाण यह है कि विन्ध्य प्रदेश के कुछ हिस्से काट कर के यू० पी०

[श्री मोतीलाल मालवीय]

में मिला दिये गये हैं जिन में चरखारी रियासत थी और संथर बावनी और कन्दोरा के कुछ हिस्से थे । कुछ हिस्सा उस का काट कर मध्य भारत में मिला दिया गया है । लेकिन हालत रहीम के शब्दों में यह है कि :

"केहि की प्रभुता नहीं घटी,
पर घर गये रहीम ।"

और इस के पहले यह है :

"कौन बड़ाई जलधि मिलि,
गंग नाम भयो धीम ।"

समुद्र में गंगा मिल गई तो गंगा का कोई अस्तित्व नहीं रहा और उस का जल समुद्र का खारी पानी बन गया, जिसे पीने के लिये कोई भी तैयार नहीं । इसी प्रकार इन हिस्सों को, जैसे हमारे विन्ध्य प्रदेश के हिस्सों को मिला दिया गया तो इन की हालत आज भी वैसी ही अनुन्नत है जैसी वही कि पहले गदर के समय में थी । यह भी हुआ कि गवर्नमेंट की सर्विस में जो लोग थे, उन को कोई जगह डिग्रेड भी किया गया । मेरे पास ऐसी कुछ खबरें आई हैं । उन की उन्नति की हालत इस तरह की है गोया बड़ी बड़ी मछलियां हों, जैसे ये बड़े बड़े राज्य, वे छोटे छोटे राज्यों को छोटी मछलियों की तरह हड़प जाना चाहते हैं । इसलिये हमारा तो कहना यह है कि हम को हमारे भाग्य पर ही छोड़ दिया जाय । केन्द्र जैसे हम को सहायता दे रहा ह और वह हमारी उन्नति चाहता है, उसी प्रकार से हम को धीरे धीरे उन्नति करने दिया जाये । क्योंकि यह प्रदेश बहुत पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए रहे हैं । मैं विन्ध्य प्रदेश की ही हालत आप को बतलाना चाहता हूं । विन्ध्य प्रदेश छोटी बड़ी ३४ रियासतों को मिला कर बनाया गया है । आजादी मिलने के बाद हम जो इस रियासत वाले थे वे दोहरी गुलामी से मुक्त हुए और हम ने स्वतंत्र भारत में पहली बार आजादी की सांस ली । उस के बाद धीरे धीरे हम तरक्की के रास्ते पर चलते रहे । साथ ही साथ मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि जो विन्ध्य प्रदेश है बहुत पिछड़ा हुआ है । वहां के कुछ हिस्सों में आज भी लोग बहुत सी ऐसी जंगली घासों को खा कर जीवित रह रहे हैं जैसे कोंदों, लटारा और बसारा । बसारा को खाने से बाद में तो अक्सर टट्टी के साथ खून भी आ जाता है । जंगली बेरों को कूट पीस कर बिरचुन नाम की वस्तु बनाई जाती है । उस में नमक मिला कर साल में कई महीने लोगों को उसे खाना पड़ता है । आजादी मिलने के बाद हमारे प्रान्त का निर्माण हुआ । लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति प्रायः वैसी की वैसी ही रही । आजादी मिलने के बाद जो गरीब जनता के स्वप्न थ वह आज भी पूरे नहीं हो रहे हैं । जनता यह अनुभव करती है कि हम बहुत अच्छी हालत में नहीं हो पाये । इसीलिये कभी कभी वह सरकार की बुराई भी कर बैठती है ।

मैं विन्ध्य प्रदेश की बाबत एक बात आप को और बता दूं कि वहां पर बहुत सारे प्राकृतिक साधन मौजूद हैं । उन प्राकृतिक साधनों का उचित रूप से प्रयोग किया जाय तो वह प्रदेश बहुत जल्दी ही समृद्ध हो सकता है और 'क' श्रणी के राज्यों के समान स्तर पर आ सकता है । वहां पर हीरा, लोहा, ताम्बा और भी इसी प्रकार के अन्य खनिज पदार्थ पाये जाते हैं । वहां बहुमूल्य इमारती लकड़ी भी काफी मिलती है । लेकिन आवागमन की ठीक स्थिति न होने के कारण और यातायात का कोई प्रबन्ध न होने से वह हिस्सा अब भी पिछड़ी हुई स्थिति में है । यदि रेल निकालने की वहां पर प्राथमिकता दी जायें तो वह हिस्सा बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है ।

हमारे यहां पर ऐसे साधन नहीं हैं कि जिन की वजह से हम अपनी आवाज बुलन्द कर सकें दूसरे राज्यों के समान हम अपना प्रचार कर सकें, और अपनी मांग को केन्द्रीय सरकार से शीघ्रातिशीघ्र मंजूर करवा सकें । यदि वहां रेल निकाली जाये तो इन चीजों की बहुलता होने के कारण वहां देश के उद्योगपति आसानी से कई उद्योग खोल सकते हैं । इन उद्योगों के खुल जाने से एक तो वहां की गरीब जनता की बेकारी दूर हो सकती है और दूसरी ओर देश का बहुत बड़ा हित साधन हो सकता है ।

एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान और दिलाना चाहता हूं । वह यह है कि विन्ध्य प्रदेश में बहुत सी नदियां हैं और सुन्दर सुन्दर प्रपात हैं जिन से मेरा ख्याल है कि बिजली भी पैदा की जा सकती है जिस से प्रदेश को बहुत उन्नत बनाया जा सकता है ।

मैं एक बात और आप के सामने रखना चाहता हूं । विन्ध्य प्रदेश के लोगों की यह मांग रही है कि जो हिस्से उन के प्रदेश के काट कर दूसरे राज्यों में मिला दिये गये हैं, उन को वापस कर दिया जाये बल्कि साथ ही झांसी कमिश्नरी के हमीरपुर, बांदा, जालौन' और झांसी इन चार जिलों को जिन की संस्कृति बोली, रहन सहन, सब कुछ बुन्देलखंडी ही है, बिन्ध्य प्रदेश के साथ मिला दिया जाये और इस प्रकार "वृहत्तर विन्ध्य प्रदेश" बना दिया जाय और शीघ्र से शीघ्र उस को 'क' श्रेणी में लाने का प्रयत्न किया जाय । वहां की धारा सभा भी इस प्रकार का प्रस्ताव पास कर चुकी है कि उसे शीघ्र से शीघ्र 'क' श्रेणी के राज्यों में कर दिया जाय ।

अब मैं आप का ध्यान कुछ उन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन की वजह से जो 'ग' श्रेणी राज्य की सरकारें हैं उन को कुछ कठिनाइयां होती हैं । पहली बात तो यह है कि जो ग्रांट केन्द्र से पार्ट 'सी' स्टेट्स को दी जाती है उस में काफ़ी छान बीन की जाती है । उस छान बीन के अन्दर कभी ऐसा होता है कि रुपया इतने अधिक समय के बाद मिलता है कि साल की समाप्ति ही हो जाती है और उन को ग्रांट ठीक समय पर न मिलने से वह रुपया खर्च नहीं हो पाता । इस प्रकार वह रुपया डूब जाता है, या लैप्स हो जाता है ।

इसलिये मेरा सुझाव है कि जितना रुपया समय पर खर्च किया जा सका हो, या तो वह उन्हें समय से पहले दिया जाय या वह रुपया लैप्स न किया जाये और अगले साल उन को देने के लिये रक्खा जाय ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मुझे कहना है कि हर एक राज्य के लिये संविधान के अनुसार अलग अलग पबलिक सर्विस कमीशन नहीं हो सकता । इसलिये केन्द्रीय पबलिक सर्विस कमीशन को यह अधिकार दिया जाय कि वह पार्ट 'सी' स्टेट्स के लिये उम्मीदवारों को चुनने के लिये एक अपना अलग सेलैक्शन बोर्ड नियुक्त कर दें । इस तरह काम में सहूलियत होगी और जल्दी भी होगी ।

इस के अलावा पार्ट 'सी' स्टेट्स और विशेषकर जहां तक विन्ध्य प्रदेश का सम्बन्ध है यह मालूम हुआ है कि जीओलाजिकल सर्वे आफ इंडिया द्वारा जो सर्वे वहां पर हुआ उस से वहां बहुत सी ऐसी वस्तुयें मिली हैं जिन का उपयोग कर यह प्रदेश बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है, और आगे बढ़ सकता है, इस के अलावा सर्वे करने पर वहां बहुत सा ऐसा मैटीरियल भी उपलब्ध हुआ है जिन से पेपर, प्लाइवुड, सीमेंट आदि के उस राज्य में कारखाने भी खोले जा सकते हैं ।

[श्री मोतीलाल मालवीय]

अन्त में, मैं वहां के हरिजनों की दशा के बारे में कहना चाहता हूं। जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है, विन्ध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है और वहां के हरिजन तो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। हरिजनों की दशा तो लगभग सारे भारतवर्ष में एक समान है। यह तो सर्वविदित है ही कि इतरजन यानी सवर्ण हिन्दू हरिजनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। यह ठीक है कि आप ने भारतीय संविधान के अन्तर्गत १७वें अनुच्छेद में छुआ-छूत को वर्जित कर दिया है और उसका अन्त कर दिया है लेकिन सिर्फ संविधान में लिख देने भर से काम नहीं चलने वाला है। इस कार्य को सम्पन्न कराने की सब से बड़ी जिम्मेदारी गृह विभाग पर है और उसे यह देखना चाहिये कि १७वें आर्टिकल को अमल में लाने के लिये सही तौर पर कुछ काम हो रहा है या नहीं। इस दृष्टि से उसे एक ऐसा कानून पास करना चाहिये जिस से कि अपराधों में पुलिस सीधा हस्तक्षेप कर सके जो कागनिजेबिल हों। इस बात के लिये सन् १९५१ की कमिश्नर फार शेडयूल्ड कास्ट एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब की रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से इस चीज का उल्लेख आया है कि होम मिनिस्ट्री इस बात के लिये प्रयत्नशील है और १७ वें आर्टिकल के मुताबिक वह एक ऐसा कानून जल्द से जल्द ला रही है जिस से यह सामाजिक अयोग्यतायें शीघ्र से शीघ्र दूर हो सकें। इस सिलसिले में मैं आल इंडिया हरिजन सेवक संघ का जिक्र करना चाहता हूं। उस ने भी १० दिसम्बर १९५२ के अपने निवेदन पत्र में सरकार से इस प्रकार का अनुरोध किया था कि :

"भारतीय संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकार हरिजनों को दिये गये हैं और उन को कार्यान्वित करने के लिये विभिन्न राज्यों में जो कानून बनाये गये हैं, वे एक सरीखे नहीं हैं और उन में अनेक त्रुटियां भी हैं इसलिये केन्द्रीय बोर्ड भारतीय संसद् से अनुरोध करता है कि वह भारतीय संविधान में दिये अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसा केन्द्रीय कानून बनाये जिस से कानून का उल्लंघन करने वालों को शीघ्र दंड दिया जा सके।"

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने काफी समय ले लिया है।

श्री मोतीलाल मालवीय : बस एक मिनट के अन्दर खत्म किये देता हूं। "हरिजन सेवक संघ इस प्रकार के कानून का मसविदा बनाने में अपना सहयोग दे देने का विश्वास दिलाता है।" प्लानिंग कमीशन ने भी अपनी पंचवर्षीय योजना में यह बात स्पष्ट रूप से मान ली है कि सारे भारत भर में हरिजन उत्थान के लिये देश भर में व्यापक रूप से काम करने वाला हरिजन सेवक संघ एक मात्र संस्था है, इस संस्था को गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त है और पूज्य ठक्कर बापा जैसे समाज सेवियों का भी आशीर्वाद प्राप्त है। सरकार को चाहिये कि वह हरिजन सेवक संघ जैसी गैर सरकारी संस्थाओं को जो सहयोग देने को तैयार हों, उन से सहयोग ले कर और अपना सहयोग दे कर सामाजिक निर्योग्यताओं का निवारण करे जिस से हरिजनों का उत्थान जल्द से जल्द हो सके।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : क्योंकि मैं त्रिपुरा से आ रहा हूं इसलिये मैं सब से पहले वहीं के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त अपनी करतूतों के कारण काफी बदनाम हो चुके हैं। उन का व्यवहार इतना खराब है कि वह विद्यार्थियों, व्यापारियों आदि को ठोकर मारते हैं। शिक्षकों का अपमान करते हैं। वहां पर लोगों को बिना मुकदमा चलाये ही जेलों में

ठूंस दिया जाता है। आखिरकार, त्रिपुरा में ऐसा प्रशासन क्यों है ?

जब हम सरकार से त्रिपुरा में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिये कहते हैं तो उत्तर दिया जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहां की आबादी बहुत कम है तथा उस की आय भी बहुत थोड़ी है। परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। पहले वहां केवल एक मुख्य आयुक्त हुआ करता था और वह मुख्य आयुक्त तथा ज़िला मजिस्ट्रेट दोनों का ही काम करता था। अब वहां पर मुख्य आयुक्त के अलावा एक उप मुख्य आयुक्त तथा तीन सलाहकार रखने का प्रस्ताव है। पहले वहां दो सचिव होते थे अब वहां १० सचिव हैं। पहले वहां एक पुलिस कप्तान होता था अब दो दो हैं। इसी प्रकार अन्य अधिकारियों की भी संख्या बढ़ाई गई है। मैं पूछता हूं इन सब बातों का खर्च कहां से आता है जो वहां पर उत्तरदायी सरकार स्थापित नहीं की जा सकती है ?

बहुत अधिक समय पश्चात् माननीय प्रधान मंत्री ने एक परिषद् नियुक्त की है। त्रिपुरा में केवल सलाहकार रखे जायेंगे। मैं पूछता हूं इन की आवश्यकता क्या है तथा उन्हें किन व्यक्तियों में से चुना जायेगा ? हमें पता लगा है कि यह सलाहकार उन्हीं व्यक्तियों में से होंगे जिन्हों ने निर्वाचन में अपनी जमानत तक खो दी हैं।

श्रीमान्, जब भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी तो आप ने ही यह सुझाव रखा था कि त्रिपुरा के निर्वाचक-गण को विधान सभा के रूप में काम करने दिया जाये। यह राय वहां के सभी व्यक्तियों की है। वे उत्तरदायी सरकार चाहते हैं। इस सम्बन्ध में काफी लेख समाचार पत्रों आदि में भी प्रकाशित हो चुके हैं। सदन के सदस्यों को भी ऐसा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर आप वहां उत्तरदायी सरकार क्यों नहीं स्थापित करते ? विभाजन के पश्चात् त्रिपुरा लगभग भारत से कट सा गया है। वहां केवल वायुयान द्वारा ही जाया जा सकता है। वहां के किसानों की हालत बहुत खराब हो गयी है। इस पर भी श्री ननजप्पा, जो कि वहां के मुख्य आयुक्त हैं, लगान न मिलने पर किसानों को बेदखल कर रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा है कि सलाहकारों को इसलिये नियुक्त किया जा रहा है जिस से वे मुख्य आयुक्त की हां में हां मिलाते रहें तथा साथ ही उन के काले कारनामों पर परदा डाल दें। मेरा निवेदन है कि वहां पर निर्वाचक-गण को विधान-सभा के रूप में काम करने दिया जाये।

डा० काटजू : क्या यह उचित है कि अधिकारियों पर आरोप लगाये जायें तथा भला बुरा कहा जाये जिन को यहां पर अपनी सफ़ाई देने का अवसर प्राप्त नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी माननीय सदस्य को किसी विशेष, अधिकारी के सम्बन्ध में कुछ कहना हो या इस का नाम चर्चा के दौरान में लाना हो तो अच्छा होगा कि ऐसे मामले की सूचना पहले ही से सम्बद्ध माननीय मंत्री को दे दी जाये जिस से वह उस के बारे में पूरी सूचना प्राप्त कर के उस का समय पर उत्तर दे सकें। इस से चर्चा करने में भी सुगमता होगी।

अब माननीय सदस्य, श्री रघुवर दयाल मिश्र अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं। सदन में भाषण देने का यह आप का पहला ही अवसर है।

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आप का कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि मुझ को आप आज कितना समय देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप आज ७ बजे तक बोल कर अपना भाषण कल जारी रखना चाहेंगे या कल ही प्रारम्भ करेंगे ?

श्री आर० डी० मिश्र : उपाध्यक्ष जी, मैं इस पार्लियामेंट का एक नया मेम्बर हूं। सब से पहले मेरा कर्त्तव्य यह है कि मैं पूज्यपाद् महात्मा गांधी को, जिन के नेतृत्व में यह देश आज़ाद हुआ और देश की यह स्वतन्त्र पार्लियामेन्ट बनी, जिस पार्लियामेन्ट का सदस्य होने के नाते मुझे आज बोलने का मौका आप दे रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं।

उस के बाद मैं अपने देश की उस कान्स्टिटुएन्ट ऐसेम्बली को मबारकबाद देता हूं जिस ने इस देश के लिये एक प्रजातंत्रीय शासन का विधान बनाया और इस बात का मौका दिया कि इस देश के तमाम नर नारी, अमीर, गरीब, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई, सभी भाई मिल कर इस राज्य के भागी हों और सब मिल कर के इस देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जायें। उस ने ऐसा संविधान बनाया जो कि तमाम दुनिया के प्रजातंत्रीय संविधानों में बढ़िया से बढ़िया संविधान है।

तीसरे नम्बर पर मैं अपने प्रधान मंत्री को मुबारकबाद देता हूं कि उन्हों ने इस देश की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत कुछ कार्य किया। उन के नेतृत्व में हम ने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हम को आशा थी, और अब भी है, कि पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। मैं इस पार्लियामेन्ट में सुन रहा हूं, हमारे जो मुखालिफ भाई हैं वे कुछ बातें करते हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी के आदमी हैं वे भी अक्सर कहते हैं, बाहर भी लोग कुछ हमारे मोहतरम लीडर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आइन्दा की तवारीख बतलायेगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लिये क्या क्या काम किया है और इस देश की बदकिस्मत जनता ने उन से उतना फायदा नहीं उठाया जितना उठाना चाहिये था।

इस के बाद मैं अपनी होम मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस के विषय पर मैं बोल रहा हूं। जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अब कल जारी करें।

हैदराबाद टंकण तथा पत्र चलार्थ (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि हैदराबाद के सिक्कों तथा नोटों के विधिमान्य रहे आने की कालावधि में वृद्धि करने, हैदराबाद पत्र चलार्थ अधिनियम संख्या २, १३२७ फ. का निरसन करने तथा कतिपय अन्य प्रासंगिक उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य-परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।"

हैदराबाद उन देशी राज्यों में से एक था जिन के अपने पत्र चलार्थ तथा सिक्के थे। वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप सिक्के तथा पत्र चलार्थ केन्द्रीय विषय बन गये तथा हैदराबाद राज्य की सिक्के तथा चलार्थ सम्बन्धी व्यवस्था की आस्तियां तथा दायित्व केन्द्रीय सरकार ने ले लिये।

एकीकरण के ठीक पहले तत्कालीन हैदराबाद सरकार ने एक विधि बना कर भारतीय चलार्थ को राज्य में विधिमान्य घोषित कर दिया तथा हाली सिक्का चलार्थ तथा भारतीय चलार्थ के बीच विनिमय दर निश्चित

कर दी। ७ हाली सिक्कों का मूल्य ६ भारतीय रुपये के बराबर निश्चित कर दिया गया। जैसा कि मैं ने अभी कहा, वित्तीय एकीकरण के पश्चात् चलार्थ तथा टंकण केन्द्रीय विषय बन गये और हैदराबाद की टंकण तथा चलार्थ सम्बन्धी विधियां राज्य में केन्द्रीय विधियों के रूप में प्रवृत्त रही आईं। सन् १९५१ में संसद् ने "भाग ख राज्य विधियां अधिनियम १९५१" पारित किया, जिस के द्वारा कितने ही केन्द्रीय अधिनियमों का विस्तार उन राज्यों में भी कर दिया गया। भारतीय टंकण अधिनियम १९०६ तथा चलार्थ अध्यादेश, १९४० भी उन अधिनियमों में शामिल थे। इस "भाग ख राज्य विधियां अधिनियम" द्वारा हैदराबाद राज्य की टंकण सम्बन्धी विधियों का निरसन हो गया था। परन्तु यह उपबन्ध कर दिया गया था कि हैदराबाद के सिक्के तथा एक रुपये के नोट १ अप्रैल, १९५१ से दो वर्ष की कालावधि में विधिमान्य रहेंगे। एक रुपये से अधिक मूल्य के नोट जारी करने के प्रश्न को तब नहीं छेड़ा गया था। अतएव इस समय स्थिति यह है कि हैदराबाद के सिक्के तथा एक रुपये के नोट १ अप्रैल, १९५३ से विधिमान्य नहीं रहेंगे जब कि हैदराबाद के चलार्थ नोट विधिमान्य रहे आयेंगे। अब सरकार सारी स्थिति का पुनरावलोकन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि हैदराबाद की चलार्थ नोट सम्बन्धी विधि का निरसन कर दिया जाये ताकि उस दिन से हैदराबाद के सारे सिक्के तथा चलार्थ का विमुद्रीकरण हो जाये। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय काफ़ी चलार्थ चालू है, सरकार यह चाहती है कि सिक्कों तथा चलार्थ को दो वर्ष तक और विधिमान्य रहने दिया जाये। विधेयक में यही उपबन्ध है। इस कालावधि में पहले से चले आ रहे राज्य चलार्थ को शनैः शनैः वापस ले लिया जायेगा और राज्य चलार्थ में कोई और रुपये के सिक्के या नोट जारी नहीं किये जायेंगे। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के साथ विचार-विनिमय करने के बाद यह भी फैसला किया है कि एक साल तक न केवल राज्य चलार्थ के छोटे सिक्के, जैसे आठ आने तथा उस से कम मल्य के सिक्के, वापस नहीं लिये जायेंगे, बल्कि उक्त सिक्के उचित परिमाण में उपलब्ध भी किये जायेंगे जिस से कि अन्तर्वर्ती काल में गरीब वर्णों को विनिमय की पर्याप्त सुविधाएं मिल सकें। सरकार को यकीन है कि इस रियायत से ग़रीब लोगों पर विमुद्रीकरण का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और दो वर्ष की कालावधि चालू राज्य चलार्थ के वापस लिये जाने के लिये भी पर्याप्त होगी।

यह विधान हैदराबाद से सामन्तशाही शासन का अन्त किये जाने की दिशा में एक और पग होगा तथा इस से हैदराबाद राज्य देश के आर्थिक जीवन के समर्यानुकूल बन सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद): मैं माननीय वित्त मंत्री को पहला विधेयक वापस ले लेने तथा वर्तमान विधेयक को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। इस विधेयक के प्रभावस्वरूप राज्य में एक रुपये, आठ आने तथा चार आने के सिक्के विधिमान्य रहे जायेंगे; अतः इस विधेयक का अधिकांश लोग स्वागत करेंगे। इस समय ३६ करोड़ रुपये के मूल्य के सिक्के तथा नोट चालू हैं। अतः सरकार ने यह फैसला कर के बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाया है।

इस सम्बन्ध में मुझे एक-दो सुझाव देने हैं। इन विधेयकों को पारित किय जाने के पश्चात् हाली सिक्के के भारतीय चलार्थ में बदले जाने के लिये पूरी पूरी सुविधाएं दी जायें। वित्त मंत्री को चाहिये कि वह हैदराबाद सरकार से यह कह दें कि वह विशेष रूप से

[डा० सुरश चन्द्र]

बाजारों तथा देहाती क्षेत्रों में विनिमय की सुविधाएं उपलब्ध करें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री को एक बार पुनः बधाई देता हूं कि उन्हों ने ऐसा विधान प्रस्तुत किया।

डा० जयसर्य (मेदक): मैं भी माननीय वित्त मंत्री को पहला विधेयक वापस लेने तथा इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। यदि सरकार ने पहली प्रस्थापना के अनुसार १ अप्रैल को ही विमुद्रीकरण कर दिया होता तो बड़ी खराब स्थिति पैदा हो जाती। सरकार को धन्यवाद देने के पश्चात् मैं यह कहना चाहता हूं कि अब तक जो हमारा चलार्थ था उस का अन्त करने से हैदराबाद राज्य को कुछ नुकसान होगा। उसे चांदी के सिक्के बनाने से १.४ करोड़ रुपये प्रति वर्ष का लाभ हुआ करता था जो अब समाप्त हो जायेगा। पहले ही हम अपनी रेलवे, डाकघर आदि कोई प्रतिकर लिये बिना दे बैठे हैं। हमारा करोड़ों रुपये का सैनिक सामान भी ले लिया गया है। अब प्रश्न यह है कि विमुद्रीकरण कैसे होगा? माननीय वित्त उपमंत्री के वक्तव्य से यह पता लगता है कि एक रुपये के सिक्कों तथा अन्य छोटे सिक्कों का विमुद्रीकरण एक ही दिन होगा। क्या मैं ठीक हूं?

श्री एम० सी० शाह: १ अप्रैल, १९५३ से वे दो और वर्ष के लिये विधिमान्य कर दिये जायेंगे। इसी बीच, ये सब भारतीय चलार्थ से बदल लिये जायेंगे।

डा० जयसूर्य: ठीक है। मैं समझता हूं कि हैदराबाद के कोई और नोट नहीं छापे जायेंगे और न ही सिक्के बनाये जायेंगे। परन्तु मुझे यह सुझाव देना है कि पहले बड़े नोटों का विमुद्रीकरण किया जाये एक रुपये के तथा उस से छोटे सिक्के सब से बाद में लिये जायें क्यों कि यदि ये छोटे सिक्के ही पहले ले लिये गये तो देहाती क्षेत्रों में उथल-पुथल मच जायेगी। अतः पहले छः मासों में १०० रुपये के नोटों का फिर अगले कुछ मासों में १० रुपये के नोटों का और तब कहीं ५ रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया जाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो जायगी।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर): मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने आखिर हैदराबाद चलार्थ को दो वर्ष की कालावधि में वापस लेने का फैसला कर लिया। इस से, विशेष रूप से देहाती क्षेत्रों में, लोगों को भारतीय चलार्थ से परिचित होने का समय मिल जायगा। हैदराबाद चलार्थ को वापस लेने तथा उस के स्थान में भारतीय चलार्थ चालू करने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा हैदराबाद सरकार के बीच समन्वय आवश्यक है। इस समन्वय के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि हैदराबाद सरकार ने इस प्रयोजनार्थ "हैदराबाद चलार्थ विमुद्रीकरण (आनुषंगिक तथा प्रकीर्ण) उपबन्ध विधेयक" पुरःस्थापित किया है। यह विधेयक ११ मार्च, १९५३ को प्रकाशित हुआ था।

इस समय हैदराबाद राज्य में चालू कुल हैदराबादी चलार्थ का मूल्य लगभग ४८ करोड़ रुपये है। मुझे तो यही जानकारी है; हो सकता है कि मैं गलत हूं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। कुछ वर्ष बाद हैदराबाद का काफ़ी चलार्थ ऐसा रह जायेगा जो भारतीय चलार्थ से बदले जाने के लिये किसी सरकारी खजाने या स्टेट बैंक में न लौटाया गया हो। इस प्रकार कुछ अवशिष्ट लाभ--जिस का अनुमान मैं ने कोई ४ से लेकर ६ करोड़ रुपये लगाया है--केन्द्रीय

सरकार को मिल जायेगा क्योंकि चलार्थ अब एक केन्द्रीय विषय है। मुझे यह सुझाव देना है कि यह ४ या ६ करोड़ रुपये का अवशिष्ट लाभ हैदराबाद को विकास प्रयोजनों के लिये दिया जाय।

दूसरा सुझाव मुझे यह देना है कि देहाती क्षेत्रों में जनता भारतीय चलार्थ से पूर्णतः परिचित नहीं है। अतः राज्य चलार्थ के भारतीय चलार्थ से बदले जाने के सम्बन्ध में अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहियें। मैं सुझाव देता हूं कि भारत सरकार हैदराबाद सरकार को आवश्यक धनराशि दे ताकि वह बाजारों आदि में चलार्थ के बदले जाने के लिये सुविधायें उपलब्ध कर सके। इस प्रकार लोगों में भी यह विश्वास हो जायेगा कि सरकार उन के राज्य चलार्थ को भारतीय चलार्थ से बदलने के लिये हमेशा तैयार है। इन सुविधाओं के दिये जाने से साहूकार ग़रीब लोगों का शोषण भी न कर सकेंगे।

जहां तक मैं समझता हूं, ये सुविधायें आवश्यक हैं। इस में तो कोई सन्देह नहीं है कि इन सुविधाओं के उपलब्ध किये जाने पर कुछ व्यय होगा, परन्तु फिर भी इन का उपलब्ध किया जाना आवश्यक है।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री एक और बात का भी स्पष्टीकरण करें। कृष्णमाचारी समिति रिपोर्ट में यह कहा गया है कि "स्थानीय उस्मानिया सिक्के तथा चलार्थ का उल्लेख कर दिया जाय। फैडरल वित्तीय एकीकरण से भारत सरकार पर हैदराबाद के पूरे चलार्थ का उत्तरदायित्व आ जायेगा; और वित्तीय एकीकरण किये जाने की तारीख पर भारत सरकार नहीं जारी किये गये पूरे पत्र चलार्थ तथा सिक्कों के साथ रक्षित पत्र चलार्थ तथा टकसाल की आस्तियों को अपने अधिकार में ले लेगी"।

कृष्णमाचारी समिति की सिफारिशों के अनुसार रक्षित पत्र चलार्थ की आस्तियों को सरकार अपने अधिकार में ले लेगी। इन आस्तियों में न केवल भारतीय मुद्रा ही थी अपितु इन में भारत सरकार की प्रतिभूतियां तथा हैदराबाद की प्रति भूतियां भी थीं। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार ने हैदराबाद सरकार की प्रतिभूतियों को भी निष्क्रयण के लिये अपने अधिकार में ले लिया है। यदि वित्तीय एकीकरण की तारीख को, पत्र चलार्थ चलाने के लिये हैदराबाद सरकार की प्रतिभूतियों को रक्षित रूप में रख लिया जाता तो मैं समझता हूं कि वित्त विभाग इस बात पर विचार कर सकता है कि हैदराबाद सरकार की प्रतिभूतियों का निष्क्रयण करने के लिये भारत सरकार को वह उत्तरदायित्व निष्क्रयण तारीख को अपने ऊपर ले लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि माननीय सदस्य इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं तो सदन में ९ गणपूर्ति होनी चाहिये, अन्यथा मुझे यह चर्चा स्थगित करनी पड़ेगी। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि सभी सदस्य यहां उपस्थित हों।

श्री विट्ठल राव (खम्मम): यह एक अच्छा विधेयक है। किन्तु जो हैदराबाद शहर में हो रहा है हमें उस पर विचार करना चाहिये। वहां मज़दूरों पर लाठी चलाई गई, धारा १४४ लगा दी गई है। ऐसा सब कुछ इस विमुद्रीकरण की बात को लेकर हुआ है। उन लोगों की मांगें ये थीं कि उन का वेतन हाली सिक्का के बराबर न दिया जाय बल्कि परिवर्तित मुद्रा में दी जाय।

गत वर्ष जून में वित्त मंत्री ने बताया था कि हैदराबाद मुद्रा का पहिली अप्रैल, १९५३ से विमुद्रीकरण कर दिया जायगा। मैं न उन

[श्री विट्ठल राव]

को हैदराबाद की विशेष परिस्थिति के विषय में लिखा था। मैं ने उन्हें कम आय वाले व्यक्तियों विशेषकर मज़दूरी पाने वालों की कठिनाइयों के विषय में लिखा और यह प्रार्थना की कि कम से कम कुछ समय के लिये ये छोटे छोटे सिक्के वैध सिक्कों के रूप में चलते रहें। वित्त मंत्री का उत्तर था कि ऐसा करना सम्भव नहीं था। और हैदरबाद को इस प्रकार की विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती थी। अन्त में उन्हों ने यह भी ठीक समझा कि राज्य के सिक्के को दो साल तक वैध सिक्के के रूप में चलने दिया जाय। किन्तु एक बात तो निश्चित है कि इस से कम आय वाले व्यक्तियों को हानि होगी। मैं ने हैदराबाद के वित्त मंत्री को इन मज़दूरों की कठिनाइयां समझाईं। अभी तक हैदराबाद सरकार ने वेतन सम्बन्धी रूपरेखा के विषय में कुछ निश्चित रूप से तय नहीं किया। उस का तो यह कहना है कि इस से कम आय वाले व्यक्तियों को हानि नहीं होगी। हैदराबाद सरकार हमें इस बात का आश्वासन भी नहीं देती कि इन लोगों को कोई हानि नहीं होगी और न चीज़ों के दाम ही बढ़ेंगे। यहां खाद्य के लिये कुछ विशेष प्रबन्ध हैं। इस पर हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद में नियंत्रण हैं। वहां मज़दूरी का ६७ प्रतिशत भाग खाद्य पर खर्च होता है। मुझे बताया गया कि वहां सरकार मकान के किराये के सम्बन्ध में एक अध्यादेश जारी करने वाली है। अर्थात् जहां पहिले १४ हाली सिक्का रुपये किरायें के रूप में लिये जाते थे अब केवल १२ लिये जायें १४ नहीं। भारत सरकार तथा विशेष कर वित्त मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कम आय वाले व्यक्तियों को परिवर्तित मुद्रा में भी उतना ही वेतन मिले न कि पहिली मुद्रा के बराबर परिवर्तित मुद्रा में वेतन मिले। मैं मंत्री महोदय से इस बात का आश्वासन चाहता हूं। टकसाल में काम करने वाले व्यक्तियों को यह आशंका है कि उन्हें नौकरी से हटा दिया जायगा। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये और उन की नौकरी की शर्तों पर किसी प्रकार का असर डाले बिना उन्हें और नौकरी दी जानी चाहियें। नोट छापने वाले प्रेस के कर्मचारियों को भी नौकरी से नहीं हटाना चाहिये। यदि कुछ नोट या सिक्के खज़ाने में नहीं आते तो वह बन्धन हैदराबाद को इस की विकास योजनाओं के लिये दे देना चाहिये। पुलिस कार्यवाही के बाद से वहां कोई विकास योजना आरम्भ नहीं की गई। जिन छोटे कारखानों को सरकार चलाती थी वे बिड़ला को दिये जा रहे हैं। रजाकारों ने राज्य के बहुत से धन को बर्बाद किया। हम चाहते हैं कि वह धन राज्य को विकाय कार्यों के लिये दिया जाय। हम ऐसा मुद्रा का विमुद्रीकरण कर रहे हैं जोकि यहां बहुत समय तक प्रचलित थी। इस मामले में बहुत सी कठिनाइयां हैं। जो धन विनिमय के लिये खज़ाने में नहीं आ रहा है उसे हैदराबाद सरकार को दे देना चाहिये।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय मुझे इस बिल का स्वागत करने में बड़ी खुशी होती है कि हैदराबाद में जिस चीज़ को हम निज़ाम शाही का निशान समझते थे वह खत्म हो रही है। इस में कोई शक नहीं कि जिस वक्त कहीं पर परिवर्तन हुआ करते हैं तो लोगों को कुछ न कुछ कष्ट अवश्य हुआ करते हैं। लेकिन उस को सहन करना ही पड़ता है।

आर्थिक स्थिति से हैदराबाद में जो गरीब लोग हैं या देहातों में रहते हैं, उन पर इस चीज़ का कुछ बुरा असर पड़ेगा। इस लिये हमारी केन्द्रीय सरकार ने इसे दो साल और बढ़ाने का निर्णय किया है। यह भी एक स्वागत की बात है।

मैं इस बिल पर ज्यादा न बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस का जो आर्थिक परिणाम होगा और उस से जो परिस्थिति हैदराबाद में पैदा होगी उस के लिये आप को कुछ गौर करना होगा, और उस पर गौर करना हमारी केन्द्रीय सरकार का फर्ज़ भी है। लिहाजा जब आप हैदराबाद के लोगों की खिदमत करते हैं तो मैं इस सुझाव की ताईद करता हूं। साथ ही कहता हूं कि करेन्सी को नीचे से ऊपर तक एक साथ खत्म करने के बजाय ऊपर से धीरे धीरे नीचे तक आना बतहर होगा। पहले जो १०० रुपये का नोट है और दस रुपये का है उस को खत्म करना होगा। उस के बाद साल या छः महीने बाद फिर नीचे के दर्जे के जो नोट्स हैं या क्वायन्स हैं उन को खत्म करना चाहिये। इस को करने से इस के एवज में सरकार को कुछ फायदा जरूर होता है। क्योंकि हाली सिक्के में मेटल परसेन्टेज ज्यादा है। इस लिये हैदराबाद सरकार को भी देखना होगा कि इस को कैसे किया जाय क्योंकि हैदराबाद स्टेट में एक मूवमेन्ट चल रहा है। जो छोटे कर्मचारी हैं अगर उन की तन्ख्वाह में तब्दीली नहीं हुई तो उन को घाटा होगा। लिहाजा उन को जमाने के लिहाज से तन्ख्वाह देनी पड़ेगी। इस लिये मेरा कहना है कि जो रेजिडुअरी फायदा बच जाता है वह स्टेट गवर्नमेन्ट को ही दिया जाय।

इतना कहते हुए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और पुरजोर ताईद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि सदन इस विधेयक पर चर्चा करते करते थक गया है। माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखेंगे। अब सदन की बैठक कल दो बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार ३१ मार्च १९५३ के २ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

G1PD - C of S—289—I SD—30-12-53—285